द्वितीय माला, खण्ड ९—अंक १७

३ दिसम्बर, १९५७ (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Third Session)

(खण्ड ९ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में)   ३ शिलिंग (विदेश में)

269 L.S.D

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड ६--अंक ११ से २०--दिनांक २५ नवम्बर से ६ दिसम्बर, १९५७)

पृष्ठ

अंक ११--सोमवार २५ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४२० से ४२६, ४२८, ४२९, ४३२, ४३३, ४३५, ४३७, ४४३ से ४४८ और ४५० से ४५२ . . . ९९९-१०२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४२७, ४३०, ४३१, ४३४, ४३६, ४३८ से ४४१, ४४९ और ४५३ से ४७६ . . . . . १०२६-४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७६ से ५९८, ६०० से ६४० और ६४२ से ६५४ . . . . . १०४०-७०

स्थगन प्रस्ताव--

२३-११-५७ को बम्बई-कलकत्ता मेल की दुर्घटना . . १०७०-७३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र-- १०७३-७४

राज्य-सभा से सन्देश १०७४

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति १०७४

दिल्ली निगम विधेयक तथा दिल्ली विकास विधेयक के बारे में याचिका . १०७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

मलाबार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कल्लाई में उत्पादन बन्द होना १०७४

नागा पहाड़ियां-तुएनसांग क्षेत्र विधेयक १०७५-९३

विचार करने का प्रस्ताव १०७५

खण्ड २ से ७ और १ . . १०९१-९३

पारित करने का प्रस्ताव १०९३

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) अध्यादेश सम्बन्धी संकल्प तथा भारत का रक्षित बैंक (दूसरा संशोधन) विधेयक . १०९४-९७, ११००-०५

२३-११-५७ को बम्बई-कलकत्ता मेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . १०९७-११००

दैनिक संक्षेपिका ११०६-११

अंक १२--मंगलवार, २६ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४७७, ४७९ से ४८३, ४८५, ४८६, ४८८ से ४९३ और ४९८ से ५०१ १११३-३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७८, ४८४, ४९४ से ४९७ और ५०२ से ५२८ . ११३६–४९
अतारांकित प्रश्न संख्या ६५५ से ७१७ . ११४९–७७

स्थगन प्रस्ताव—

२३–११–५७ को बम्बई-कलकत्ता मेल दुर्घटना . . . ११७७–७९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ११७९

भारत का रक्षित बैंक (दूसरा संशोधन) विधेयक . . ११७९–८०
खण्डवार विचार—खण्ड १–४ स्वीकृत हुए . . ११७९–८०
पारित करने के लिये प्रस्ताव ११८०

कतिपय राज्यों में सूखे से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव– . . ११८०–९७
दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा पारित रूप में . ११९७–१२१५
दैनिक संक्षेपिका १२१६–२०

अंक १३—बुधवार, २७ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२८-क, ५२९ से ५३९, ५४१, ५४२, ५५०, ५५२, ५५५ और ५५८ से ५६० . . . १२२१–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४०, ५४३ से ५४६, ५४८, ५४९, ५५१, ५५३, ५५४, ५५६, ५५७, ५६१ से ५६३, ५६५ से ५७९ और ५८१ से ५८५ . . . . १२४७–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१८ से ७३५ और ७३७ से ७७७ . १२६१–८७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२८७–८८
राज्य-सभा से सन्देश १२८८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—दसवां प्रतिवेदन १२८८

दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १२८८–१३२०
खण्ड २ से ५८ . . १३०५–२०

वित्त मंत्री की विदेश यात्रा सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव . . १३२०–२६

दैनिक संक्षेपिका १३२७–३१

अंक १४—गुरुवार, २८ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८६ से ५९४, ५९७, ५९८, ६०० से ६०५, ६०९ और ६११ से ६१७ . . . १३३३–५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५९५, ५९६, ५९९, ६०६ से ६०८, ६१० और ६१८ से ६२९ . . . . . . १३६०–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७८ से ७८२, ७८४ से ८३२ और ८३४ से ८४१ . . . १३६७–८८

राज्य-सभा से सन्देश १३८९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

फर्रुखाबाद कानपुर सवारी गाड़ी का पटरी से उतरना . . . १३८९-९०

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १३९०

पूंजी निर्गम (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . . . १३९०

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १३९०–९१

वित्त मंत्री की, विदेश यात्रा सम्बन्धी उन के वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव . . . १३९१–९९, १४००–१२

सभा का कार्य १३९९–१४००

दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक . . . १४१२–३९

खण्डवार विचार . . . १४१२–२५

दैनिक संक्षेपिका १४३५–३९

अंक १५—शुक्रवार, २९ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३० से ६३४, ६३६ से ६४१, ६४३, ६४४, ६४७ से ६५१, ६५७ और ६५९ से ६६३ . . . १४४१–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३५, ६४२, ६४५, ६४६, ६५२ से ६५६, ६५८ और ६६४ से ६६९ . . . . . . १४६७–७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२, ८४३, ८४५ से ८६२, ८६४ से ८७५ और ८७७ से ९११ . . . ९४७३–१५००

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट फैक्टरी में हड़ताल की धमकी . . . १५००

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १५००–०१

राज्य-सभा से सन्देश १५०१

हिमाचल प्रदेश में बस दुर्घटना १५०१–०२

सभा का कार्य १५०२

	पृष्ठ
भारतीय परिचर्या परिषद् (संशोधन) विधेयक .	१५०३–१५
विचार करने का प्रस्ताव	१५०३
खण्ड २ से १५ और १	१५१३
पारित करने का प्रस्ताव .	१५१३
अफ़ीम विधि (संशोधन) विधेयक	१५१५–२१
विचार करने का प्रस्ताव . .	१५१५
खण्ड २ से ६ और १ . .	१५२०–२१
पारित करने का प्रस्ताव . . .	१५२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––	
दसवां प्रतिवेदन . . .	१५२१
कॉस्टिंग परिणामों के प्रमाणीकरण सम्बन्धी आवश्यक योग्यता वाली परीक्षा को नियंत्रित करने के लिये संविहित निकाय के बारे में संकल्प	१५२१–२६
बौद्धधर्म अपनाने वालों के लिये संरक्षणों के बारे में संकल्प .	१५२६–३६
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प . . .	१५३६–३७
दैनिक संक्षेपिका	१५३८–४२
अंक १६––सोमवार, २ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७० से ६७७, ६८१, ६८३, ६८४, ६८६, ६८७, ६८९, ६९०, ६९२, ६९३ और ६९५ से ६९९	१५४३–६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७८ से ६८०, ६८२, ६८५, ६८८, ६९१, ७०० से ७११, २६८ और २७८ . . .	१५६६–७४
अतारांकित प्रश्न संख्या ६१२ से ६३०, ६३२ से ६३६ और ६३६ से ६७०	१५७४–१६००
श्री रहीमतुल्ला चिनाय का निधन . .	१६००
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . .	१६००–०१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	१६०१
कार्य मंत्रणा समिति––	
तेरहवां प्रतिवेदन	१६०१
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	१६०१–०२
समितियों के निर्वाचन के बारे में प्रस्ताव	१६०२–०३
कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक––	
पुरःस्थापित किया गया .	१६०३

पृष्ठ

छावनियां किराया नियंत्रण विधियों का विस्तार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में १६०३–०९

विचार करने का प्रस्ताव १६०३

खंडवार विचार १६०९

पारित करने का प्रस्ताव १६०९

खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव १६१०–१६

दैनिक संक्षेपिका १६१७–२१

अंक १७--मंगलवार, ३ दिसम्बर, १९५७---

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७१३ से ७१८, ७२०, ७२३ से ७२९, ७३१, ७३२, ७३४, ७३५, ७३७, ७४१ और ७४० . १६२३–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७१९, ७२१, ७२२, ७३०, ७३३, ७३६, ७३८, ७३९, ७४२ से ७५७ और ७५९ से ७६३ . . . १६४८–५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७१ से १०४१ . . . १६५९–८८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १६८९–९०

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति १३९०

कार्य मंत्रणा समिति--

तेरहवां प्रतिवेदन १६९०

भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में . . . १६९०

खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव १६९१–१७३०

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . १७३०

काजू उद्योग पर आधे घंटे की चर्चा १७३०–३४

दैनिक संक्षेपिका १७३५–४०

अंक १८--बुधवार, ४ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७६४ से ७७१, ७७३, ७७६, ७७७, ७७९, ७८०, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७, ७८९, ७९१ से ७९४ और ७९८ से ८०१ १७४१–६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२, ७७४, ७७५, ७७८, ७८१, ७८२, ७८५, ७८८, ७९०, ७९५ से ७९७, ८०२ से ८०७, ८०९ से ८१३ और ३४९ १७६८–७७

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १०४२ से १०४८, १०५० से १०८४, १०८६ से १०९६, १०९८ से ११२३ और ११२५ से ११३१ .	१७७७–१८१३
जीवन बीमा निगम के विनियोजन पर आधे घंटे की चर्चा की सूचना के बारे में	१८१३–१४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१८१४
राज्य-सभा से सन्देश	१८१४
भारतीय तार (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . .	१८१४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत के संविधान की मुद्रित प्रतियों के जलाये जाने का समाचार	१८१५
तारांकित प्रश्न संख्या ८७ के अनुपूरक के उत्तर की शुद्धि . .	१८१५–१६
तारांकित प्रश्न संख्या २०८ के उत्तर के बारे में वक्तव्य . . .	१८१६
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—	
पुरःस्थापित	१८१६
पूंजी निर्गम (नियंत्रण) संशोधन विधेयक	१८१६–२६
विचार करने का प्रस्ताव	१८१६
खण्ड १ से ८	१८२५
पारित करने का प्रस्ताव	१८२५
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक .	१८२६–२७
विचार करने का प्रस्ताव	१८२६
खण्ड १ से ३	१८२७
पारित करने का प्रस्ताव	१८२७
जीवन बीमा निगम के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	१८२८–४८
दैनिक संक्षेपिका	१८४९–५४
अंक १९—गुरुवार, ५ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ८२१, ८२३, ८२४, ८२६, ८२९, ८३१, ८३५ से ८४०, ८४२ से ८४४ और ५४७ . .	१८५५–८०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३	१८८१–८२

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२२, ८२५, ८२७, ८२८, ८३०, ८३२ से ८३४, ८४१ और ८४५ . १८८२—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११३२ से १२१० १८८५-१९१७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १९१७

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक—पुरःस्थापित १९१७—१८

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—पुरःस्थापित . १९१९—२०

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक— १९२०—३१

विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

खंड १ से ३ . . १९३१—३२

पारित करने का प्रस्ताव . . १९३२

कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक १९३२—४६

विचार करने का प्रस्ताव १९३२

खंड १ से ७ . १९४६

पारित करने का प्रस्ताव १९४६

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक १९४६—५१

विचार करने का प्रस्ताव १९४६

कार्य मंत्रणा समिति—

चौदहवां प्रतिवेदन १९५०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १९५२—५६

अंक २०—शुक्रवार, ६ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४६ से ८५३, ८५५ से ८६१, ८६४, ८६६ से ८६८, ८७०, ८७१, ८७४ और ८७५ १९५७—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ १९८४—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५४, ८६२, ८६३, ८६५, ८६९, ८७२, ८७३, ८७६ से ८९९ और ४४२ १९८५—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२११ से १२२७ और १२२९ से १२९२ १९९८—२०३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २०३३—३४

वर्ष १९५७-५८ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में विवरण . २०३४

सभा का कार्य २०३४

पृष्ठ

आसाम के तेल निक्षेपों से तेल निकालने के लिये रुपया समवाय बनाने के बारे में वक्तव्य १०३५

भारत की क्षय रोग सन्था की केन्द्रीय समिति के लिये निर्वाचन के बारे में प्रस्ताव २०३६

दण्ड-विधि संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित २०३६

संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक—पुरःस्थापित . . २०३६–३७

सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किराया कर (वितरण) विधेयक—पुरःस्थापित २०३७

डफरिन की काउन्टेस निधि विधेयक—पुरःस्थापित २०३७

कार्य मंत्रणा समिति—

चौदहवां प्रतिवेदन २०३८

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक —

विचार के लिये प्रस्ताव २०३८–५५

खण्ड २ से १८ तथा १ . . २०४६–५४

संशोधित रूप में, पारित करने का प्रस्ताव २०५४

मंजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव २०५५–५६

समान पारिश्रमिक विधेयक—पुरःस्थापित २०५६

बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक—

विचार के लिये प्रस्ताव . २०५६–६३

बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक—

विचार करने के लिए प्रस्ताव . २०६३–७१

राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्यौहारों की सवेतन छुट्टी विधेयक—

विचार करने के लिए प्रस्ताव २०७१–७३

आधे घंटे की चर्चा—

खाद्यान्नों पर अग्रिम धन २०७३–७७

दैनिक संक्षेपिका २०७८–८४

नोट—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

मंगलवार, ३ दिसम्बर, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली परिवहन सेवा की बसें[1]

†*७१३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि दिल्ली परिवहन सेवा द्वारा चालित बसों को प्रतिदिन सड़क पर निकालने के पूर्व ठीक तरह से धोया और साफ़ नहीं किया जाता है;

(ख) क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि इन बसों को ठीक अवस्था में नहीं रखा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने लोकहित में इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १६]

†**श्री दी० चं० शर्मा** : प्रतिदिन ५० प्रतिशत बसों के धोने का प्रयत्न कब तक फलीभूत होगा ? इसको त्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : यह कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर है। हम जैसे ही कर्मचारियों की भर्ती कर लेंगे हम उस कार्य को आवश्यक सीमा तक कर सकेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण में यह कहा गया है कि कभी कभी पुर्जे उपलब्ध नहीं होते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली परिवहन प्राधिकारमंडल को पुर्ज़ों के अभाव के कारण कष्ट न उठाना पड़े इसके लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

† मूल अंग्रेजी में

[1]D. T. S. Buses

†श्री राज बहादुर : कुछ पुर्जे विदेशों से प्राप्त करने पड़ते हैं जिसका तात्पर्य यह है कि उसमें विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त रहती है । हमने हाल में इस प्रयोजन के लिए १.२६ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की मंजूरी ४० अल्बियन[2] और २५ गाई[3] बसों के लिए ब्रिटेन से पुर्जों के आयात के लिए दी है ।

†श्री वें० प० नायर : क्या दिल्ली परिवहन सेवा के पास एक सुसंगठित मरम्मत कर्मशाला है ताकि बसों को बड़ी मरम्मतों के लिए गैर सरकारी उद्यमियों की कर्मशालाओं में भेजने की आवश्यकता न हो ?

†श्री राज बहादुर : हमारी एक केन्द्रीय कर्मशाला है । जहां तक उसका सम्बन्ध है, हमारी कर्मशालाओं की एक सुसंगठित व्यवस्था है ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या समस्त बसों में प्रथमोपचार बक्स[4] रहते हैं ?

†श्री राज बहादुर : जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसा है । यदि कोई शिकायत होगी तो मैं उसकी जांच करूंगा ।

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : क्या हमारी समस्त बसें दुर्लभ मुद्रा अथवा स्टर्लिंग क्षेत्र से खरीदी जाती हैं ?

†श्री राज बहादुर : मैं समझता हूं कि अधिकांशतः स्टर्लिंग क्षेत्र से ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या परिवहन प्राधिकार मंडल के समक्ष बसों का प्रमापीकरण करने का कोई प्रस्ताव है ? हमारे यहां कई किस्में हैं, एल्बियन, लेलैण्ड आदि । हम उनमें से केवल एक रख सकते हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : हम प्रश्न से दूर हटते जा रहे हैं ।

†श्री राज बहादुर : इस बात को हम ध्यान में रखेंगे ।

चीनी का उत्पादन

*७१४. श्री विभूति मिश्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५६–५७ के गन्ना पैरने के मौसम में मजदूरों तथा मिल-मालिकों में झगड़ों के कारण कुछ चीनी मिलों में धीरे काम करो की नीति के फलस्वरूप चीनी का उत्पादन कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वे मिलें कौन कौन सी हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इन झगड़ों को तय करने के लिये कोई उपाय सोचे हैं ?

सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

श्री विभूति मिश्र : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि चम्पारन की हरिनगर शुगर मिल्स में बराबर गो स्लो की पालिसी (काम धीमा करने की नीति) रही है और वहां प्रोडक्शन (उत्पादन) कम हुआ है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

[2] Albion ; [3] Guy
[4] Fi⁻ st Aid Boxes

डा० पं० शा० देशमुख : हमारे पास दो जगहों से ऐसी इत्तला ग्राई है, लेकिन यहां से कोई ऐसी इत्तला नहीं ग्राई ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या फूड ऐंड ऐग्रिल्चर (खाद्य तथा कृषि) मंत्रालय की तरफ से कोई जांच पड़ताल हुई है कि किस मिल में गो स्लो की नीति बरती जा रही है ग्रौर प्रोडक्शन कम हो रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री ग्र० प्र० जैन) : हमारे पास ग्रांकड़े ग्राते हैं । हमारी तरफ से कोई इन्स्पेक्शन नहीं होता । यह राज्य सरकारों का काम है ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : बिहार की समस्त मिलों में चीनी का उत्पादन कम हो जाने के क्या कारण हैं ?

†**श्री ग्र० प्र० जैन :** यह सही नहीं है कि ग्रधिकांश मिलों में उत्पादन कम हो गया है । थोड़ी सी मिलों में ऐसा ग्रवश्य हुग्रा है ।

गाजियाबाद में मछलियों की वर्षा

+

†*७१५. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री मोहन स्वरूप :
पंडित द्वा० ना० तिवारी : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के ग्रन्तरिक्षशास्त्रीय[5] विशेषज्ञों का ध्यान दिल्ली के समीप गाजियाबाद के किसी गांव में १५ सितम्बर, १९५७ को या उसके लगभग हुई कथित मछलियों की वर्षा की खबर की ग्रोर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तथ्य की कोई जांच की गई है; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के ग्रतिरिक्त भारत सरकार के ग्रन्तरिक्षशास्त्रीय विभाग को इस विषय में ग्रौर कोई जानकारी नहीं ।

(ख) ग्रौर (ग). इस घटना की कोई जांच सम्भव नहीं थी क्योंकि जिस स्थान पर मछलियों की वर्षा होने की खबर छपी है उसके ग्रास पास कोई भी ग्रन्तरिक्षशास्त्रीय वेधशाला[6] नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या ग्रन्तरिक्षशास्त्रीय विभाग ने इन खबरों की सत्यता जानने के लिये कोई पड़ताल की है ? यदि हां, तो क्या ?

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

[5]Meteorological
[6]Observatory

†**श्री राज बहादुर** : इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग को मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसका कि उस हल्के से सम्बन्ध है, एक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये कहा गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह घटना १५ सितम्बर को घटित हुई थी । क्या रिपोर्ट प्राप्त करने में इतनी देर लगती है ?

†**श्री राज बहादुर** : मेरे विचार में समाचार पत्रों में यह घटना १५ सितम्बर की बताई गई है ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या अन्तरिक्षशास्त्रीय विभाग द्वारा ऐसी अन्य घटना की भी जांच नहीं की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनके पास तथ्य ही नहीं है जांच का तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: बाइबल में उल्लिखित एक ऐसी घटना को छोड़ कर जहां पर कि आकाश से अन्न तथा मछलियों की वर्षा होने का वर्णन आया है आज तक कहीं पर भी आकाश से मछलियों की वर्षा नहीं हुई है । ऐसा तब होता है जब साइक्लोनों द्वारा किसी तालाब की मछलियां उड़ाकर ले जाई जाती हैं तब मछलियां वर्षा के साथ ऊपर से नीचे आती हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि सचमुच ऐसा हुआ है तो यह एक असाधारण घटना है । अखबारों में यह खबर छपी है । क्या इसे संसद में पूछा गया अथवा नहीं इस बात को छोड़ कर भी संबंधित क्षेत्र के किसी अधिकारी को इस खबर की सत्यता की जांच करने के लिये घटनास्थल पर जाना चाहिये था अगर यह किसी मुख्य तथा प्रसिद्ध पत्र में छपी थी । ऐसा कहना कि यह एक धार्मिक गाथा मात्र है ठीक नहीं क्योंकि यह खबर अखबारों में छपी है । हम इसकी यहां पर कैसे आलोचना कर सकते हैं जबकि सभा को इस बारे में कोई सूचना ही नहीं दी जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** हमें सूचना तो मिली थी, किन्तु अन्तरिक्षशास्त्र विभाग ने यह सूचना दी है कि उन्हें इस विषय में अधिकृत रूप से कुछ नहीं ज्ञात हो सका है कि आया गाज़ियाबाद में मछलियों की ऐसी वर्षा हुई भी थी अथवा नहीं । वे इस विषय में आगे जांच नहीं कर सकते हैं । इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार कुछ जांच कर रही है । किन्तु हमें अभी तक उनसे कोई सूचना नहीं मिली है । हमारा अन्तरिक्षशास्त्र विभाग इस घटना को कोई विशेष महत्व नहीं देता क्योंकि देश में अनेक स्थानों पर आगे भी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं । बंगाल में कई बार ऐसा हुआ है । इसका कारण अभी अभी माननीय उपमंत्री बता चुके हैं कि कई बार साइक्लोन द्वारा तालाबों की मछलियां उड़ा ली जाती है जो कि बाद में वर्षा के साथ नीचे आ जाती हैं । इस विषय में हम इससे अधिक कुछ नहीं बता सकते और न हो विभाग इसको कोई विशेष महत्व देता है । संभवतया सभी प्रश्नकर्ता सदस्य शाकाहारी हैं । उन्हें मछलियों की कथित वर्षा में इतनी अधिक दिलचस्पी लेने की आवश्यकता नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

कुछ माननीय सदस्य उठे——

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी सदस्य यही तो जानना चाहते हैं कि क्या यह सत्य है ? जो कोई भी चाहता हो वह वहां जाकर पता लगा सकता है कि क्या मछलियों की वर्षा हुई थी अथवा नहीं । वहां पर लोग रहते हैं । वे सब कुछ बता सकते हैं । हो सकता है उन्हें वहां भूमि पर मछलियां न मिलें किन्तु लोग उन्हें सब कुछ बता सकते हैं ।

†**श्री राज बहादुर** : हम भी घटना-स्थल पर इस विषय का अध्ययन करना चाहते थे किन्तु उसके पास विभाग की कोई वेधशाला आदि नहीं थी । अब तो हमारे पास केवल सुनी सुनाई बात है । कोई मौलिक सूचना नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न के लिये १० दिन की पूर्वसूचना दी गई थी । यह कोई अल्प सूचना प्रश्न नहीं है । क्या सरकार १० दिन में यह खबर नहीं प्राप्त कर सकती थी कि क्या वहां मछलियों की वर्षा हुई है अथवा नहीं ? गाजियाबाद कोई दूर नहीं है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यदि श्रीमान् ऐसा चाहते हैं तो हम विभाग के किसी व्यक्ति को वहां भेज सकते हैं; किन्तु हो सकता है इससे कोई खास लाभ न हो ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा । अब इस सब से कोई फायदा नहीं । अगला प्रश्न ।

कलकत्ता में खाद्यान्नों की कीमतें

†*७१६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों के विरुद्ध सितम्बर मास में कोई 'सीधी कार्यवाही' शुरू की गई थी;

(ख) कलकत्ता में १९५६ के अगस्त व सितम्बर मास के मुकाबले में १९५७ के अगस्त व सितम्बर मास में खाद्यान्नों में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या यह सच है कि अब भी कीमतें बढ़ती जा रही हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) सितम्बर मास में कीमतों के बढ़ने के कारण ३-४ दिन तक कुछ विरोध हुआ था ।

(ख) इस वर्ष अगस्त व सितम्बर में पिछले वर्ष अगस्त व सितम्बर की कीमतों के मुकाबले में कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं और कुछ वस्तुओं की कम हुई हैं । ३.१ प्रतिशत से ३८.७ प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और १.२ प्रतिशत से १८.८ प्रतिशत तक कमी हुई है ।

(ग) जी नहीं । अब कीमतें लगभग स्थिर हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : सरकार ने कीमतों को कम करने के लिये क्या प्रयत्न किये हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : कई उचित मूल्य वाली दुकानें हैं । कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्र में ही ३०५३ उचित मूल्य वाली दुकानें हैं । पश्चिमी बंगाल के लगभग ९४ लाख व्यक्तियों को अनाज प्राप्त करने के पहचान पत्र दिये गये हैं । इन उचित मूल्य वाली दुकानों को पर्याप्त मात्रा में अनाज दिया गया है । जैसा कि पहले भी कई बार बताया जा चुका है, राज्य सरकार को सितम्बर से दिसम्बर तक के लिये ६५,००० टन चावल दिया गया है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को गेहूं की भी पर्याप्त मात्रा दी जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : सितम्बर की तुलना में इस समय कितनी कीमतें हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : सितम्बर १९५७ में मोटे चावल की कीमत २३.२५ रुपये थी जब कि १९५६ के इसी मास में २०.५० रुपये थी । अगस्त १९५६ में मोटे चावल को कीमत २० रुपये थी और अगस्त १९५७ में २४.२५ रुपये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सरकार को ज्ञात है कि जितना अनाज दिया जा रहा है वह सस्ता अनाज प्राप्त करने वाले 'कार्ड होल्डरों' में बांटने के लिये पर्याप्त नहीं है ?

†**श्री अ० म० थामस** : जी नहीं, यह सब में बांटने के लिये पर्याप्त है । इस समय हम प्रति वयस्क व्यक्ति को प्रति सप्ताह १ सेर चावल तथा १ सेर गेहूं दे रहे हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के अनेक 'कार्ड होल्डरों' को इन दुकानों पर अनाज न होने के कारण अनाज नहीं मिल रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : हमें कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : किन कारणों से कीमतें बढ़ी हैं इसमें सूखे का कितना प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : निःसन्देह सूखे की खबर से भी कीमतों में कुछ वृद्धि हुई है किन्तु ठीक ठीक बताना कठिन है कि सूखे के कारण कितनी वृद्धि हुई है ।

गोखले समिति की रिपोर्ट

\+

†*७१७. **श्री त० ब० विट्ठल राव** :
श्री र० ल० रेड्डी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री मधुसूदन राव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १४१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब गोखले समिति ने बकिंघम नहर का निरीक्षण कर लिया है तथा उस पर अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या सिफारिशें की हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) गोखले समिति ने बकिंघम नहर का निरीक्षण कर लिया है । उसने सरकार को यह सूचना दी है कि उस क्षेत्र के यातायात का विस्तृत सवेक्षण करना आवश्यक है । तभी वह अपनी रिपोर्ट दे सकेगी । यातायात के सर्वेक्षण का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यह सर्वेक्षण कौन कर रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : मेरे विचार में स्थानीय सरकारी अधिकारी हमारे साथ मिल कर यह सर्वेक्षण करेंगे ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या गोखले रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : जब यह दी जायेगी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : योजना अवधि में इस समय तक इन सभी छानबीनों पर कितना रुपया खर्च किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : लगभग ५२,००० रुपये। यह राशि मद्रास तथा आन्ध्र सरकार के जिम्मे कर दी गई थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री र० ल० रेड्डी, सरदार इकबाल सिंह। श्री मधुसूदन राव, श्री चेट्टियार।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या गोखले समिति की रिपोर्ट मिलने पर दूसरी योजना अवधि में इस काम को शुरू कर दिया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : योजना आयोग ने नहर के विस्तार तथा सुधार को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है और उसे योजना में सम्मिलित भी किया है। इस कार्य के लिये द्वितीय योजना में ११५ लाख रुपये का उपबन्ध भी किया गया है और जैसा कि मैंने अभी कहा है, इसमें से ५०,००० रुपया मद्रास तथा आन्ध्र सरकार को प्रारम्भिक जांच के लिये दिया भी जा चुका है। अतः स्पष्ट है कि जैसे ही हमें रिपोर्ट मिल जायेगी हम उसके अनुसार काम शुरू कर देंगे ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि पिछले सत्र में उन्होंने कहा था कि मद्रास सरकार नहर को चौड़ा तथा गहरा करने के बारे में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे रही है ? क्या उसके बाद मद्रास सरकार से कोई उत्तर आया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की की गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार मद्रास तथा आन्ध्र दोनों सरकारों ने नहर के सुधार में कुछ सुझाव दिये हैं। उन्हीं के आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस प्रस्ताव को रखा गया है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस नहर को चौड़ा करने तथा नौवहन के योग्य बनाने का प्रस्ताव यातायात के आधार पर द्वितीय योजना में रखा गया है। वहां का यातायात इस समय युद्धकालीन यातायात से २० गुणा बढ़ गया है। ऐसी हालत में यातायात सर्वेक्षण की क्या आवश्यकता है ? क्या यह यातायात सर्वेक्षण मद्रास तथा आन्ध्र दोनों सरकारों द्वारा किया जायेगा अथवा केवल एक सरकार द्वारा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : हम संयुक्त सर्वेक्षण करना चाहते हैं। इसके लिये रुपया सरकारों को दे दिया गया है । अब सर्वेक्षण शुरू करना शेष है। मेरे विचार में दोनों सरकारों द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण अच्छा रहेगा। मद्रास सरकार के

---

†मूल अंग्रेजी में

बारे में श्री ब० स० मूर्त्ति ने जो कहा है उसमें कुछ तथ्य है । शुरू शुरू में हमें मद्रास सरकार से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला था जबकि आन्ध्र सरकार ने एक रिपोर्ट भेजी थी। तब मैंने मद्रास के मुख्य मंत्री से स्वयं बात की। अब हमें वहां से भी कुछ रिपोर्टें मिली हैं । मैं आशा करता हूं दोनों सरकारों की सहायता से ही सर्वेक्षण होगा।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या केन्द्रीय सरकार के अधिकारी भी दोनों सरकारों के अधिकारियों की सर्वेक्षण तथा अन्य कार्यों में सहायता करेंगे ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मेरे विचार में हमें इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किन्तु यदि उन्होंने इसके लिये कहा तो हमें कोई अधिकारी नियुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश में बिजली लगाने के लिये ऋण

***७१८. श्री भक्त दर्शन :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को व्यवसाय-प्राप्ति के अवसरों की वृद्धि के निमित बिजली की सुविधाओं के विस्तार की योजना के सम्बन्ध में २३५ लाख रुपयों का ऋण दिया गया था;

(ख) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भी कोई ऋण देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितना ऋण दिया जा चुका है; और

(घ) दूसरी योजना की शेष अवधि में उत्तर प्रदेश की सरकार को कितना ऋण दिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रख दिया है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १७]

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश सरकार को जो २ करोड़ ३५ लाख रुपये का कर्जा देना स्वीकार किया गया था अभी तक उसमें से केवल १ करोड़ रुपया खर्चा गया है । मैं जानना चाहता हूं कि इस कार्य में इतनी देरी क्यों हो रही है ।

श्री स० का० पाटिल : जितना उत्तर प्रदेश सरकार ने मांगा उतना दिया गया । एक बार १० लाख रुपया मांगा, दूसरी बार ५० लाख रुपया मांगा और तीसरी बार ४० लाख मांगा । अभी मैं मानता हूं कि इस वर्ष ३० लाख की मांग है और दूसरे बजट में १०८ लाख की मांग है। तो यह योजनायें बनाने का काम तो राज्य सरकार का है।

श्री भक्त दर्शन : यह ऋण इसलिए स्वीकार किया गया था ताकि रोजगार की सम्भावनायें बढ़ायी जा सकें। मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक उत्तर प्रदेश में रोजगार की सम्भावनाओं में कितनी वृद्धि हुई है और आगे के लिए कितना मारजिन रखा गया है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

श्री स० का० पाटिल : वह तो कुछ कर्जा देने का वचन था। इस काम में कितनी वृद्धि हो गयी है यह जानकारी तो मेरे पास इस समय नहीं है। अगर नोटिस मिलेगा तो वह इनफारमेशन लायी जा सकेगी।

राजा महेन्द्र प्रताप : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कुछ जांच करेगी कि यह रुपया कैसे खर्च किया जाता है? मैं कल ही कोसी कलां से होता हुआ गुजरा हूं, वहां पर बड़ी खराब हालत हो गयी है। वहां बिजली काट दी गयी है और जिसको कर्ज दिया गया है उसने बिजली की दर बढ़ा दी है। तो यह देखना जरूरी है कि जिसको कर्ज दिया जाये वह उसका गलत इस्तैमाल न करे। क्या केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार पर यह कैद लगायेगी कि वह गलत आदमियों को कर्जा न दे और यह कैद वह किस तरह से लगायेगी?

श्री स० का० पाटिल : हमने तो कर्जा दिया है। उसे खर्च करना राज्य सरकार का काम है। लेकिन हमको ऐसी कोई खबर नहीं है कि उसका गलत इस्तैमाल हो रहा है।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस रुपये को देने में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जिन इलाकों में अभी तक बिजली नहीं है या जहां बिजली की बहुत कम सुविधा है वहां पर इस रुपये को खर्च किया जाये?

श्री स० का० पाटिल: योजनायें बनाने का काम राज्य सरकार करती है। योजनायें बनती हैं और उनकी स्वीकृति हो जाती है तो लोन दिया जाता है। लेकिन कहां के लिए योजना बनायी जाये, किस गांव या शहर के लिए बनायी जाये यह काम तो हिन्दुस्तान सरकार का नहीं है।

प्रशिक्षणार्थी दाइयों को वृत्तिकाएं[7]

+

†*७२०. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हासदा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १४०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशिक्षणार्थी दाइयों की वृत्तिकाओं की वर्तमान राशि में वृद्धि की जाने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्रियों के गत सम्मेल द्वारा सिफारिश के बारे में कोई निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की है; और

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में कितनी दाइयों को प्रशिक्षण दिया गया था?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). विषय विचाराधीन है।

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्र की सहायता से राज्य सरकारों द्वारा किन्हीं भी दाइयों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

[7]Stipends to *Dai* Trainees.

†श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकार दाइयों की वर्तमान प्रशिक्षण अवधि को बढ़ाना चाहती है ?

†श्री करमरकरः ६ महीने की वर्तमान अवधि पर्याप्त समझी गई है।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकार वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार योजना काल में निर्धारित दाइयों को तैयार करने के लक्ष्य को पूरा कर लेगी ?

†श्री करमरकर : क्या आपका आशय है कि क्या योजना में निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जायेगा ?

†अध्यक्ष महोदय : आपका आशय है निर्धारित संख्या में दाइयों को प्रशिक्षण देने का कार्य पूरा कर लेगी ।

†श्री करमरकर : ऐसी आशा की जाती है।

†श्री ब० स० मूर्त्ति : अस्पताल सहायकों तथा दाइयों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण में क्या अन्तर है ?

†अध्यक्ष महोदय : अस्पतालों की धात्रियों* तथा दाइयों में ?

†श्री ब० स० मूर्त्ति : जी हां।

†श्री करमरकर : इस योजना में केवल गांवों में प्रसाविकाओं का काम कर रहीं अशिक्षित दाइयों को एक प्रकार का प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम पढ़ाना है। हमारी जनसंख्या के ८५ प्रतिशत लोगों को प्रसव काल के दौरान में किसी प्रकार के विशेषज्ञों का परामर्श नहीं प्राप्त होता। इसलिये अब यह योजना बनाई गई है कि गांवों में इस कार्य को कर रहीं अशिक्षित दाइयों को ६ महीने का प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण दिया जाये तथा उन्हें ५० रुपये की उपकरण सामग्री वाला एक थैला दिया जाये तथा उन्हें प्रति प्रसव १ रुपया देकर उनकी सेवाओं में सुधार करने का प्रयास किया जाये।

†डा० सुशीला नायर : यह देखते हुए कि ६ महीने का प्रशिक्षण बड़ा अपर्याप्त है, सरकार इस बात का ध्यान रखने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि इन लड़कियों को भली भांति प्रशिक्षित पब्लिक हैल्थ नर्सों अथवा हेल्थ विजिटरों की देख रेख में रखा जाये ? सरकार को कुछ ज्ञात है कि इनमें से कितनी समुचित अधीक्षण के अधीन काम कर रही हैं और कितनी अपर्याप्त ज्ञान होते हुए भी जनता में काम कर रही हैं।

†श्री करमरकर : कोई भी दाई जनता में अपने आप काम नहीं कर रही है। सभी को हेल्थ विजिटरों की उचित देख भाल में रखा गया है।

†डा० सुशीला नायर : मैं यह जानना चाहती थी कि उन पर प्रशिक्षण के पश्चात् कोई देख रेख रहती है अथवा नहीं, मेरी जानकारी के अनुसार उन में से अधिकांश पर कोई देख रेख नहीं रहती। इसलिये मैं यह चाहती हूं कि जिन को ६ महीने का प्रशिक्षण मिल चुका हो बाद में भी उन पर देख रेख रहनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

*Midwives

†**श्री करमरकर** : जैसा कि मैं कह चुका हूं, अभी यह योजना है कि इन दाइयों को विशेषज्ञ हैल्थ विजिटर के अधीन ६ मास का प्रशिक्षण दिया जाये। हम गांवों में कोई नई दाइयों को नहीं भेज रहे हैं। ये सब ऐसी दाइयां हैं जो पहले से ही गांवों में कार्य कर रही हैं। जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहेंगी उन को ६ महीने का प्रशिक्षण दे कर वापस भेज दिया जायेगा। इस प्रकार वे अपने व्यवसाय में और अच्छी हो जायेंगी। हम उन को ५० रुपये की लागत के विशेष उपकरण भी देंगे। इस सब से उन के कार्य में सुधार करने की हमारी योजना है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में प्रशिक्षित दाइयों में से कितनी दाइयां अभी बेकार हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अभी तक कितनी दाइयों को प्रशिक्षण दिया गया है ?

†**श्री करमरकर** : यह योजना नौकरियां पैदा करने के लिये नहीं बनाई गई है। वे तो अपने गांवों में पहले से ही कार्य में लगी हुई हैं। मैं यह भी बता चुका हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय सहायता से राज्यों ने किन्हीं दाइयों को प्रशिक्षण नहीं दिया है। हम सहायता देने को तैयार हैं किन्तु राज्य सरकारें सहायता नहीं लेना चाहती हैं।

केरल में परिवार आयोजन केन्द्र

†*७२३. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में अभी तक स्थापित किये गये परिवार आयोजन केन्द्रों की कितनी संख्या है;

(ख) परिवार आयोजन का प्रसार करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल राज्य को कितनी रकम निर्धारित की गई है; और

(ग) केरल राज्य में जनसंख्या वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक होने से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने क्या अतिरिक्त कार्यवाही की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). मैं लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखता हूं। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १८]

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि गांवों के महिला वर्ग द्वारा इतनी अल्पसंख्या में परिवार आयोजन केन्द्रों का उपयोग नहीं किया जाता है क्या सरकार उपरोक्त सहायता को उन के घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था पर विचार कर रही है ?

†**श्री करमरकर** : घरों पर सहायता पहुंचाने का प्रश्न इस में निहित नहीं है। भिन्न भिन्न क्लिनिक्स हैं और वे अपने अपने क्षेत्र की जन संख्या की आवश्यकता पूर्ति करते हैं। ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित केन्द्र अच्छा कार्य कर रहे हैं। पिछली बार केरल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था अतः हम आशा करते हैं कि सरकारी परिवार आयोजन केन्द्र भी अपना कार्य कर रहे हैं। यदि कहीं कोई दोष हुआ तो यह माननीय सदस्य से मैं आभारपूर्वक मालूम करूंगा। फिर हम केरल सरकार से इस सम्बन्ध में बात चीत कर सकते हैं।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि सरकार द्वारा संचालित अनेक परिवार आयोजन केन्द्रों की व्यवस्था चिकित्सा निरीक्षण बगैर ही परिचारिकायें करती हैं, और यदि हां, तो इस स्थिति में यथासंभव शीघ्र सुधार करने के लिये सरकार के पास क्या प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर** : हमारा कार्य सहायता प्रदान करना है। मुझे यह मालूम नहीं है कि कुछ राज्यों में उपयुक्त चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि किसी राज्य में समुचित चिकित्सक वर्ग के अभाव में ही परिवार नियोजन क्लिनिक स्थापित कर दी गई हो। फिर योजना के अन्तर्गत उपयुक्त चिकित्सकों की नियुक्ति की शर्त पर ही हम सहायता देते हैं। यदि कोई ऐसी बात हुई तो मैं माननीय सदस्य से बताने की प्रार्थना करूंगा।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में जो केन्द्र विद्यमान हैं वे भी इसी श्रेणी में आते हैं। उन में भी उपयुक्त चिकित्सकों और देख रेख का अभाव है। यह भी सच है कि इन केन्द्रों को प्रभावशाली बनाने के लिये डाक्टरों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यता है। फिर भी इन का कार्य भार केवल परिचारिकाओं पर छोड़ देना कहां तक उचित है ?

†**श्री करमरकर** : दिल्ली प्रशासन द्वारा व्यवस्थित केन्द्रों के सम्बन्ध में उत्तर देने के पूर्व मैं इन की जांच करूंगा और अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत केन्द्रों के बारे में माननीय सदस्य की जानकारी सर्वथा गलत है।

†**श्री दासप्पा** : माननीय मंत्री ने कहा था कि ये केन्द्र केरल में सन्तोषजनक गति से चल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये कब से विद्यमान हैं और क्या इन के परिभाव निर्धारित किये गये हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**श्री करमरकर** : मैं ने यह नहीं कहा था कि सब केन्द्र सन्तोषजनक कार्य कर रहे हैं। माननीय सदस्यों को यह विस्मृत नहीं कर देना चाहिये कि यह नवीन योजना है और इस कार्य में उन की सहानुभूति आवश्यक है। प्रथम वर्ष में जहां भी चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्त्ता जाते हैं वहां अधिक परिणामों की आशा नहीं की जा सकती है। इस में अनुरोध करना पड़ता है। माननीय सदस्यों की सहानुभूति से ही यह काम हो सकता है। लगभग तीन वर्ष बीत जाने पर ही इन के परिणाम निर्धारित किये जायेंगे।

लुधियाना में यह प्रयोग पर्याप्त समय से चल रहा है। वहां पहले तो लोगों ने इस के प्रति उत्साह प्रदर्शित किया फिर संख्या घटती गई तथा इस का पूर्ण परित्याग कर दिया गया। अब तिहाई आबादी ने इसे पुनः अपनाया है। इसे तीन वर्ष हो चुके हैं। हमारे रेकार्ड के अनुसार उन्हें पचास प्रतिशत सफलता मिली है।

बंगलौर के रामनगरम् में भी यह प्रयोग किया जा रहा है। माननीय मित्र इस में सहयोग प्रदान कर इस बात का प्रयन्न करेंगे कि यह सफल हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न केरल से सम्बन्धित है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : वहां पांच शहरी और २४ ग्राम्य क्लिनिक खोले गये हैं। केरल राज्य की भयांकित जनसंख्या वृद्धि को दृष्टिगत करते हुए..........

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रस्तावना क्यों ?

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या सरकार केरल राज्य के प्रत्येक नगर में एक-एक क्लिनिक खोलने की कृपा करेगी ?

†**श्री करमरकर** : यह संदिग्ध है। इस बारे में एक निश्चित कार्यक्रम है। यह योजनाबद्ध कार्यक्रम है और मेरी इच्छा है कि राज्य सरकार इस का पूरा लाभ उठायेगी और माननीय सदस्य इस में पूर्ण सहयोग देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं ....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार के मामलों में हमें प्रश्न अथवा उत्तर का क्षेत्र व्यापक नहीं कर देना चाहिये ।

†**श्री करमरकर** : मैं लोक सभा के सदस्यों से विशेष अपील करता हूं। यह कठिन समस्या है तथा माननीय सदस्यों का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है ।

कृषि मंत्रियों का सम्मेलन, श्रीनगर

+

†*७२४. { **श्री संगण्णा :**
श्री ब० स० मूर्त्ति :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह
कुमारी मो० वेद कुमारी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो :

(क) श्रीनगर में १३ अक्तूबर, १९५७ को कृषि मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशें जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत करली गई हैं; और

(ख) इन की क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १९]**

†**श्री संगण्णा** : क्या राज्य कृषि-मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों पर भारत सरकार ने जो निर्णय किये हैं उन पर , अशोक मेहता समिति की सिफारिशों का कोई प्रभाव हुआ है; और यदि हां, तो किस रूप में यह प्रभाव हुआ है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : सच तो यह है कि राज्य कृषि-मन्त्रियों के सम्मेलन की कुछ सिफारिशें छोटे-छोटे सिंचाई सम्बन्धी प्रश्नों के बारे में हैं। अशोक मेहता समिति ने भी इन्हीं सिफारिशों की पुष्टि की है । हम इन के अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं । हम ने छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये इस वर्ष एक करोड़ रुपये दे दिये हैं। और वहां जाने वाली समिति ने जो सिफारिशें की हैं उन के अनुसार इन अनावृस्टिग्रस्त राज्यों को डेढ़ करोड़ रुपये और दिये जायेंगे ।

†**कुमारी मो० वेद कुमारी** : चूंकि इस सम्मेलन में उर्वरक पर जोर दिया गया है तो क्या इस की वृद्धिगत मांग को ध्यान में रखते हुए आंन्ध्र में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जायेगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : उर्वरक फैक्टरी की स्थापना के बारे में सिफारिश नहीं थी किन्तु समग्र देश की आवश्यकता पूर्ति के लिये अधिक उर्वरक के आयात का प्रश्न था । हम यथासंभव अधिकतम परिमाण में इस के आयात की कोशिश कर रहे हैं ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : उर्वरक का प्रश्न अनेक बार प्रस्तुत हुआ है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीन उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का उपबन्ध है। में नहीं जानता कि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण इसे क्रियान्वित किया जा सकेगा और फिलहाल इस की पूर्ति आयात द्वारा की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : सम्मेलन का आयोजन श्रीनगर में ही क्यों किया गया ? क्या यह मंत्रियों के लिये अभिराम यात्रा थी ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा उठे

†**अध्यक्ष महोदय** : उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोई अवाश्यकता नहीं है जो आरोप मात्र हैं अथवा मजाक की दृष्टि से पूछे गये हैं। आठ लाख से लेकर किन्हीं-किन्हीं स्थितियों में सोलह लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के लिये यह शोभास्पद नहीं है कि वे आरोपजनक अथवा मजाकपूर्ण प्रश्न पूछें क्योंकि उनसे हंसी तो होगी किन्तु प्रश्नों के गम्भीर उत्तर सरीखा कोई परिणाम नहीं निकलेगा ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने और विशेषज्ञों तथा प्रशासकों की समिति स्थापित करने से सम्बन्धित सिफारिशों क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : राष्ट्रीय विकास परिषद् ने भी यही निर्णय किया है कि हमें न्यूनतम कीमतें निश्चित कर देना चाहियें और फिर भारत सरकार ने १५ जुलाई को इस दिशा में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में एक अधिसूचना जारी कर दी थी ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : और विशेषज्ञ समिति ? क्या सिफारिश के अनुसार विशेषज्ञों और प्रशासकों की समिति नियुक्त की गई है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इसमें कोई विशेषज्ञ समिति नहीं है। खाद्य मंत्रालय द्वारा पहले ही एक घोषणा कर दी गई है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय मंत्री ने बताया है कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई के फलस्वरूप उर्वरक निर्माण की फैक्टरियां स्थापित न की जा सकीं और यह भी उन्होंने कहा कि हम उर्वरक विदेशों से मंगा रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं कि इस परिवर्तित कार्यक्रम के नतीजे में विदेशी मुद्रा में कितनी बचत होगी ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : अभी यह मालूम नहीं किया गया है किन्तु फैक्टरी स्थापित करने के लिये काफी रकम चाहिये ।

†**श्री तिरुमल राव** : उर्वरक की इतनी अवाश्यकता है और उसका संभरण कम है तथा विदेशी मुद्रा की स्थिति भी सरल नहीं है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये सरकार विदेशी पूंजी का भारत में आह्वान कर यहां उर्वरक उद्योग स्थापित क्यों नहीं करती है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : पहले यह कार्यक्रम था कि सरकारी उद्योग क्षेत्र में उर्वरक कारखाने की स्थापना की जाये किन्तु अब तक नीति में परिवर्तन कर दिया गया है और यह निर्णय किया गया है कि गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र में भी उर्वरक फैक्टरी स्थापित की जाये ।

गैर-रेलवे स्कूलों के लिये सहायक अनुदान

†*७२५. **श्री पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या गैर रेलवे स्कूलों को, जहां रेलवे कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं, रेलवे राजस्व से सहायक अनुदान देने का उपबन्ध है;

(ख) क्या खड़गपुर स्थित उत्कल विद्यापीठ को सहायक अनुदान मिलता है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या उपरोक्त संस्था को कर्मचारी लाभ निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या उत्कल विद्यापीठ ने रेलवे निधि से आवर्तक अथवा अनावर्तक अनुदान के रूप में सहायता मांगी है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जी, हां । उन्होंने गत वर्ष अनुदान मांगा था किन्तु उनकी प्रार्थना मजूर नहीं की जा सकी । उन्होंने पुनः प्रार्थना की है तथा उस पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री पाणिग्रही :** यह प्रार्थना स्वीकृत क्यों नहीं की गई ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस पर अब विचार किया जा रहा है ।

†**श्री पाणिग्रही :** पिछले वर्ष इन्हें कोई आवर्तक अथवा अनावर्तक अनुदान नहीं मिला ।

†**श्री शाहनवाज खां :** आजकल जो नियम हैं उनके अनुसार केवल हानि म चलने वाली संस्थाओं को ही अनुदान दिया जा रहा है । ऊपर वर्णित संस्था हानि में नहीं चल रही है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** प्रश्न संख्या ७४० के साथ ही प्रश्न संख्या ७२६ भी रख दिया जाये । वे समान ही हैं । दोनों की विषय-वस्तु एक है ।

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** प्रश्न संख्या ७४० का सम्बन्ध खाद्य उत्पादन से है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** दोनों साथ ही लिये जा सकते हैं यदि उत्पादन अधिक है तो आयात की आवश्यकता नहीं है

खाद्यान्नों का आयात

†*७२६. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री त्रि० कु० चौधरी :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास खाद्यान्नों के रक्षित स्टाक की अभी क्या स्थिति है;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में कितना खाद्यान्न आयात करने की योजना है;

(ग) क्या देश में वर्तमान खाद्य अभाव कई राज्यों में अनावृष्टि के परिणामस्वरूप फसल की विनष्टि, और देश में शरद्कालीन खाद्यान्न उत्पादन का अनुदान कर लेने के पश्चात् सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन के बारे में पुनरीक्षित कार्यक्रम तैयार किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इसके लिये आवश्यक खाद्यान्न की अतिरिक्त मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) ७.८ लाख टन ।

(ख) १९५६-५७ और १९५७-५८ के अगले दो वर्षों में लगभ ५०.६० लाख टन खाद्यान्न विदेशों से मंगाया जायेगा ।

(ग) और (घ). आयात सम्बन्धी पुनरीक्षित कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ।

मैं यह भी बता दूं कि मैं ने जिस स्टाक का उल्लेख किया है वह केन्द्रीय सरकार के पास रिजर्व की अवस्था में है। राज्य सरकारों के पास लगभग २५०,००० टन रिजर्व है। इस प्रकार रिजर्व अनाज की कुल मात्रा दस लाख टन से कुछ अधिक है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : आयात कोटे में से अभावग्रस्त क्षेत्रों को और विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार को विशेष कोटा आवंटित किया गया है ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : जी, हां । राज्य सरकारों ने मांग प्रस्तुत की है और हमने इसकी पूर्ति कर दी है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : किन-किन देशों से कितना गेहूं और चावल मंगाया जायेगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : वर्तमान वायदों के अनुसार अथवा जो करार अभी विद्यमान हैं, उनके अनुसार हम १,३३६,००० टन आयात करेंगे जिसमें हमारा समान्य विपणन भी सम्मिलित है। एक जनवरी को गेहूं का स्टाक ६,३०,००० टन होगा और खाद्यान्न की कुल उपलब्धि १,९६६,००० टन होगी। १९५८ की सम्भावित मांग का ध्यान रखते हुये हमें २० लाख टन गेहूं से अधिक तथा अन्य मोटा अनाज मंगाने की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है ।

चालू वायदों के अनुसार हम लगभग ५०७,००० टन चावल मंगायेंगे, ७,००० टन वीयतनाम से और ५ लाख टन बर्मा से । अनुमान है कि देश के भीतर उपलब्ध होने वाली चावल की मात्रा को मिला कर हमारे पास लगभग ९ लाख टन चावल हो जायेंगे और हमें तीन से चार लाख टन चावल मंगाने की आवश्यकता शेष रहेगी ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : इस आयात खाद्यान्न में मोटा अनाज कितना रहेगा ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : हमने यह निश्चित नहीं किया है कि गेहूं तथा मोटा अनाज कितना-कितना रहेगा । यह सब अनाज की उपलब्धि, उनकी कीमत तथा अन्य बातों पर निर्भर है ।

†**श्री झुनझुनवाला** : क्या आयात की व्यवस्था के पूर्व कोई मापदण्ड निर्धारित किया गया था कि अनाज की प्रति व्यक्ति खपत कितने औंस है ?

†**श्री अ० प्र० जैन**: वस्तुत: हमें राज्य सरकारों से हानि के बारे में कुछ निर्धारण प्राप्त हुआ था और आयात फिलहाल इन्हीं न्यूनतम आंकड़ों पर निर्भर है । हमने राज्य सरकारों से भी मालूम किया है कि उनकी कितनी आवश्यकता है और फिर इन प्राक्कलनों के अनुसार ही आयात कार्यक्रम तैयार किया गया है ।

†**श्री त्यागी** : इस वर्ष और आगामी वर्ष जितने खाद्यान्न के आयात का विचार है उसकी कुल कीमत अनुमानतः कितनी होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० प्र० जैन : १००,००० टन खाद्यान्न की कीमत सामान्यतया तीन और चार करोड़ रुपयों के बीच होगी ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : दो वर्षों के लिये कितनी कीमत होगी ?

†श्री अ० प्र० जैन : बीस लाख टन अतिरिक्त आयात की कुल कीमत लगभग ७० करोड़ रुपये होगी ।

†श्री त्यागी : क्या इसका यह अर्थ है कि इस वर्ष कुल ७० करोड़ रुपये की लागत का अनाज आयात किया जायेगा ।

†श्री अ० प्र० जैन : जो कुछ खाद्यान्न आयात कर लिया गया है उसके अतिरिक्त ।

†श्री त्यागी : लेकिन आयात किये जाने वाले खाद्यान्न की कुल कितनी कीमत है ?

†श्री अ० प्र० जैन : क्या माननीय सदस्य का अभिप्राय १९५७ से है ?

†श्री त्यागी : वित्तीय वर्ष से है ।

†श्री अ० प्र० जैन : यह अभी तक ८० करोड़ रुपये अथवा ९० करोड़ रुपये हो सकते हैं । मैं मोटा अनुमान बता रहा हूं ।

†श्रीमती मंजुला देवी : हम किन किन देशों से खाद्यान्न मंगा रहे हैं और प्रत्येक देश से कितना कितना मंगाया जायेगा ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य इसकी सूची चाहते हैं ? कुल मात्रा बता दी गई थी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अभी आनरेबल मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि स्टेट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन के बेसिस पर इम्पोर्ट के वास्ते आर्डर दिया जाता है । मैं पूछना चाहता हूं कि किस सूबे की कितनी रिक्वायरमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोई स्क्रूटिनी की जाती है, और आया कि रिक्वायरमेंट दुरुस्त है या नहीं ?

श्री अ० प्र० जैन : जी हां, उन से बात चीत कर के पूरी जांच पड़ताल की जाती है । इस बात का हम भी अन्दाजा लगाते हैं कि हमारे पास कितना गेहूं और कितना चावल मौजूद होगा, और उस के बाद हम उन को देते हैं ।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : बर्मा से मंगाये जाने वाले चावल की मात्रा और कीमत कितनी होगी ?

†श्री अ० प्र० जैन : ५,००,००० टन ।

†अध्यक्ष महोदय : और इसकी कीमत ?

†श्री अ० प्र० जैन : यह लगभग ३५० रुपये से ४०० रुपये प्रति टन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

द्विभाषी टेलीप्रिंटर

+

†*७२७. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वाजपेयी : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक जापानी फर्म ने अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं के टेलीप्रिंटर का आविष्कार किया है और नई दिल्ली में हाल ही में उसका प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हां, क्या सरकार ने भारत में इन मशीनों के उपयोग की संभावना का परीक्षण किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, हां ।

(ख) मशीन की उपयोगिता के सम्बन्ध में प्रयोग एवं परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री वाजपेयी : इस सम्बन्ध में जो प्रयोग किए जा रहे हैं उन के कब तक समाप्त होने की आशा है ?

श्री राज बहादुर : निश्चित समय तो नहीं दे सकता, लेकिन इसको चलाने से पहले जांच करनी होगी कि पांच यूनिट कोड या छः यूनिट कोड वाले यंत्र में से हमारी आवश्यकता के लिए कौन सा अधिक उपयुक्त है ।

श्री वाजपेयी : क्या यह सच है कि अभी हिन्दी और इंग्लिश के टेलिप्रिंटरों की मशीनों का जो किराया लिया जा रहा है उन की वसूली के माप दंड अलग अलग हैं ? और यदि यह सच है तो इस का क्या कारण है ?

श्री राज बहादुर : हिन्दी के टेलीप्रिंटरों के किराये इम्तहानन कम रक्खे गए थे, इसलिए कि वह ज्यादा चालू हो सकें।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि हिन्दुस्तान में जो हिन्दी के टेलीप्रिंटर बन रहे हैं और जो नई मशीनें जापान से आई हैं, उन की कीमतों में क्या अन्तर है ?

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य को यह ज्ञात होगा कि हम कोई हिन्दी टेलिप्रिंटर बना नहीं रहे हैं, जो अंग्रेजी के टेलिप्रिंटर थे उन को हिन्दी में परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही थी, और की जा रही है ।

श्री भक्त दर्शन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि दोनों की कीमतों में क्या अन्तर है ?

श्री राज बहादुर : टैलिप्रिंटर्स बनाये ही नहीं जा रहे हैं तो मूल्यों में अन्तर का सवाल ही क्या होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ईस्टर्न रेलवे प्रेस

†*७२८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रेलवे मंत्री ३ सितम्बर, १९५७ के ईस्टर्न रेलवे प्रेस से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या १४१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईस्टर्न रेलवे प्रेस में भ्रष्टाचार के बारे में जांच समिति के प्रतिवेदन का परीक्षण समाप्त कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रेस के तीन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह जांच रेलवे सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई थी अथवा विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा की गई थी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जूनियर प्रशासनिक संवर्ग के दो अधिकारियों ने जांच की थी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या श्रमिकों और अधिकारियों—सबसे यह पूछताछ की गई थी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जहां तक हमें मालूम है उन्होंने पूर्ण और व्यापक जांच की थी और विभिन्न विचार वाले व्यक्तियों से परामर्श किया गया था ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : किन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूं किन्तु तीन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या सुपरिन्टेन्डेन्ट के विरुद्ध कार्यवाही की गई है क्योंकि उन पर आरोप लगाये गये थे ।

†**श्री शाहनवाज खां** : सुपरिण्टेण्डेण्ट के विरुद्ध लगाये गये किसी भी अपराध को सिद्ध नहीं किया जा सका ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : फिर सुपरिण्टेण्डेण्ट को ईस्टर्न रेलवे प्रेस से सेन्ट्रल रेलवे प्रेस में स्थानान्तरित क्यों कर दिया गया ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : प्रशासनिक कारणों पर।

---

†मूल अंग्रेजी में

विद्यार्थी रियायती टिकट

†*७२६. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में रेलवे प्रशासन ने रेल यात्रा के लिये विद्यार्थी रियायती टिकटों की धांधली पकड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो धांधली में कौन लोग शामिल थे और उनका कार्य करने का तरीका क्या था ; और

(ग) इस धांधली को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) यह देखा गया कि बम्बई की कुछ व्यापारिक संस्थाओं ने उपनगरीय मौसमी विद्यार्थी रियायती टिकटों का दुरुपयोग किया था ।

(ख) कुछ व्यापारिक संस्थाओं ने, जो अल्प-अवधि पाठयक्रम चला रही थी, बिना सोचे समझे विद्यार्थी प्रमाण पत्र जाली किये जा रही थी ।

(ग) रेलवे विभाग ने बम्बई राज्य के शिक्षा विभाग से परामर्श करके यह रियायत केवल उन्हीं संस्थाओं के विद्यार्थियों तक सीमित कर दी है जो उम्मीदवारों को सरकारी डिप्लोमा परीक्षाओं के लिये तैयार करती हैं ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या यह सच नहीं कि ये टिकट जारी करने का तरीका बदलने का सुझाव दिया गया था ?

†**श्री शाहनवाज खां** : तरीका बदलने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या यह केवल बम्बई तक ही सीमित है ?

विद्यार्थियों द्वारा बिना टिकट यात्रा

*७३१. **श्री वाजपेयी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे स्टेशनों और रेल गाड़ियों में विद्यार्थियों के बिना टिकट प्रवेश और उससे होने वाले उपद्रवों को रोकने के लिये सरकार किन विशेष उपायों को अपनाने पर विचार कर रही है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : बिना टिकट प्लेटफार्म में दाखिल होने और बिना टिकट रेल में सफर करने की रोक थाम के लिए आम तौर पर जो कार्यवाइयां की जाती हैं वे सब बिना टिकट चलने वाले सभी मुसाफिरों के खिलाफ की जाती हैं जिनमें विद्यार्थी भी शामिल हैं । इसके अलावा कुछ इलाकों में, जहां विद्यार्थी बिना टिकट ज्यादा चलते हैं, कुछ खास कार्रवाइयां भी की गयी हैं । जिनका बयान सभा पटल पर रख दिया आगे है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २०]** अब तक जो उपाय बरते गये हैं वे आगे भी जारी रहेंगे और उन पर ज्यादा मुस्तैदी से अमल किया जायेगा ।

---

†मल अंग्रेजी में

श्री वाजपेयी : वे कौन से खास इलाकें हैं जिनमें विद्यार्थी अधिक संख्या में बिना टिकट आते जाते पाये जाते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : वे खास कर बिहार और उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं ।

श्री वाजपेयी : क्या सरकार इस सम्बन्ध में विद्यार्थी संस्थाओं और विद्यार्थी संगठनों का सहयोग प्राप्त करने का विचार रखती है ?

श्री शाहनवाज खां : जी ऐसा किया गया है और जहां यह चीज ज्यादा रूप में है वहां के इंस्टीट्यूशन्स के प्रिंसिपल्स से दरख्वास्त की गयी है कि जो तालिबेइल्म आते जाते हैं उनसे वे कहें कि वे पासेज बनवावें ।

पूर्वोत्तर रेलवे में सहायक वाणिज्य निरीक्षक (असिस्टेंट कामर्शल इंस्पैक्टर)

†*७३२. **श्री यादव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ एक मास की अवधि में ही पूर्वोत्तर रेलवे में सहायक वाणिज्य निरीक्षक (असिस्टेंट कामर्शल इंस्पैक्टर) नियुक्त करने के लिये तीन अलग अलग तरीके अपनाये गये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब जो तरीका अपनाया गया है वह पूर्वोत्तर रेलवे के वर्गों के पदोन्नति क्षेत्र सम्बन्धी नियमों के अनुकूल नहीं है ; और

(ग) क्या सरकार पहले निर्णय रद्द कर के नियमों के अनुसार फिर से भर्ती करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). रेलवे प्रशासन से तथ्य मांगे गये हैं और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे ।

पंजाब में उद्यानकर्मों[*] का विकास

†*७३४. { **श्री हेम राज** :
श्री दलजीत सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ और १९५७-५८ में केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को उद्यानकर्म विकास के लिये कितनी राज्य सहायता अथवा अनुदान मंजूर किये ;

(ख) मंजूर की गई राशि में से पंजाब सरकार ने १९५६-५७ में कितनी राशि खर्च की ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के पास सेब का रस निकालने वाले कारखाने की स्थापना के बारे में अभ्यावेदन पहुंचा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

*Horti culture

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) १६५६-५७ और १६५७-५८ में केन्द्रीय सरकार ने पंजाब की औद्यानिक विकास योजनाओं के लिये राज्य सहायता के रूप में क्रमश:४५,८१० रुपये और १,१४,६६० रुपये की राशियां मंजूर की थीं।

(ख) मंजर की गई राशि में से पंजाब सरकार ने ८,००० रुपये खर्च किये।

(ग) जी नहीं।

†**श्री हेम राज** : जो राशि बची थी क्या वह पंजाब राज्य को १६५६-५७ के लिये दे दी गई थी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मेरे ख्याल से बचा तो कुछ नहीं।

खाद्य अपमिश्रण

†*७३५. **श्री नरसिंहन** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि खेसारी दाल, जोकि एक जहरीली वस्तु है, खाद्य पदार्थों में मिलाई जाती है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इस के प्रयोग से बाजू और टांगों में ऐसा लकवा हो जाता है जिस का कोई इलाज नहीं हो सकता ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान १ सितम्बर, १६५७ के 'हिन्दू' के प्रमुख लेख में दिये गये सुझावों की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(घ) क्या इस हानिकर वस्तु की काश्त और विक्रय निषिद्ध करने के लिये कोई कार्यवाही की जायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) रुजालय[1] में प्रयोग कर के यह बात सिद्ध नहीं की गई है कि जो लोग दैनिक भोजन में खेसारी दाल खाते हैं उन के बाजू और टांगों में लकवा हो जाता है। रुजालय में और साधारण अनुसंधान किया जा रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) यह विचार है कि यदि सम्भव हुआ तो प्रचार द्वारा और यदि आवश्यक हुआ तो विधान द्वारा खेसारी दाल की काश्त बन्द कर दी जायेगी।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १६५४ के अन्तर्गत कुछ राज्यों में खेसारी दाल का विक्रय प्रतिषिद्ध करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री नरसिंहन** : इस जहरीली वस्तु की काश्त किन किन राज्यों में होती है ?

†**श्री करमरकर** : जहरीली नहीं वल्कि अवांछनीय। मेरे बिहारी मित्र का कहना है कि यह अवांछनीय है। परन्तु खाद्य तथ्य कृषि मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसे निरुत्साहित किया जाना चाहिये और बाद में इसे प्रतिषिद्ध कर देना चाहिये।

---

† मूल अंग्रेजी में

मद्रास राज्य ने इस के प्रतिषेध करने को कहा है और यह आदेश दिया है कि अन्य खाद्य वस्तुओं में भी खेसारी दाल अपमिश्रित न की जाये। हमारे कहने करने पर अन्य राज्यों में भी इस बात का प्रचार करने के लिये परिपत्र जारी किये गये कि खेसारी दाल के प्रयोग से बड़ी हानि होती है।

†**श्री नरसिंहन्** : इन अवांछनीय वस्तुओं की उपज और विक्रय कहां होता है?

†**श्री करमरकर** : बिहार, विंध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में।

†**श्री पट्टाभिरामन्** : क्या यह सच नहीं कि मद्रास सरकार ने खाद्य के जहरीला हो जाने और इस से लकवा होने के कारण इस दाल का विक्रय प्रतिषिद्ध कर दिया है?

†**श्री करमरकर** : जी हां, मद्रास सरकार ने इसे प्रतिषिद्ध कर दिया था परन्तु बाद में उन नियमों का पुनरीक्षण किया गया जिन के अन्तर्गत उसे प्रतिषिद्ध किया गया था और पुनरीक्षित नियमों अर्थात् १९५५ के खाद्य अपमिश्रण नियमों के अधीन इस प्रकार कोई वस्तु प्रतिषिद्ध नहीं की जा सकती थी, यही उन की कठिनाई थी।

†**श्री नरसिंहन्** : इस से कहां तक हानि पहुंचती है इस बात की जांच कौन से वैज्ञानिक प्राधिकारी कर रहे हैं?

†**श्री करमरकर** : बहुत से निकाय यह कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में इस पर विचार किया गया था और हमारे विचार से इस दाल के उत्पादन को प्रोत्साहन देना ठीक नहीं है; परन्तु खाद्य प्रमाप समिति का विचार है कि यदि कम मात्रा में इसे इस्तेमाल किया जाये तो स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं पहुंचेगी।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञों के पास इस दाल के गुणों का परीक्षण करने और यह विश्लेषण करने की कोई योजना है कि इस के प्रयोग से लोगों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है?

†**श्री करमरकर**: जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं इस की जांच हो रही है परन्तु स्वास्थ्य मंत्रालय में जो जांच की गई है उस से पता चलता है कि इस दाल का उत्पादन रोकना आवश्यक है। खाद्य तथा कृषि मंत्री ने भी कहा है कि यदि सम्भव हुआ तो प्रचार द्वारा और यदि आवश्यक हुआ तो विधान द्वारा खेसारी दाल का उत्पादन रोकना ही पड़ेगा। राज्यों को भी सूचित किया जा रहा है और तत्कालिक कार्यवाही तो यही हो सकती है कि इस के खिलाफ प्रचार किया जाये।

†**श्री ईश्वर अय्यर** : क्या किसी प्रयोग द्वारा दाल का ज़हरीला अंश अलग किया गया है?

†**श्री करमरकर** : ये प्रयोग चूहों पर किये गये हैं। (**अन्तर्बाधायें**) हम अवांछनीय वस्तुओं के प्रयोग मनुष्य पर नहीं करते हैं। गवेषणा के अलग अलग तरीके होते हैं। जिन जानवरों को यह दाल खिलाई गई थी उन्हें कोई हानि तो नहीं पहुंची। परन्तु साधारण राय यही है—और जब तक किसी विशेषज्ञ की राय नहीं मिलती तब तक हमें उस राय के अनुसार ही चलना पड़ेगा—कि इस दाल का उत्पादन करना और इस का विक्रय करना अवांछनीय है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन का प्रश्न यह था कि क्या इस दाल में से जहरीले अंश को अलग करने के लिये कोई प्रयोग किया गया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर** : साधारण तरीका यह है कि जहरीली वस्तु को अलग नहीं किया जाता। यह इतना सरल नहीं है। किसी जानवर को वह वस्तु खिला कर देखा जाता है कि मनुष्य पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसी वस्तुओं की गवेषणा करने का यही एक सर्वमान्य तरीका है। हमारा उद्देश्य यह नहीं होता है कि जहरीली वस्तु का विश्लेषण ही करते जायें।

जापान में मत्स्यग्रहण उद्योग के कार्य का अध्ययन

†*७३७. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल हीं में सरकार ने जापान में मीन क्षेत्रों के अध्ययन के लिये पदाधिकारियों का एक दल भेजा था ;

(ख) क्या उस दल ने कोई प्रतिवदन प्रस्तुत किया है ; और

(ग) दल को भेजने पर कुल कितना खर्च किया गया ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां।

(ख) अभी नहीं।

(ग) भारत सरकार ने इस दल को जापान भेजने पर कोई खर्च नहीं किया है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा और जापान में भत्ते आदि पर कोलम्बो योजना के अन्तर्गत जापान सरकार ने ही खर्च किया था। देश में ही उस स्थान तक पहुंचने पर, जहां से जहाज़ रवाना हुआ, राज्य सरकारों ने खर्च किया।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या ऐसा कोई सुझाव था कि उन जापानी विनियोक्ताओं को विशेष सुविधायें दी जायें जो भारतीय उपक्रमों को सहयोग देंगे और यदि हां, तो उन्हें किन विशेष शर्तों की प्रत्याभूति दी गई है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : जब वे पदाधिकारी भारत से जा रहे थे तब हम ने उन्हें हिदायतें दी थीं कि वे इस बात को याद रखें कि क्या जापानी मीन क्षेत्र उद्योगपति हमारे समुंद्री तट पर और हमारे उद्योगपतियों को सहयोग देते हुए काम करेंगे और क्या उस से लाभ होगा।

†**श्री वें० प० नायर** : यह देखते हुए कि जापानी जहाज हिन्द महासागर से बहुत सी दूना मछली पकड़ कर ले जाते हैं और अमरीकन बाजारों में उन्हें इसका काफी मूल्य प्राप्त होता है क्या सरकार ने उस दल को जापानी विशेषज्ञों से दूना मीन क्षेत्र आरम्भ करने के तरीके का पता लगाने की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिये कहा था और क्या वह दल उसकी टैकनीक का पता लगाने में सफल रहा है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : वस्तुतः हम जापानियों का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं ताकि दूना और अन्य मछलियों से जो लाभ प्राप्त होता है वह भारत को मिले और हम उन से बातचीत कर रहे हैं कि वे हमारे तट पर समवाय आरम्भ करें।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या माननीय मंत्री ने शिष्टमंडल की वापसी पर उसके नेता से अनौपचारिक रूप से बात चीत की थी और यदि हां, तो क्या यह सम्भव है कि भारत में मीन क्षेत्रों के विकास में सहायता देने के लिये जापान से वित्तीय सहायता मिले ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : प्रधान मंत्री की जापान यात्रा के बाद यह सम्भावना हो गई है कि इस मामले में पूरा सहयोग मिले और हम जापानी मीन क्षेत्र को भारतीय उद्योग की सहायता के लिये निमंत्रण भेजने के लिये विचार कर रहे हैं ।

हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवा

***७४१. श्री नेक राम नेगी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवा के सोलनढल्ली क्षेत्र के ११० कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस दे दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) इन कर्मचारियों ने परिवहन विभाग में कितने समय तक सेवा की है ; और

(घ) क्या उनमें से कोई हिमाचल प्रदेश परिवहन मजदूर संघ का सदस्य अथवा पदाधिकारी है ;

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (घ). अपेक्षित सूचना के लिये एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २१**]

†**श्री ब० स० मूर्ति** : श्रीमान , प्रश्न संख्या ७४० का उत्तर नहीं दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने उन्हें उत्तर देने को कहा था ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : परन्तु उन्होंने उस समय उत्तर नहीं दिया ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : आप ने उसे अनियमित बताया था ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : उन्हों ने अनियमित नहीं बताया । मंत्री ने उत्तर नहीं दिया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने कहा था कि आयात देश में होने वाले खाद्य के उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है । यदि इसका उत्तर नहीं दियाा हो तो अब दे दिया जाये ।

खाद्य उत्पादन

†***७४०. श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अतिरिक्त दरम्याने दर्जे की सिंचाई योजनाओं के निर्माण के लिये जिस से कि भारत में खाद्य का उत्पादन बढ़ सके कोई आवंटन किया गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : जहां तक द्वितीय पंच वर्षीय योजना का सम्बन्ध है इसके अतिरिक्त और किसी दरम्याने दर्जे की सिंचाई योजना का निर्माण नहीं किया जायेगा परन्तु जहां तक सिंचाई कार्य का सम्बन्ध है सम्भव है कि खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के विचार से कुछ राज्यों में अतिरिक्त योजनाओं पर भी विचार किया जाये पर उन योजनाओं को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सिंचाई सम्बन्धी अधिक से अधिक जितना कार्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, है उसके अन्दर रखा जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : किन राज्यों में ऐसी सिंचाई परियोजनाओं पर विचार हो रहा है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : लगभग सभी राज्यों में; विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों में जहां उत्तर की अपेक्षा दरम्यानी और छोटी सिंचाई योजनाओं के निर्माण की सम्भावना अधिक है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : इन अतिरिक्त परियोजनाओं पर कितनी लागत का अनुमान है ;

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हम न द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत अधिक अन्न उपजाओं के अधीन सिंचाई कार्यों के लिये ५० करोड़ रुपया अलग रख दिया है। क्यों कि इसके लिये बहुत रुपये की आवश्यकता है इस लिये कृषि के क्षेत्र में जो बचत होगी उसे छोटे सिंचाई कार्यों में लगाया जायेगा।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा**: न्यूनता के कुछ क्षेत्रों में दरम्याने दर्जे की योजनायें क्रय शक्ति बढ़ाने और सिंचाई की सुविधायें देने के उद्देश्य से चालू की जा रही हैं। जहां वे पहले ही द्वितीय पंच वर्षीय योजना में नहीं हैं वहां की स्थिति क्या होगी।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : वर्तमान स्थिति यह है कि हम छोटी सिंचाई योजनाओं को अधिक महत्व देना चाहते हैं और जब कहीं से बचत होगी तो हम उसे इन्हीं में लगाना चाहेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बाढ़ नियंत्रण योजना

†*७१९. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने गंगा, घागरा, गंडक, राप्ती आदि नदियों में बाढ़ नियंत्रण के लिये कोई बृहत्त योजना बनाई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : श्रीमान, अभी नहीं।

चीनी का निर्यात

†*७२१. **श्री अब्दुल सलाम** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस चीनी की किस्म और उसकी पैकिंग के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं जो भारतीय चीनी मिल सन्था ने मलाया आदि देशों को निर्यात की थी और क्या उसे समय पर न भेजे जा सकने के कारण मांग वापस ले ली गई ;

(ख) क्या इसका यह कारण था कि संथा ठीक प्रकार नियंत्रण नहीं कर सकी ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) से (ग). विदेशों को निर्यात की गई चीनी की किस्म और उसकी पैकिंग के बारे में सरकार को नहीं भारतीय चीनी मिल सन्था को शिकायत मिली थीं। जांच करने पर पता चला कि शिकायतों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता क्योंकि चीनी का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सर्वेक्षणों द्वारा उसकी किस्म और पैकिंग का निरीक्षण करने के बाद जैसा कि संविदा में तय हुआ, किया गया था। हाल ही में विदेशी खरीदारों द्वारा कुछ व्ययादेश वापस ले लिये गये क्योंकि संविदा में उल्लिखित मात्रा पत्तनों में भीड़ और मौसम की खराबी के कारण निश्चित अवधि में नहीं भेजी जा सकी।

सर्वोदय सहयोग समितियां

†*७२२. **श्री हेडा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वोदय सिद्धान्तों पर आधारित सहकारी खेती बाड़ी आरम्भ करने के लिये सर्वोदय सहयोग समितियों को सरकार क्या सहायता और सहयोग देना चाहती है ; और

(ख) क्या सरकार सर्वोदय कार्यकर्ताओं विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार की गतिविधियों में कोई समन्वय करने में सफल रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) भारत सरकार सहकारी खेती के प्रश्न पर विचार कर रही है। बनाय गये नियमों के अन्तर्गत सर्वोदय सहयोग समितियों को जितनी केन्द्रीय सहायता की जा सकती है उतनी दी जायेगी।

(ख) इस विषय में नीति पर विचार किया जा रहा है।

नये हवाई अड्डों का निर्माण

*७३०. **श्री ह० चं० शर्मा :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हलद्वानी (उत्तर प्रदेश), नवगांव (पश्चिमी बंगाल) और रत्नागिरी (बम्बई) में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नये हवाई अड्डों को बनाने का काम योजना के अनुसार चल रहा है ; और

(ख) इन हवाई अड्डों का निर्माण कार्य कब तक समाप्त होने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). ३१-१०-५७ तक हलद्वोनी में हवाई अड्डे के निर्माण में जितनी प्रगति हुई है उसका विवरण सभा के पटल पर रखा जा रहा है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २२]** यह हवाई अड्डा नियमितरूप से उपयोग में लाने के लिये १९५८ के अन्त तक उपलब्ध हो जायगा। आर्थिक कारणों से नवगांव और रत्नागिरी में हवाई अडडों के बनाने के काम में प्रगति नहीं हो सकी है।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

तार घरों का खोला जाना

†*७३३. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला फीरोजपुर के फीरोजपुर, गुरूहरसहाय, जलालाबाद, मम्दीड लेक्हेवाली, मंडी रोड़ा वाली, बारू वाली तथा लटुरा की जनता और व्यापारियों से सरकार को कोई अभ्यावेदन मिले हैं कि इन स्थानों पर तार घर और सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, **अनुबन्ध संख्या** २३]

गन्ना

†*७३६. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस उद्देश्य से गन्ना उत्पादकों को कोई बोनस देने का विचार है कि उन्हें बढ़िया किस्म का गन्ना बीजने में प्रोत्साहन मिले ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मौसम में उस योजना को लागू किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). कानूनी तौर पर ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है कि गन्ना उत्पादकों को बढ़िया किस्म के गन्ने की पैदावार करने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये बोनस दिया जाये। परन्तु प्रयोगात्मक रूप से एक योजना चालू की जा रही है जिससे यह देखा जायेगा कि क्या कोई ऐसी तरकीब निकाली जा सकती है जिस से काश्तकारों को गन्ने का मूल्य उसकी किस्म के अनुसार किया जाये। यह योजना अभी प्रयोगात्मक अवस्था में है। १९५६–७ के गन्ना पेरने के मौसम में ९ कारखानों में इसे आजमाया गया था और सम्भव है कि चालू मौसम में इसे आजमाया जाये। इस प्रयोग के परिणामों का व्योरा २४ जुलाई १९ के श्री मुरारका के तारांकित प्रश्न संख्या ३१० के उत्तर में सभा पटल पर रखा गया था।

रेलवे के पहरेदार की मृत्यु

†*७३८. **श्री तंगामणि :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन में रात को पहरा देने वाला एक व्यक्ति तिरुमंगलम के निकट और एक वरायकुदी के निकट नौकरी देते देते मर गया ;

(ख) क्या इन दोनों की मृत्यु किन्हीं दुर्घटनाओं के कारण हुई ;

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ; और

(घ) क्या मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को कोई प्रतिकर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २४]

मीन क्षेत्र विकास के लिये कनाडा की सहायता

†*७३९. **श्री सुब्बया अम्बलम् :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में तूतिकोरिन स्थान पर मीन क्षेत्र विकास परियोजना के लिये जो सहायता मिलने वाली थी वह नहीं मिली ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार जापान आदि अन्य देशों से ऐसी सहायता प्राप्त करने के लिये बातचीत कर रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) कनाडा ने मीन क्षेत्र विभाग के संसाधन बड़े सीमित थे जो कि उनके अपने देश में ही मीन क्षेत्रों के विकास में लग गये ।

(ग) नहीं श्रीमान् ।

गिर जंगल के शेर

†*७४२. **श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २२ फरवरी १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गिर जंगल के रहने वाले शेरों की नसल को बचाने के लिये क्या किया गया है ;

(ख) यह कार्यवाही कहां तक सफल रही है ; और

(ग) क्या उनकी बरबादी का भय अब टल गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) (१) गिर जंगल को एक सुरक्षित वन घोषित कर दिया गया है और उस में तमाम वर्ष भर शिकार खेलना बन्द कर दिया गया है (२) गिर के जंगल में रहने वाले शेरों के लिये उत्तर प्रदेश में वाराणसी के समीप चन्द्रप्रभा नामक एक दूसरा सुरक्षित जंगल ढूंढ़ लिया गया है ;

(ख) अब खबर मिली है कि शेरों की संख्या बढ़ रही है ।

(ग) जी हां ।

हल्दी का निर्यात

†*७४३. **कुमारी मो० वेद कुमारी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र से पाकिस्तान को भेजी जाने वाली हल्दी के निर्यात की अब क्या स्थिति है जबकि उसकी कीमत बहुत गिर गई है और उसका किसानों पर काफी प्रभाव पड़ा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : हल्दी का निर्यात निर्बाध है । उस पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध अथवा शर्तें नहीं लगाई गई हैं । भारत के विभिन्न राज्यों से पाकिस्तान तथा अन्य देशों की कितनी हल्दी निर्यात होती है इस संबंध में कोई आंकड़े नहीं इकट्ठे किये जाते हैं । समस्त भारत से पाकिस्तान तथा अन्य देशों को जाने वाली हल्दी के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

**(टनों में)

	१९५४–५५	१९५५–५६	१९५६–५७
पाकिस्तान को . . .	१०९६	१२०४	२२३१
सभी देशों को . . .	६८३८	७५५६	१०४०७

**१९५६–५७ के आंकड़े केवल ९ महीनों के लिये हैं।

१९५६–५७ में विशेषतया इसका निर्यात बढ़ रहा है । इसकी कीमत की कमी का कारण देश में इस फसल का अधिक उत्पादन है । अंशतः संसार के बाजारों में हल्दी के कीमतों के गिरने के कारण भी यह कमी हुई है ।

रेलवे डाक सेवा विभाग

†*७४४. **श्री वें० च० मलिक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे डाक विभागों का प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों में वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : ऐसे रेलवे डाक सेवा (आर० एस० एस०) डिवीजन जिनमें सार्टरों की संख्या (कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी देने के लिये रखे गये अतिरिक्त कर्मचारियों को मिलाकर) २५० से ऊपर होती है उन्हें प्रथम श्रेणी का विभाग माना जाता है, शेष को द्वितीय श्रेणी का ।

पाकिस्तान जाने की इच्छा व्यक्त करने वाले रेलवे कर्मचारी

†*७४५. **श्री बालकृष्णन वासनिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ऐसे अनेक रेलवे कर्मचारियों को, जिन्हों ने पहले तो पाकिस्तान जाने की इच्छा व्यक्त की और बाद में भारतीय रेलों के बने रहने की इच्छा प्रकट की, दोबारा भारतीय रेलों में—खास कर पूर्व रेलवे में—नौकरी नहीं दी गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : जी नहीं । ऐसे सभी कर्मचारी जिन्हों ने अस्थायी रूप से पाकिस्तान जाने की इच्छा प्रकट की थी और जिन्हों ने १५-२-१९४८ से पहले पहले अपने विचार को बदल दिया, रख लिया गया है । जिन लोगों ने अन्तिम रूप से पाकिस्तान जाने की इच्छा व्यक्त की थी किन्तु जो गये नहीं उन में से जिन लोगों ने दोबारा यहां पर नौकरी के लिये प्रार्थना पत्र दिये उन के लिये यह शर्त रखी गई है कि अगर स्थान खाली हों और उन्हें योग्य पाया जाये तो उन को भी नौकरियां दी जायें । ऐसे लोगों के विषय में जिन्हों ने अन्तिम रूप से पाकिस्तान

†मूल अंग्रेजी में

जाने की इच्छा व्यक्त की थी और जो वहां पर चले गये थे किन्तु जो बाद में भारत लौट आये और जिन्हों ने रेलवे मंत्रालय को फिर से दोबारा नौकरी देने देने के लिये कहा, रेलवे मंत्रालय ने यह निश्चय किया है कि उन के आवेदन-पत्रों पर भी सहानुभूतिपूर्वक गौर किया जाये और उन्हें भी योग्य पाने पर रेलवे में नौकरियां दी जायें ।

रेल का पुल

†*७४६. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे पर बिल्लौर और अरौल माकनपुर रेलवे स्टेशनों के बीच जो रेल का पुल है वह कितना पुराना है ;

(ख) पिछली बार रेलवे इंजीनियरिंग विभाग द्वारा उस का कब निरीक्षण हुआ था ; और

(ग) क्या सरकार को उस पुल की मज़बूती के सम्बन्ध में सन्तोष है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) सम्भवतया निर्देशित पुल ३५/०—१ मील पर 'ईसन नदी' का पुल है । यदि उसी पुल से आशय हैं तो उस पुल की चुनाई वगैरह ७६ वर्ष पुरानी है और उस पर जो इस्पात का जंगला है वह २२ वर्ष पुराना है ।

(ख) पिछली बार पुल का निरीक्षण अगस्त, १९५७ में हुआ था । यह निरीक्षण पूर्वोत्तर रेलवे के पुलों के सहायक इंजीनियर द्वारा किया गया था ।

(ग) जी हां ।

आसाम ट्रंक रोड को क्षति

†*७४७. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवसागर और डिब्रगढ़ के बीच आसाम ट्रंक रोड (राष्ट्रीय राजपथ) को सितम्बर १९५७ में किसी किस्म की क्षति पहुंची थी ;

(ख) यदि हां, तो उस के कारण ; और

(ग) इस सम्म्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) राजामई चाय एस्टेट से डीमऊ चराली के बीच की सड़क के टुकड़े की सतह को मिट्टी डाल कर कुछ ऊंचा कर दिया गया है क्योंकि यह बरसातों में प्राय: पानी में डूब जाया करता था और उस के कारण कई ऋतुओं में सड़क का यातायात बन्द करना पड़ता था ।

(ग) अब वहां पर मिट्टी ठीक तरह से जम गई है और भविष्य में अब इस तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में डाक घर

†*७४८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सर्कल के सभी श्रेणी के डाक घर किराये की इमारतों में हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस सर्कल में सभी जिला स्थानों पर डाक घरों की इमारते बनाने के लिये भूमि अर्जन करने की कोई योजना है ;

(घ) क्या इस सर्कल में डाक घरों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिये मकान बनाने की भी कोई योजना है ; और

(ङ) यदि हां तो उस की रूपरेखा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ङ). एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २५]**

पन्द्रहवां विश्व शाकाहारी सम्मेलन

†*७४६. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल ही में बम्बई में हुए पन्द्रहवें विश्व शाकाहारी सम्मेलन में कोई दिलचस्पी ली है और उस में किसी किस्म का भाग लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या और किस सीमा और प्रकार से ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) इस बात को छोड़ कर कि भारत के राष्ट्रपति ने उस सम्मेलन का उद्घाटन किया, भारत सरकार ने उस सम्मेलन में सरकारी रूप से अन्य कोई भाग अथवा उस की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

गाड़ियों में भीड़

†*७५०. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में हावड़ा जाने वाली तथा वहां से आने वाली गाड़ियों में बहुत भीड़ होने लगी है ;

(ख) क्या हावड़ा पहुंचने वाली अथवा वहां से छूटने वाली सभी गाड़ियां अनियमित समय पर पहुंच अथवा छूट रही हैं ;

---

†मल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : हावड़ा से आने जाने वाली गाड़ियों में कुछ सीमा तक भीड़ बढ़ रही है । किन्तु साथ ही अन्य गाड़ियों में भीड़ कम भी होने लगी है ।

(ख) जी नहीं । कुछ ही गाड़ियां लेट पहुंची हैं अथवा छूटी हैं ।

(ग) और (घ). एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २६]**.

कोट्टयम-क्विलोन

†*७५१. **श्री नारायणनकुट्टि मेनन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे को कोट्टयम् क्विलोन सैक्शन कब चालू होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : दिसम्बर १९५७ के लगभग ।

गन्ना नाशिकीट तथा रोग नियंत्रण बोर्ड[11]

†*७५२. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक गन्ना नाशिकीट तथा रोग नियंत्रण बोर्ड बनाने की दिशा में कोई निश्चय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). इस विषय में कोई निश्चय करना राज्य सरकारों के हाथ में है । मद्रास तथा बम्बई की सरकारों ने ऐसे कोई बोर्ड न बनाने का निश्चय किया है । आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा और केरल की सरकारें अभी इस विषय पर विचार कर रही हैं ।

पूना में ग्लाइडर हवाई अड्डों की योजना

*७५३. **श्री ह० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूना में ग्लाइडर हवाई अड्डा योजना पर कितना व्यय करने का विचार है ; और

(ख) क्या राजस्थान में भी ग्लाइडर योजना आरम्भ की जायेगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) आवश्यक सुविधाओं सहित पूना के नये ग्लाइडर ड्रोम की लागत लगभग ५ ·४ लाख रुपये प्राक्कलित की जाती है ।

(ख) अभी ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[11]Cane Pest and Disease Control Board.

हिमाचल प्रदेश में गेहूं के दाम

†७५४. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ सुदूर के जिलों में गेहूं की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ऐसे दूरवर्ती स्थानों के लोगों को उचित मूल्य पर गेहूं देने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) हिमाचल प्रदेश के दूरवर्ती जिलों में गेहूं कि असाधारण ऐसी कीमतें बढ़ने की सूचना हमें नहीं मिली है ।

(ख) हिमाचल प्रदेश को केन्द्रीय संघ से सितम्बर से दिसम्बर, १९५७ की अवधि के लिये १४ रुपये प्रति मन एफ० ओ० आर० (रेल पर्यन्त निशुल्क) गन्तव्य स्थान दर पर ४०,००० मन गेहूं दी गई है और हिमाचल प्रदेश प्रशासन इसे दूर के जिलों में संभारित करने का प्रयत्न कर रहा है ।

वनस्पति तेल

†७५५. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति घी तथा खाने के वनस्पति तेलों की एक अधिक मात्रा उपयुक्त स्टोरेज सुविधायें न होने के कारण बेकार जाती है और उसमें से दुर्गन्ध छूटने लगती है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार प्रतिवर्ष व्यर्थ जाने वाले वनस्पति तेलों की मात्रा कितनी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) यह तो ठीक है कि उपयुक्त स्टोरेज सुविधाओं के न होने के कारण घी तथा वनस्पति तेलों की कुछ मात्रा सड़ जाती है, किन्तु सामान्यतः वे बेकार नहीं जाते क्योंकि उनको पुनः परिष्कृत किया जा सकता है अथवा उनका तलने के काम मे अथवा उद्योगों में कई अन्य कामों में प्रयोग किया जा सकता है ।

(ख) घी तथा वनस्पति तेलों की जो मात्रा इस तरह दुर्गंध देने लगती है उसके बारे में ठीक ठीक आंकड़े नहीं उपलब्ध हो सके हैं ।

पुनासा नदी विद्युत् योजना

†*७५६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुनासा नदी पर कोई विद्युत योजना बनाने को जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) पुनासा नाम की कोई नदी नहीं है। कदाचित प्रश्न का निर्देश मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर पुनासा बांध परियोजना की ओर है। इस परियोजना की सम्भाव्यताओं के सम्बन्ध में कुछ जांच की गई थी।

(ख) इस परियोजना में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होंगी :—

(१) नर्मदा नदी पर पुनासा पर जो कि इन्दौर से दक्षिण-पूर्व में ४५ मील दूर है, २७० फुट ऊंचे बांध का निर्माण बनाने की योजना है जिसमें कि १ करोड़ एकड़ फुट पानी जमा हो सके,

(२) बांध के सिरे पर ३८५,००० किलोवाट की अधिष्ठापित क्षमता वाले बिजली घर का निर्माण जो ६० प्रतिशत 'लोड फैक्टर' पर ३३०,००० किलोवाट बिजली (फर्म पावर) उत्पन्न कर सके;

(३) विभिन्न 'लोड' केन्द्रों तक आवश्यक तारों का लगाना।

छोटे बन्दरगाहों का विकास

†*७५७. **श्री तंगामणि** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य की तूतीकोरिन, कुड्डालोर तथा नागपट्टिनम् के तीन छोटे पत्तनों के विकास की क्या अवस्था है, और

(ख) क्या इन पत्तनों पर खाद्यान्न भेजे जाने की कोई योजना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) छोटे पत्तनों का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। इन तीन पत्तनों की वर्तमान विकास अवस्था को दिखाने वाला एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २७]**

(ख) इन पत्तनों से कई बार खाद्यान्न आते जाते रहते हैं। आवश्यकतानुसार भविष्य में भी उनका इस कार्य के लिये उपयोग किया जाता रहे गा।

स्टीमर सेवा का बन्द करना

†*७५८. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री विभूति मिश्र :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री झूलन सिंह :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिहार राज्य की परिवहन विषयक आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिये एक अन्तर्देशीय जल परिवहन जांच समिति नियुक्त की है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम तथा इसके निर्देश पद क्या है ;

(ग) क्या उपर्युक्त समिति ने अभी तक कोई अन्तरिम अथवा अंतिम रिपोर्ट दी है ?

(घ) यदि हां तो उसकी मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ङ) उन पर क्या निश्चय किया गया है ; और

(च) यदि ज्वाइंट स्टीमर कम्पनी १ जनवरी, १९५७ से अपनी नौकायें चलानी बन्द कर दे तो ऐसी दशा में नदी से बाहिर तक आने जाने के लिये नौकायें चलाने की क्या वैकल्पिक प्रबन्ध करने का विचार है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (च). एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २८]

एंटी-आक्सिडेंट (प्रति-जारणकर्ता)

†*७६०. **श्री वें० प० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट के एक वैज्ञानिक द्वारा एक ऐसा एंटी आक्सिडेंट (प्रति जारणकर्ता) तैयार किया गया है जो वनस्पति तेलों तथा घी की क्वालिटी को सुरक्षित रख सकता है ;

(ख) क्या सरकार ने देश की इस सम्बन्ध में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उक्त एंटी-आक्सिडेंट (प्रति जारणकर्ता) का उत्पादन करने के बारे में कोई जांच की है ; और

(ग) यह किन पदार्थों से बना है तथा प्रयोगशाला में इस की क्षमता के बारे में प्रयोगों का क्या परिणाम रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां। मिरिस्टिका बीजों[12] की एक किस्म से निकलने वाले लेसदार पदार्थ प्रचुर मात्रा में ऐंटी-आक्सिडेंट (प्रति जारणकर्ता) गुण पाये गये हैं। किन्तु इसे खाने के तेलों में नहीं मिलाया जा सकता क्योंकि जैसा कि प्रारम्भिक परीक्षणों से विदित हुआ है, इस पदार्थ में विषालुता अधिक है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) यह एंटी आकसिजिनिक (प्रति-जारकिय) पदार्थ मिरिस्टिका मालबारिका[13] के बीजों से प्राप्त किया गया है। यह पदार्थ पश्चिमी घाट पर अधिकतर पैदा होता है। यह पदार्थ गुणों में बुटिलेटिड हाइड्राक्सी टुलेन[14] से मिलता जुलता है जो कि व्यावसायिक क्षेत्र में एंटी-आक्सिडेंट (प्रति जारणकर्ता) के रूप में इस्तेमाल होता है।

रेडियो टेलीफोन सेवा

†७६१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके साथ भारत का रेडियो टेलोफोन, रेडियो तार तथा रेडियो फोटो सेवाओं द्वारा सीधा सम्बन्ध है;

---

†मूल अंग्रेजी में

[12] Myristica seeds.
[13] Myristica Malabarica
[14] Butylated Hydroxy Tolune

(ख) क्या इन सेवाओं का विस्तार करने की कोई योजना है ;

(ग) यदि हां, तो क्या तथा इस पर कितना व्यय आयेगा ; और

(घ) यह कार्यक्रम कब पूर्ण होगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २९]

इंजन का पटरी से उतरना

†*७६२. श्री तंगामणि : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १८ नवम्बर, १९५७ को मद्रास बंगलौर मेल का इंजन कुप्पम् के समीप रेल की पटरी से उतर गया था ;

(ख) यदि हां, तो किस कारण से; और

(ग) इस इंजन को इस दुर्घटना से कितनी क्षति हुई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३०]

टेलीफोन लगाने के लिये प्रतिभूति-धन[15]

†*७६३. श्री स० म० बनर्जी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन लगाने के लिये जो प्रतिभूति देनी पड़ती है उसकी राशि को २००० रुपये से घटा कर १००० रुपये करने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्थापना कब से कार्यान्वित होगी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कानपुर में ओ० वाई० टी० ("अपना टेलीफोन" योजना) की राशि २००० रुपये से घटा कर १००० रुपये कर दी गई है। किन्तु अन्य स्थानों के लिये, जहां पर कि यह 'अपना टेलीफोन' योजना लागू है, अभी ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अगरताला नगरपालिका

†९७१. श्री दशरथ देब : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) अगरताला नगरपालिका में नालियों की सफाई के लिये इस समय कितने स्थायी कर्मचारी रखे हुए हैं;

(ख) यह देखते हुए कि वहां की सभी नालियां कच्ची हैं, क्या इन कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[15] Security Money for Telephone Installation

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि नालियों में गंदगी रहने के कारण वे मच्छर और अन्य बीमारियों का घर बन गई हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) पचीस ।

(ख) यह संख्या अपर्याप्त नहीं है । यह नालियां साल भर साफ की जाती हैं और यदि कभी आवश्यकता पड़े तो कभी कभी और कर्मचारी भी भर्त्ती कर लिये जाते हैं ।

(ग) ऐसी बात नहीं है ।

मनीपुर में खाद्यान्नों का उत्पादन

†९७२. श्री ले० अचौ सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में १९५५, १९५६ और १९५७ में क्रमशः धान, गेहूं, मकई तथा अन्य खाद्यान्नों का कितना कितना उत्पादन हुआ है,

(ख) इन वर्षों में मनीपुर में धान की प्रति एकड़ अनुमानित उपज क्या रही है;

(ग) इस उपज का अनुमान लगाने का क्या आधार रहा है; और

(घ) मनीपुर में १९५६-५७ के दौरान में वर्ष भर में निर्यात के लिये कितना धान उपलब्ध हुआ है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) से (घ). एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३१]

त्रिपुरा में कृषि-ऋण

†९७३. श्री दशरथ देब : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में किसानों से कृषि ऋण वापस वसूल करने के लिये सर्टिफिकेट जारी किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि फसल के बिगड़ जाने के कारण इनमें से अधिकांश किसान इस ऋण को चुका सकने की स्थिति में नहीं हैं ;

(ग) क्या सर्टिफिकेट कार्यवाही के निलम्बन के लिये याचिकाएं दी गई हैं; और

(घ) क्या सरकार किसानों के विरुद्ध जारी किये जगये इन सर्टिफिकेटों को वापस लेने का विचार रखती है?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर सामान्य रूप से फसलें बिगड़ गई हो जिसके कारण कि किसान अपना ऋण न चुका सकते हों ।

(ग) कुल ११२० लोगों के विरुद्ध कर्जरी के सर्टिफिकेट जारी किये गये थे उनमें केवल २६३ लोगों ने यह याचिका दी है कि उनके नोटिस वापस लिये जायें । इनमें से प्रत्येक याचिका पर उसके तथ्यों के अनुसार विचार किया जा रहा है ।

(घ) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गाड़ियों में भीड़

†९७४. **श्री शिव नंजप्पा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास की सवारी डिब्बों की फेक्टरी में, उसके चालू होने से लेकर अब तक कितने डिब्बे बने हैं; और

(ख) इनमें से कितने डिब्बे नीलगिरी कोचीन तथा मालाबार एक्सप्रेसों में लगाये गये हैं ताकि उनमें भीड़ को कम किया जा सके ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) २१३ ।

(ख) कोई नहीं।

उड़ीसा डाक व तार विभाग के निदेशक के कार्यालय का स्थानान्तरण

†९७५. **श्री वै० च० मलिक** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटक में स्थान की कमी के कारण उड़ीसा के डाक व तार विभाग के निदेशक के कार्यालय को भुवनेश्वर ले जाया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उड़ीसा सरकार भुवनेश्वर में डाक व तार घर विभाग के लिये तथा उसके कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के लिये मुफ्त भूमि देने को तैयार है ;

(ग) क्या निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। इस संबंध में भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार से बातचीत चल रही है। जब योजना की पूर्णरूपेण जांच पूरी हो जायेगी और स्वीकृत हो जायेगी तभी निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा ।

रानीपेट रेलवे स्टेशन

†९७६. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीपट की जनता तथा स्थानीय संस्थाओं स कोई एसा प्रस्ताव मिला है कि रानीपेट स्टेशन को दक्षिण रेलवे पर मद्रास-बंगलौर मुख्य लाइन से मिला दिया जाये और इसके लिये वालजा रोड जंकशन और मुकन्दरायपुरम् स्टेशन के बीच की लाइन, जो कि रानीपेट को इन स्टेशनों से मिलाती है समाप्त कर दी जाये और इसके स्थान पर रानीपेट स्टेशन और मुकन्दरायपुरम् के बीच एक नई लाइन बना दी जाये जिसका फासला भी उतना ही है जितना कि वर्तमान लाइन का;

(ख) क्या इस प्रस्ताव से वालजा रोड स्टेशन और रानीपेट के बीच चल रही शटल सर्विस समाप्त हो जायेगी;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा भी ऐसी ही कोई मांग की गई थी; और

(घ) क्या यह प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के सामने १९३० से पड़ा है और क्या बोर्ड ने इसे कार्यकारी दृष्टि से उपयुक्त पाया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था किन्तु इसे वित्तीय तथा कार्यकारी दोनों दृष्टियों से अनुपयुक्त पाया गया।

वेल्लोर-कांजीवरम रेलवे लाइन

†९७७. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेल्लोर और कांजीवरम के बीच नई लाइन बनाने के लिए अभियंत्रणा सर्वेक्षण पूर्ण हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो नई लाइनों के निर्माण से कौन कौन से नए नगरों और स्थानों को मिलाया जाएगा;

(ग) क्या प्रस्तावित नई लाइन मीटर लाइन होगी या बड़ी लाइन;

(घ) इस निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ङ) कार्य कब प्रारंभ होने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख), (ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(ङ) यह निर्माण के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है।

कल्लार-अर्डलि पुल[16]

†९७८. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी वर्षा के कारण कल्लार और अर्डलि (दक्षिण रेलवे) के बीच का पुल किस तारीख को पानी में बह गया था;

(ख) दक्षिण रेलवे के मेटटुप्पालैयम् कुन्नूर सेक्शन पर वाहनान्तर के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी क्योंकि नीलगिरी पहाड़ियों पर तटीसर्पण[17] के परिणामस्वरूप पुल आंशिक रूप में क्षतिग्रस्त हो गया था;

(ग) क्या तटीसर्पणों को साफ कर दिया गया था और यदि हां, तो कब; और

(घ) ऐसी सफाई पर कितनी राशि व्यय हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) कोई भी पुल बहा नहीं था। परन्तु ११-११-५७ को कल्लार और अर्डलि के बीच मील एच० ५।१२—१३ पर पुल न० २३ के उपगमनों में तट की पचास फीट लम्बाई जिसमें १'. ३" व्यास की लोहे की दो नालीदार चादरें थी, भारी वर्षा में बह गया था जिसके कारण लगभग २० फीट गहरी दरार पड़ा गई थी।

(ख) चूंकि वाहनान्तर संभव नहीं था यात्रियों और पार्सलों को मेटटुप्पालैयम् और कुन्नूर के बीच बसों म ले जाया गया था। परन्तु कुन्नुर और ऊटकमण्ड के बीच रेल सेवायें जारी रखी गई थीं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[16]Kallar Adderley Bridge.

[17]Land slide.

(ग) दरार की मरम्मत १४-११-१९५७ को १७.३० बजे हो गई थी।

(घ) उपरोक्त दरार से संबंधित पुनःस्थापन कार्य में हुआ व्यय लगभग १०,००० रुपये है।

इंधन की खपत संबंधी समिति

†९७९. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे में इंधन की खपत की जांच करने को नियुक्त की गई समिति द्वारा इस प्रयोजन हेतु की गई जांच और अनुसन्धान का अनुमानित व्यय कितना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : लगभग २५,००० रुपये।

किसानों को ऋण

†९८०. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र द्वारा बम्बई राज्य को प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसानों को ऋण देने के लिये कुल कितनी राशि दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : एकीकरण-पूर्व बम्बई राज्य को प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसानों को ऋण देने के लिये दी गई राशि ७९.५० लाख रुपये है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में वर्ष १९५६-५७ के लिये २२.७५ लाख रुपये की राशि दी गई थी। वर्ष १९५७-५८ में कुल ९१.७४ लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया है।

बम्बई राज्य की पूर्णा नदी परियोजना

†९८१. **श्री पांगरकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बम्बई के मराथवाडा क्षेत्र में पूर्णा नदी परियोजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में से निकाल दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ब्रो पुल[18]

†९८२. { **श्री हेम राज** :
श्री पद्म देव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महासू जिले (हिमाचल प्रदेश) में सतलुज नदी पर लूरी और ब्रो (रामपुर) के पुलों को सीधे वाहन यातायात के लिये मोटर निकलने योग्य बनाने के लिये चौड़ा करने का विचार किया जा रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[18]Brow Bridge.

(ख) क्या रामपुर बाजार (उत्तर) के ऊपरी सिरे पर एक अन्य पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या सरकार को उस क्षेत्र की जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ).** लूरी स्थित पुल को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु लूरी में एक नया एकल-मार्ग मोटर निकलने योग्य पुल चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान में बनाने का विचार किया जा रहा है। लूरी स्थित वर्तमान पुल को चौड़ा करने के लिये उस क्षेत्र की जनता से कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है।

ब्रो (रामपुर) स्थित पुल पंजाब सरकार के नियंत्रण में है। इस पुल को चौड़ा करने और नया पुल बनाने के प्रश्न का भारत सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है।

भूतपूर्व अवध-तिरहुत रेलवे पर निर्माण-कार्य

†९८३. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या रेलवे मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे के भूतपूर्व अवध-तिरहुत सेक्शन में १ अप्रैल से ३१ अक्तूबर, १९५७ तक की अवधि में किए गए निम्नलिखित कार्यों का व्यौरा दिया गया हो :

(१) भीड़ भाड़ को कम करने के लिये सवारी डिब्बों का बढ़ाया जाना ;

(२) दोहरी की गई लाइनों का मील-योग ;

(३) नई डाली गई लाइनों का मील-योग ; और

(४) नये खोले गए क्रासिंग स्टेशनों[19] और नए बनाए गए अथवा बढाए गए मार्शिलिंग यार्डों[20] की संख्या और उनके नाम ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३२]

नये टेलीफोन कनेक्शन

†९८४. **श्री डी० चं० शर्मा :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में १९५५, १९५६ और १९५७ में, जहां तक जानकारी उपलब्ध हो सके, टेलिफोन कनेक्शनों के लिये कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :**

१९५५ . . .	११८६
१९५६	३१५३
१९५७	२०५१
(३१-१०-५७ तक)	

†मूल अंग्रेजी में

[19]Crossing stations.

[20]Marshalling yards.

दिल्ली की विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां

†९८५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में रहने वाले कितने मकान मालिकों ने १९५७ में सरकार को अपने मकानों में मलतः संमोदित योजनाओं के अनुरूप परिवर्तन करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिए हैं ; और

(ख) कितने प्रार्थना-पत्र मंजूर किए गए हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में मकानों के मालिकों से अपने मकानों में परिवर्तन करने के लिये सरकार को कोई भी प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ। परन्तु नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी और दिल्ली विकास (अन्तःकालीन) प्राधिकार को ऐसे व्यक्तियों से १ जनवरी, १९५७ से ३१ अक्तूबर, १९५७ तक की अवधि में ९९४ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से ७४९ मंजूर किए गए थे ।

भारतीयों को ब्रिटेन में पोत निर्माण प्रशिक्षण

†९८६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की सरकार ने भारतीयों को पोत निर्माण में व्यवहारिक प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अभ्यर्थियों का प्रवरण समाप्त हो गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्रीय जल सम्भरण और सफाई योजना

†९८७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल संभरण और सफाई योजना के अन्तर्गत दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में सामुदायिक परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार क्षेत्रों में अच्छे पानी के संभरण के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ; और

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में वर्ष-वार कितने कुओं और तालाबों का निर्माण किया जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) राष्ट्रीय जल संभरण और सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत दूसरी योजना काल के दौरान में सामुदायिक परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार क्षेत्रों में अच्छे पानी के संभरण के लिये कोई राशि निर्दिष्ट रूप से निर्धारित नहीं की गई है ।

(ख) आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और पूर्ण हो जाते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में कटरों के मालिक

†९८८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री १७ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में कितने कटरा-मालिकों को १५ अगस्त से १५ नवम्बर, १९५७ तक आवश्यक सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने के नोटस दिए गए हैं।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : गन्दी बस्ती (सुधार और सफाई) अधिनियम, १९५६ की धारा ४ की उपधारा (१) के अन्तर्गत गैर-सरकारी कटरों के मालिकों को तेईस नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें उनसे इस अवधि में अपने अपने कटरों में मूलभूत सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये कहा गया है।

चण्डीगढ़ हवाई अड्डा

†९८९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ के हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण और विस्तार योजना में अभी तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व सरकार ने चण्डीगढ़ के हवाई अड्डे की क्षमता बढ़ाने का निर्णय किया था ताकि वहां बड़े विमान उत्तर सकें ;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार विस्तार कार्यक्रम में शीघ्रता लाने के लिये निकट भविष्य में क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) चण्डीगढ़ के वर्तमान हवाई अड्डे में समस्त ऋतुओं में चालू रहने वाला धावन-मार्ग बनाया गया है जिस के साथ आवश्यक टैक्सी मार्ग और एप्रन[21], प्रविधिक और रहने की इमारतों का उपबन्ध भी किया गया है। आवश्यक उपकरण और कर्मचारियों की व्यवस्था भी वहां कर दी गई है और वह हवाई अड्डा असैनिक उड्डयन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये पूर्णतः सुसज्ज है।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

आसाम रेल सम्पर्क का स्थायीकरण

†९९०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या रेलवे मंत्री ६ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम रेल सम्पर्क के स्थायीकरण की योजना के क्रियान्वयन में कितनी लागत अन्तर्ग्रस्त है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : वर्तमान आसाम रेल सम्पर्क मार्ग को दृढ़ बनाने के लिये रेलवे बोर्ड द्वारा ३.५ करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[21] Aprons.

असिस्टेंट स्टेशन मास्टर (दीनापुर डिवीजन)

†९९१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी रेलवे के दीनापुर डिवीजन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों की वरिष्ठता निश्चित करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उसका निर्णय किये जाने के पूर्व ही बंगाल-आसाम रेलवे के कनिष्ठों को तरक्कियां दी गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते क्योंकि सम्बन्धित कर्मचारियों की वरिष्ठता रेलवे बोर्ड द्वारा १९४८ में जारी किये गये निदेश के अनुसार निश्चित की गई थी और सरकार समझती है कि इस मामले में कोई अन्याय नहीं किया गया है ।

डीजल इंजनों संबंधी प्रशिक्षण

†९९२. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे जोन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में डीज़ल के इंजनों के चालन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये कितने कर्मचारी भेजे गये हैं ; और

(ख) प्रशिक्षण कितने समय का है और उस पर कितना व्यय किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) सात जिन में १ अधिकारी और ६ पर्यवेक्षण कर्मचारी हैं ।

(ख) प्रशिक्षण का समय, यात्रा के समय को निकाल कर, ४½ महीने है और अनुमानित व्यय १,१५,००० रुपये है ।

रेल कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†९९३. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल और ३१ अक्टूबर, १९५७ के बीच रेल कर्मचारियों के लिये विभिन्न क्षेत्रों में कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया है ;

(ख) कितने आवश्यक कर्मचारियों को अभी तक क्वार्टर नहीं दिये गये हैं ; और

(ग) दूसरी योजना के प्रारम्भ से ३० सितम्बर, १९५७ तक क्वार्टरों के निर्माण के लिये कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) लगभग ६४३० ।

(ख) अनुमानतः २,१६,७८१ ।

(ग) अनुमानतः ८ करोड़ ३० लाख रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सड़कों का विकास

९९४. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २४ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम योजना में आई हुई स्वीकृत सड़क योजनाओं के लिये जो १५ करोड़ रुपये की धन-राशि निश्चित की गई है, उनका व्यौरा क्या है ;

(ख) उत्तरी और उत्तर-पूर्वी सीमान्त क्षेत्रों की सड़क योजना के लिये जो दो करोड़ रुपये की धन-राशि निश्चित की गई थी, उसका विभिन्न राज्यों की किन किन सड़कों के लिये रखा गया है; और

(ग) महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों तक जाने वाली सड़कों के विकास के लिये जो एक करोड़ रुपये की धन-राशि निश्चित की गई थी, उसका वितरण किस प्रकार किया गया है ?

श्री राज बहादुर : (क) अपेक्षित सूचना के लिये विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया है। देखिये एल० टी० —४१२/५७**]

(ख) कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) एक करोड़ रुपये की पूंजी को अभी तक पूरी तौर पर राज्यों में वितरण नहीं किया गया है। अब तक कुल ४.४६ लाख रुपये के अनुदान कुछ खास राज्यों को दिये गये हैं जैसाकि संलग्न विवरण से स्पष्ट है।

विमान दुर्घटनायें

†९९५. **श्री अ० सिं० सहगल :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३० जुलाई, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन और एयर इंडिया इन्टरनेशनल के कितने विमान जुलाई, १९५६ से दुर्घटनाग्रस्त हुए ;

(ख) कितने आदमियों की जानें गईं ;

(ग) सरकार को अनुमानतः कितनी हानि हुई ; और

(घ) सरकार ऐसी दुर्घटनाओं से बचाव के लिये क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) ३०-११-१९५७ तक छै। समस्त विमान इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के थे।

(ख) नौ। परन्तु कोई यात्री नहीं मरा था।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और बाद में लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) दुर्घटनायें रोकने और विमान चालन में अधिक सुरक्षा लाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं ;

१. भारत में तथा विदेशों में हुई विमान दुर्घटनाओं के अनुसंधान प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों का अध्ययन किया जाता है और जहां तक व्यवहार्य हो उन्हें क्रियान्वित किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. विमान के सुरक्षित तारण के लिये वायु में तथा भूमि पर आधुनिक उपकरण चालू किया जा रहा है ।

३. विमान लाइन और विमान यातायात कर्मचारियों, पायलटों, इंजीनियरों और विमान यातायात नियंत्रण अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए, का स्तर सतर्क प्रवरण, सुनियोजित प्रशिक्षण और कठोर जांचों के द्वारा ऊंचा रखा जा रहा है ।

४. पायलटों, इंजीनियरों और विमान परिवहन से सम्बन्धित अन्य लोगों को विमान सुरक्षा सम्बन्धी साहित्य असैनिक उड्डयन विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्रों के रूप में परिचालित किया जाता है ।

५. वाणिज्यिक पायलटों में उच्च स्तर बनाये रखने के लिये निम्नलिखित कार्य किये गये थे :—

क. के० एल० एम० डच एयरलाइन्स से रे एक चैक-पायलट[22] और एक अनुदेशक[23] की सेवायें प्राप्त की गई थीं । उनके द्वारा इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के लिये पर्याप्त संख्या में अर्ह अनुदेशकों को प्रशिक्षण दिया गया था ।

ख. असैनिक उड्डयन विभाग ने यह निर्धारित किया है कि समस्त पायलट्स-इन-कमांड[24] को १ जनवरी, १९५८ तक इन्स्ट्रूमेंट रेटिंग सर्टिफिकेट[25] प्राप्त कर लेना चाहिये ।

ग. पायलटों को आपातकाल में मार्ग-जांच और स्थानीय जांचें और प्रत्येक छै महीने में एक बार उपकरण-उड़ान[26] करनी पड़ती है ।

घ. प्रत्येक किस्म के विमान के लिये उन जांचों के अतिरिक्त जो भारतीय विमान नियमों के अन्तर्गत निर्धारित हैं, नई किस्म की पायलट के 'बी' लाइसेंस में पृष्टांकना किये जाने के पूर्व संशोधन जांच[27] की जाती है ।

६. विमान की वायु क्षमता[28] बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :-

क. आग लगने की गलत घंटी बजने को रोकने के लिये डैकोटा विमान के मामले में आग लगने का पता लगाने की फैनवाल प्रणाली[29] का अपनाया जाना आवश्यक कर दिया गया है ।

ख. सुरक्षा के उपायों के पालन को मनवाने की दृष्टि से इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के विमान पर रात्रि के समय किये जाने वाले देखभाल सम्बन्धी कार्य का प्रशासकीय पर्यवेक्षण चालू किया गया है ।

ग. इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के विभिन्न अड्डों में पुनर्नवन किये जाने वाले डेकोटा और वार्हकिंग एयरों इंजनों दोनों पर प्रक्रम निरीक्षण[30] चालू किया गया है ।

घ. वाइकिंग विमानों में लगाये गये हरकुलिस इंजनों के मामले में पुनर्नवनों के बीच की अवधि कम कर दी गई है ।

ङ. चालकों को विमान का भूमि पर चलते समय क्रमबन्धन करने के लिये प्रमुख स्थानों[31] पर दो व्यक्ति उपलब्ध करने के लिये कहा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[22] Check pilot; [23] Instructor; [24] Pilots-in-command; [25] Instrument Rating Certificate; [26] Instrument flying; [27] Ratification-check; [28] Airworthiness; [29] Fenwal Fire Dctection System; [30] Stage-inspection; [31] Wing tip locations.

७. यांत्रिकीय दोषों के कारण विमान के रवाना होने में विलम्ब के समस्त मामलों की जांच की जाती है और उपचारी कार्यवाही की जाती है । इसी तरह किसी अंग में हो जाने वाली यांत्रिकीय खराबी की भी पूर्ण जांच की जाती है ।

रेलवे के इंजन डिब्बे आदि

†९९६. **श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एरणाकुलम्-कोट्टयम लाइन पर चलाने के लिये बहुत पुराने सवारी डिब्बे और इंजन दिये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस लाइन पर पुराने सवारी डिब्बों के बदले जाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) इस सेक्शन में चल रहे पांच इंजनों में से केवल दो ४० वर्ष से अधिक अवस्था के हैं । उस सेक्शन पर चल रहे १९ सवारी डिब्बों में से केवल दो ३३ वर्ष से अधिक पुराने हैं ।

(ख) जब सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा और मार्ग समेकित हो जाएगा तब वहां अधिक शक्तिशाली इंजन दिए जायेंगे और सवारी डिब्बों की स्थिति का पुनरीक्षण किया जाएगा ।

उड़ीसा में डाकघर

†९९७. **श्री संगण्णा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २६ अगस्त, १९५७ के उड़ीसा में डाकघर संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या १२०५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों के न दिए जाने के बदले में कोई मकान किराए का भत्ता दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगे शहरों और स्थानों में मकान के किराए का भत्ता दिया जाता है जैसा कि सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाता है । मकान के किराए का भत्ता उनको भी दिया जाता है जिन्हें बिना किराए के स्थान का हक होता है और जिनके लिए स्थान उपलब्ध न होने के कारण वैसा उपबन्ध न किया गया हो ।

(ख) आवश्यक जानकारी लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट, ३, अनुबन्ध संख्या ३३**]

छपरा कचहरी और छपरा स्टेशन

†९९८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छपरा कचहरी और छपरा स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) पर पार्सल यातायात बहुत बढ़ गया है और उन स्टेशनों पर स्थान की कमी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या पार्सल का सामान इन स्टेशनों में वर्षा और धूप में खुला पड़ा रहता है और क्षतिग्रस्त हो जाता है ; और

(ग) क्या इन स्टेशनों पर हुई क्षति के लिए कोई क्षति का दावा किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) इन स्टेशनों पर १९५५-५६ और १९५६-५७ के दौरान में किए गए पार्सल यातायात की मात्रा १९५४-५५ से अधिक है परन्तु वह १९५६-५७ में १९५५-५६ की अपेक्षा कम है। पार्सल यातायात के लिए वर्तमान स्थान पर्याप्त नहीं है और उसको बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

हिमालय क्षेत्र में बाढ़ का रोकना

९९९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमालय के क्षेत्र में ओक वृक्ष बाढ़ को रोकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का कोई ऐसी योजना बनाने का विचार है जिससे ओक के वर्तमान वृक्ष काटे न जा सकें और ऐसे क्षेत्रों में जहां ये वृक्ष न हों इन्हें लगाया जाये ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) नदियों के बाहक्षेत्रों में उगने वाले ओक वृक्ष ही नहीं वरन् अन्य वृक्ष और पौदे भूमि में विशेष तत्वों को मिलाकर उसकी शोषण क्षमता को बढ़ाते हुये उसकी रचना में सुधार करते हैं, जिससे बहाव कम हो जाता है। किन्तु भूमि के पूरी तरह से तर हो जाने के बाद, वृक्षों और पौदों का अति बाढ़ बहाव पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता।

(ख) उत्तर नकारात्मक है।

टेलीफोन डायरेक्टरियां

†१०००. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने टेलीफोन डायरेक्टरियों की विषय वस्तु को समान ढंग से क्रमबद्ध करने की वांछनीयता के संबंध में विचार किया है जिससे नम्बर ढूंढ़ने में अधिक सुविधा हो ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : जी, हां।

यात्री शेड[32]

†१००१. **श्री बसुमातारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जब रेलवे के उपमंत्री आसाम गये थे तो एक प्रतिनिधि मण्डल ने उनके समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन

†मूल अंग्रेजी में

[32]. Passenger shed.

अर्थात बारपेता रोड, तिहु, नलबाड़ी, कोकराझर और फकीराग्राम आदि पर यात्रियों के प्रतीक्षा स्थलों पर शेड बनाने की मांग की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आसाम लिंक रेलवे स्टेशनों में यात्रियों की इन आवश्यक सुविधाओं के उपबंध पर विचार कर रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) उपमंत्री की आसाम यात्रा के समय सामान्यतः यात्री सुविधाओं के उपबन्ध के बारे में अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये थे किन्तु इन स्टेशनों के बारे में कोई ज्ञापन उन्हें नहीं दिया गया था ।

(ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३४**]

हिमाचल प्रदेश में विश्राम गृहों के चौकीदार

१००२. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि हिमाचल प्रदेश के वन तथा लोक निर्माण विभागों में द्वितीय श्रेणी के विश्राम गृहों के चौकीदारों का वेतन केवल २२.५० रुपये है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी विदित है कि इन चौकीदारों को वहां सदा उपस्थित रहना पड़ता है ;

(ग) क्या सरकार उनकी वेतन वृद्धि पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). वन के विश्राम गृहों और सी० पी० डब्ल्यू० डी० विश्राम गृहों के चौकीदारों के वर्तमान वेतन स्केल जो कि अभी हाल में अर्थात् १-३-१९५७ को पुनरीक्षित किये गये, क्रमशः २७-½-३२ और २५-½-२७ हैं, इसके साथ हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर मिलने वाले सब भत्ते और विश्राम गृहों के आउट हाऊसेज में मुफ्त निवास स्थान दिया जाता है । वर्तमान दशा में कोई वेतन वृद्धि का विचार नहीं है ।

पश्चिमी बंगाल में विपणन और भांडागार योजनायें

†**१००३. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ३ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १४०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विपणन और भांडागार सम्बन्धी योजनाएं पश्चिमी बंगाल सरकार से प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) उक्त राज्य में भांडागारों की कितनी संख्या है और वे कहां कहां स्थित हैं ;

(ग) प्रस्तावित विपणन समितियों की संख्या और किस्म क्या क्या हैं ; और

(घ) भांडागार और विपणन की मदों के अन्तर्गत कुल कितनी रकम स्वीकृत की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) सहकारी विपणन सम्बन्धी योजना प्राप्त हो गई है राज्य भांडागार निगम की स्थापना के बारे में योजना की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) केन्द्रीय भाण्डागार निगम के भाण्डागार एक मिदनापुर में और दूसरा कूच-बिहार में १९५७–५८ में बनाने का विचार है ।

(ग) राज्य में २१ समितियां बनाने का विचार है। इनमें प्रारम्भिक किस्म की सात विपणन समितियां, एक नई संगठित की जाने वाली शीर्ष विपणन समिति और १९५७–५८ में पुनर्गठित की जाने वाली १३ विपणन समितियां सम्मिलित हैं ।

(घ) विपणन योजनाओं के लिये ११ लाख २९ हजार रुपये की रकम अनुमोदित की गई है । राज्य के भाण्डागार निगम के लिये अभी तक कोई रकम स्वीकृत नहीं की गई है ।

पूर्वोत्तर रेलवे में प्रथमोचार डिब्बे[33]

†**१००४. पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ियों में और विशेष रूप से पूर्वोत्तर रेलव में रख जाने वाले प्रथमोचार डिब्बों में अन्दर कोई सामान नहीं रहता है ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अम्बाला-नाहन मार्ग पर भाड़े की दर

†**१००५. डा० य० सिं० परमार** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बाला और नाहन के बीच गैर-सरकारी परिवहन संचालकों और हिमाचल प्रदेश सरकारी परिवहन की भाड़े की दरों में विशेष अन्तर है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश सरकार अम्बाला और नाहन के बीच मालवाही मोटरें नहीं चलाती है अतः भाड़े की दरों में अन्तर का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

शोलापुर स्टेशन

†**१००६. श्री सुगंधि** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे का शोलापुर स्टेशन नये सिरे से बनाया गया है ;

(ख) निर्माण पर कितनी रकम खर्च की गई है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[33]. First Aid Boxes.

(ग) क्या यह सच है कि निर्माण-कार्य आरम्भ होने के पश्चात् सरकार इस्पात का सामान संभारित करने में असमर्थ रही; और

(घ) यदि हां, तो इस्पात के सामान की अनुमानित दर क्या थी और ठेकेदार ने इसे किस दर पर संभारित किया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां।

(ख) अनुमानित लागत ५,४३,३४६ रुपये है। अभी इस कार्य के लेखे अन्तिम रूप पर नहीं हैं अतः निर्माण सम्बन्धी पूरा व्यय बताना सम्भव नहीं है।

(ग) इस कार्य के सम्बन्ध में प्रारम्भिक संविदे के अनुसार आर सी सी कार्य के लिये इस्पात का संभरण ठेकेदार द्वारा किया जाना था। स्टेशन की इमारत के समक्ष केन्टी लीवर छत की डिजाइन में परिवर्तन करने से उसे सशक्त और भारी बनाने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई, ठेकेदार ने इस्पात संभारित करने में असमर्थता प्रकट की और फिर रेलवे ने इस्पात संभरण करने का उत्तरदायित्व लिया तथा इस कार्य के लिये इस्पात की लागत निकाल नये सिरे से दर निर्धारित की।

(घ) इन परिस्थितियों में, ठेकेदार से इस्पात संभरण करने के लिये किसी दर का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

सिन्दरी के लिये रेल के माल-डिब्बे

१००७. **श्री भदौरिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्दरी के कारखाने को कोयला और जिप्सम इत्यादि ले जाने के लिये और वहां से उर्वरक लाने के लिये १९५६-५७ में प्रति दिन औसतन कितने माल-गाड़ी के डिब्बों का प्रयोग किया गया ; और

(ख) क्या सिन्दरी के कारखाने में परिवहन की कठिनाइयों को देखते हुये वहां किसी रेल मार्ग पर दोहरी लाइन बिछाई गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) १९५६-५७ में सिन्दरी खाद कारखाने को जो माल डिब्बे दिये गये उनकी दैनिक औसत तादाद इस प्रकार थी :—

	माल डिब्बे
कोयला	६३
जिप्सम	९१
दूसरी चीज़ें	६
कुल . .	१६०

सिन्दरी से खाद लाद कर जो माल डिब्बे गये उनकी दैनिक औसत तादाद ५५ थी।

(ख) सिन्दरी कारखाने की माल-डिब्बों की कुल मांग पूरी की जा रही है। सिन्दरी कारखाने और इस इलाके के दूसरे सहायक उद्योगों के बढ़े हुये यातायात के लिये इमदादी साइडिंग की शर्तों के अनुसार सिन्दरी मार्शलिंग यार्ड और सिन्दरी कारखाने के बीच एक दूसरी इकहरी लाइन बिछायी गयी है।

†मूल अंग्रेजी में।

गुड़ और खांडसारी उपसमितियां

†१००८. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति की गुड़ और खांडसारी उप-समिति की बैठक पिछली बार कब हुई थी ;

(ख) उप-समिति की मुख्य सिफारिशें क्या क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है ;

(घ) क्या सरकार द्वारा कोई सिफारिशें स्वीकृत की गई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इनकी क्रियान्विति के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) २३ मार्च, १९५७ ।

(ख) उप-समिति की सिफारिशें लोक-सभा के पटल पर रखे गये विवरण में दी गई हैं [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३५**]

(ग) ये सिफारिशें सरकार द्वारा नहीं अपितु भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति द्वारा क्रियान्वित की जायेंगी ।

(घ) और (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

इलायची की खेती

†१००९. **श्री नारायणस्वामी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अन्दमान द्वीप में इलायची की खेती को प्रोत्साहित करने का विचार रखती है ; और ।

(ख) यदि हां, तो कुल कितने क्षेत्र में इसकी खेती की जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख) इलायची की खेती के सम्बन्ध में पहले जो प्रयोग किये गये थे वे असफल सिद्ध हुये हैं अतः अन्दमान और नीकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर इसकी खेती करने का प्रस्ताव नहीं है । तथापि इन द्वीपों के कृषि विभाग द्वारा अपने सामान्य कार्य के अन्तर्गत छोटे पैमाने पर ये प्रयोग चलते रहेंगे ।

कृष्ण नदी पर नियन्त्रक व सड़क पुल[34]

†१०१०. **श्री ब० स० मूर्ति:** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैजवाड़ा में कृष्णा नदी पर नियंत्रक व सड़क पुल पूरा हो गया है, और

(ख) अन्तिम प्राक्कलन से कुल कितना अतिरिक्त व्यय हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, नहीं । फिर भी काम लगभग पूरा हो चुका है । अक्तूबर, १९५७ के अन्त तक इसकी प्रगति ९५ प्रतिशत थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[34]Road *cum* Regulator Bridge.

(ख) ३९ लाख ८ हजार रुपये का प्राक्कलन स्वीकृत हुआ था जब कि ५५ लाख ५८ हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

बिना टिकट यात्रा

†१०११. श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के दिल्ली और फिरोजपुर डिवीज़न में १९५६–५७ में और अक्तूबर, १९५७ के अन्त तक बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या; और

(ख) रेलवे राजस्व की चोरी करने वाले इन यात्रियों में मुख्यतः किस श्रेणी के लोग हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १९५६–५७ और अक्तूबर, १९५७ के अन्त तक पूर्णतः बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

	दिल्ली डिवीजन	फिरोज़पुर डिवीजन
१९५६–५७ . . .	८४,३४०	१,३१,६७४
अप्रैल, १९५७ से अक्तूबर, १९५७	५६,००९	५५,३९८

(ख) बिना टिकट यात्रा करने वालों की सांख्यकी वर्गवार नहीं रखी जाती है और किसी वर्ग विशेष की उल्लेखनीयता नहीं थी ।

रेल में चलनेवाले कर्मचारियों[35] को भत्ते

†१०१२. श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में रेलों के साथ चलने वाले कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्ते की रकम और चालू मासिक दर क्या है ;

(ख) उत्तर रेलवे में गाड़ियों के साथ चलने वाले कर्मचारियों के वर्गों के क्या नाम हैं ;

(ग) विशेष टिकट परीक्षक किस श्रेणी में आते हैं; और

(घ) उत्तर रेलवे में विशेष टिकट परीक्षक को दिये जाने वाले मासिक यात्रा भत्ते की क्या दर है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) गाड़ियों के साथ चलने के लिये दिये जाने वाले भत्ते का हिसाब मासिक नहीं है अतः किसी भी कर्मचारी को मिलने वाले भत्ते की रकम हर

†मूल अंग्रेजी में
[35]Running Staff

महीने अलग-अलग होती है । भारतीय रेलवे, जिनमें उत्तर रेलवे भी सम्मिलित है, पर गाड़ियों के साथ चलने वाले विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की दरें इस प्रकार हैं :—

		हर सौ मील के लिये	
		रु०	आने
ड्राइवर	ग्रेड क	४	८
	ग्रेड ख	४	४
	ग्रेड ग . . .	३	१२
गार्ड	ग्रेड क	२	८
	ग्रेड ख	२	४
	ग्रेड ग . . .	२	२
ब्रेक्समैन	ग्रेड क	१	४
	ग्रेड ख	१	२
फायरमैन,	ग्रेड क . . .	२	०
	ग्रेड ख	१	१२
सैकण्ड फायर मैन	. . . .	१	६
		(आठ घंटे के एक दिन के लिये)	
शण्टर .	ग्रेड क	२	८
	ग्रेड ख	२	८

(ख) और (ग). गाड़ियों के साथ चलने वाले कर्मचारियों के विभिन्न वर्ग उपरोक्त भाग (क) के समक्ष बताये गये वर्ग हैं । विशेष टिकट परीक्षकों की गणना गाड़ियों के साथ चलने वाले कर्मचारियों में नहीं की जाती हैं ।

(घ) विशेष टिकट परीक्षकों को मासिक यात्रा भत्ते की दरें इस प्रकार हैं :—

डिवीजन	वेतन सीमा (महंगाई वेतन सहित)	समेकित यात्रा यात्रा भत्त की रकम
(१) इलाहाबाद लखनऊ, मुरादाबाद, दिल्ली, फीरोज़पुर, और मुख्यालय डिवीज़न—— किन्तु फीरोज़पुर डिवीज़न में महिला विशेष टिकट परीक्षकों के अतिरिक्त ।	(क) ५० रुपये से अधिक १०० रुपये माहवार पाने वाले कर्मचारी ।	२५ रु० प्रतिमाह
	(ख) १०० रुपये से अधिक और २०० रुपये माहवार पाने वाले कर्मचारी ।	३८ रु० प्रतिमाह
	(ग) २०० रुपये माहवार से अधिक पाने वाले कर्मचारी ।	६३ रु० प्रतिमाह

कुछ विशेष टिकट परीक्षकों ने समेकित यात्रा भत्ते के लिये इच्छा प्रकट नहीं की है और उन्हें सामन्य नियमों के अन्तर्गत यात्रा भत्ता दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) फरीजपुर डिवीजन की महिला विशेष टिकट परीक्षक

इन्हें सामान्य नियमों के अन्तर्गत भत्ता मिलता है ।

(३) जोधपुर और बीकानेर डिवीजन

उपरोक्त भाग (२) की भांति ही ।

हिमाचल प्रदेश में औषधीय जड़ी-बूटियां

१०१३. श्री पद्म देव : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिमाचल प्रदेश में बहुतायत से मिलने वाली जड़ी—बूटियों से पूरा पूरा लाभ उठाने के लिये और औषधियों के निर्माण तथा विक्रय के लिये एक फार्मेसी बनाने के हेतु कोई योजना बनाई जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : जोगेन्द्र नगर में एक फार्मेसी पहले ही बनाई जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में उपजने वाली जड़ी-बूटियों से औषधि-निर्माण करने की संभावना का पता लगाने के लिये एक अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना का प्रश्न उक्त प्रशासन के विचाराधीन है।

गोमती नदी पर पुल

१०२४. श्री सरजू पांडे : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर-बनारस सड़क (उत्तर प्रदेश) को मिलाने के लिये गोमती के ऊपर पुल बनाने का काम कब तक पूरा होने की आशा है और उस पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर): प्रस्तावित पुल के निर्माण के लिये नक्शों और प्राक्कलनों की जांच की जा रही है पुल का निर्माण कार्य वर्तमान पंचवर्षीय योजना काल में आरम्भ किया जावेगा, बशर्ते कि इस के लिये कोष में गुंजाइश हो सके। इस पर लगभग २५.१० लाख रुपये खर्चा होने का अनुमान है और कार्य आरम्भ होने के बाद इस के पूरा होने में लगभग तीन साल लगेंगे ।

तार घर, गोरखपुर

†**१०१५. श्री वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित तारघर चीफ सिगनल और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के कार्यालय के पास कर दिया गया है जो रेलवे स्टेशन से एक मील से अधिक दूर स्थित है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां। यह चीफ सिगनल और टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर के कार्यालय में स्थानान्तरित कर दिया गया है। कार्यालय लगभग आध मील की दूरी पर है ।

(ख) कुशलता और मितव्ययता के आधार पर यह ऐसा किया गया है ।

रेलवे स्टेशन, इलाहाबाद

†**१०१६. श्री स० म० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री इलाहबाद स्टेशन यार्ड को नये नमूने पर बनाने के लिये स्वीकृत राशि बताने की कृपा करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : १२ लाख ४६ हजार पये। इस योजना में तीन अतिरिक्त यात्री प्लेट फार्म लाइनें और गुड्स यार्ड में व सब परिवर्तन भी सम्मिलित हैं जिन के परिणामस्वरूप ७० वेगन गाड़ियां यहां पर उतारी और चढ़ाई जा सकें ।

बीकानेर टेलीफोन एक्सचेंज

१०१७. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर में तार तथा टलीफोन कार्यालय के लिये कोई मकान बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस का निर्माण कब आरम्भ होगा; और

(ग) यह इमारत कब तक तैयार हो जायेगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) इस मकान का पहले से ही निर्माण हो रहा है ।

(ग) मार्च, १९५८ तक ।

रेलों में पानी का संभरण करने वाले

१०१८. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर डिवीजन में कितने कर्मचारी रेलवे विभाग के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों को पानी पहुंचाने के काम पर लगे हुए हैं और उन का मासिक वेतन क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इन में से कुछ कर्मचारियों को अपने जानवरों (ऊंटों) पर दूर के स्थानों में पानी ले जाना पड़ता है, किन्तु उन्हें चारे तथा उन की अतिरिक्त मेहनत के लिये कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) उन का वेतन मान ३०¹/,–३५ रु० है :

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन तथा तार की सुविधायें

१०१९. { **श्री खादीवाला :**
श्री राधेलाल व्यास :
श्री क० भे० मालवीय : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन किन तहसील के मुख्य स्थानों पर ३१ अक्तूबर, १९५७ तक टलीफोन तथा तार की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने ऐसे तहसील के मुख्य स्थान हैं जहां ये सुविधायें अभी तक उपलब्ध नहीं हैं और उन स्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार इन स्थानों में टेलीफोन तथा तार की सुविधाओं की व्यवस्था के लिये केन्द्रीय सरकार से बार बार प्रार्थना करती रही है; और

(घ) सरकार इन स्थानों पर कब तक इन सुविधाओं की व्यवस्था कर देगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तार सुविधायें ८० टेलीफोन सुविधायें २५।

(ख) से (ग) ऐसे स्थानों के नाम संलग्न विवरण पत्र में दिखाये गये हैं, साथ ही उन स्थानों के नाम भी जिनके विषय में सम्बन्धित राज्य सरकार के यहां से इस सम्बन्ध में मांग प्राप्त हुई थी तथा जिन के विषय में प्राप्त प्रस्तावों की मंजूरी दी जा चुकी है, इस विवरण-पत्र में सम्मिलित हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३६]** शेष स्थानों में इसी प्रकार की सुविधायें तभी उपलब्ध की जायेंगी जब कि वहां की आर्थिक स्थिति इस बात की इजाजत दे।

सम्बन्धित कार्य के लिये सामग्री के प्राप्त होते ही मंजूर किये गये प्रस्ताव पूरे किये जायेंगे।

तार का भेजा जाना

१०२०. श्री खादीवाला :
श्री राधेलाल व्यास :
श्री क० भे० मालवीय

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक स्थान से दूसरे स्थान को जैसे कि बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली के बीच भेजे गये तार विलम्ब से पहुंचते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन तारों को ठीक समय पर पहुंचाने के लिये सरकार ने कौन से ठोस कदम उठाये हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां, कभी-कभी।

(ख) तारों के वितरण के सम्बन्ध में शीघ्रता लाने के लिये निम्नलिखित उपाय कार्य में लाये गये हैं :—

(१) स्वतन्त्र वितरण-क्षेत्र वाले स्थानीय तार-घर खोल कर तार वितरण के कार्य को "विकेन्द्रित" किया गया है;

(२) बम्बई व कलकत्ता में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में तारों के शीघ्र वितरण के लिये "डाक सवार व्यवस्था" सुलभ है;

(३) उन प्रेषतियों[16] को, जिन के (प्राप्त) तारों में टेलीफोन नम्बर दिये हों, तार टेलीफोन पर वितरित किये जाते हैं। इस के अलावा उन व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने सम्बन्धित कार्यालयों के बन्द होने के समय अपने तारों को घर पर यथा समय वितरित किये जाने के प्रयोजन से अपने संक्षिप्त पतों की रजिस्ट्री करा ली है, 'विशेष वितरण' सम्बन्धी अनुदेश भी दिये गये हैं;

[16]Addressees.

(४) बम्बई में १ मई, १९५६ से जारी की गयी प्रिन्टरग्राम व्यवस्था द्वारा ग्राहकों को वहां के केन्द्रीय तार-घर से इस व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले अन्य ग्राहकों तक सीधे टेलीप्रिन्टर परिपथ[**] की सुविधा प्रदान की गयी है नई दिल्ली तथा कलकत्ता में भी इस व्यवस्था का विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है;

(५) तारों को शीघ्र निबटाने के उद्देश्य से तारों के रजिस्ट्री हुए संक्षिप्त पतों को पूर्णतः उद्धृत करने के प्रयोजनार्थ सब के सब विभागीय तार-घरों में 'पता लिखी' मशीनें लगायी गयी हैं ; और

(६) पहले ही प्रयोग में लाये जा रहे उपायों के अलावा सरकार द्वारा कुछ एक विशेष बातों में जांच करने के उद्देश्य से जिन में तारों के शीघ्र वितरण करने का ढंग भी सम्मिलित है एक तार जांच कमेटी भी नियुक्त कर दी गई है। इस कमेटी का जांच सम्बन्धी कार्य अब प्रगति पर है।

मांडू

१०२१. श्री खादीवाला :
श्री राधे लाल व्यास :
श्री क० भं० मालवीय :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में धार के निकट स्थित एतिहासिक माण्डू स्थल को देखने के लिये १९५६ में कितने देशी और विदेशी पर्यटक आये;

(ख) वहां सभी श्रेणियों के पर्यटकों के लिये रात्रि में विश्राम करने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है;

(ग) क्या सरकार को इस प्रकार के प्रबन्ध की अपर्याप्तता के बारे में पर्यटकों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इन कमियों को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ङ) क्या सरकार माण्डू में जहां कि बहुत से पर्यटक जाते हैं टेलीफोन तथा तार की सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होगा।

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) माण्डू में जाने वाले पर्यटकों के बारे में आंकड़े इकट्ठे नहीं किये जाते हैं। फिर भी १९५६ के साल में जिन पर्यटकों ने इस स्थान को देखा उन की आम तौर पर अनुमानित संख्या २०,००० से अधिक है।

(ख) पुरातत्व विभाग द्वारा एक पुरानी इमारत के कुछ कमरों को विश्राम-गृह में परिवर्तित कर दिया गया है, जिस में भारतीय तथा विदेशी पर्यटकों के इस्तेमाल के लिये अलग अलग चार कमरे हैं। स प्रकार की व्यवस्था द्वारा और अधिक स्थान प्राप्त करना संभव नहीं है। स्थानीय पंचायत ने आठ अलग अलग कमरों की व्यवस्था केवल भारतीय पर्यटकों के लि ही की है।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु वतमान सुविधाओं को पर्याप्त नहीं समझा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[**]Circuit.

(घ) पर्यटक के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों के खातिर लगभग २.०० लाख रुपये की लागत के एक विश्राम-गृह की व्यवस्था को सम्मिलित कर लिया गया । इस विश्राम-गृह के निर्माण के लिये स्थान चुन लिया गया है और सरकारी निर्माण-विभाग इस के नक्शे और प्राक्कलन तैयार कर रहा है। राज्य-योजना के अन्तर्गत १.५० लाख रुपये की लागत से कम आमदनी वाले पर्यटकों के लिये इस स्थान पर एक विश्राम गृह बनाने की व्यवस्था भी कर दी गई है जिस की वित्तीय व्यवस्था राज्यीय तथा केन्द्रीय सरकारें मिल कर करेंगी । १९५८–५९ में राज्य सरकार का विचार इस योजना को शुरू करने का है।

(ङ) और (च). इन सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में जांच कर ली गई है और यह अनुभव किया गया है कि ऐसी व्यवस्था करने में डाक-तार विभाग को बड़ी भा ी हानि उठानी पड़ेगी ।

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस में भोजन यान[38]

†१०२२. **श्री सुब्बया अम्बलम** : क्या रेलवे मंत्री २० नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बैजवाडा और मद्रास सैक्शन पर काजीपेट से परे १ नवम्बर, १९५७ से भोजन यान सेवा समाप्त करने के पश्चात् यात्रियों की भोजन सम्बन्धी आवश्यकता पूर्ति के लिये क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : काजीपेट और मद्रास के बीच काजीपेट, दोर्णाकल, बैजवाडा तेनालि, ओंगोल, बित्रगुंता और गुडुर स्टेशनों पर जल पान गृह विद्यमान हैं। इनके अतिरिक्त इस सैक्शन में अनेक स्टेशनों पर दूकानों और खोमचे वालों के पास खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं।

काजीपेट–बैजवाडा सैक्शन पर ग्राण्ड ट्रंक एक्सप्रैस गाडियां दोनों दिशाओं में रात्रि को चलती हैं अतः भोजन यान की आवश्कता उत्पन्न नहीं होती है ।

बैजवाडा-मद्रास सैक्शन में भोजन यान समाप्त करने के परिणामस्वरूप भोजन की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिये जल पान गृह की वर्तमान सुविधाओं में वृद्धि कर दी गई है। रेलवे द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में बैजवाडा, तेनालि, ओंगोल, बित्रगुता और गुडुर में उपकरण तथा स्टोर्स की वृद्धि तथा बैजवाडा, ओंगोल और गुडुर में जलपान गृह के कर्मचारियों की संख्या अधिक करना है ।

यात्रि सुविधायें

*१०२३. **श्री परमार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद से बम्बई जाने वाली "जनता एक्सप्रेस" में सोने के आवास का उपबन्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) अभी तक तृतीय श्रेणी में सोने की आवास व्यवस्था कुछ गाड़ियों में प्रयोगात्मक आधार पर है। दो प्रकार के डिब्बों में इस व्यवस्था का परीक्षण किया जा रहा है। सोने के लिये डिब्बे का स्टैण्डर्ड तय करने का प्रश्न विचाराधीन है और ज्यों ही निर्णय कर लिया जायेगा, अतिरिक्त सवारी डिब्बों का निर्माण तथा जहां आजकल वे प्रयुक्त नहीं हो रहे हैं वहां उन्हें प्रयुक्त करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[38]Dining car.

पंजाब की वन योजना

†१०२४. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वन सम्बन्धी योजनाओं के लिये पंजाब सरकार द्वारा कुल कितने अनुदान की मांग की गई है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी रकम स्वीकृत की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री० अ० प्र० जैन) :** (क) पंजाब में वन सम्बन्धी योजनाओं के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत २ लाख २ हजार रुपये का उपबन्ध किया गया है। योजना के प्रथम और द्वितीय वर्ष में राज्य सरकार ने केवल १४,१०० रुपये की मांग की है।

(ख) १४,१०० रुपये ।

भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा

†१०२५. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमृतसर और लाहोर के बीच रेल सेवा आरम्भ होने के पश्चात् पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारतीयों की प्रति माह संख्या कितनी है ;

(ख) उसी समय से रेल द्वारा भारत आने वाले पाकिस्तानियों की प्रति माह संख्या कितनी है ; और

(ग) इस यात्रा को सुविधापूर्ण बनाने के लिये भारत सरकार द्वारा क्या किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) और (ख) अक्तूबर १९५४ से अक्तूबर १९५७ तक भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत जाने-आने वाले यात्रियों की संख्या बताने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ठ ३, अनुबन्ध संख्या ३७**] । कितने यात्री भारतीय थे और कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन थे यह जानकारी रेलवे के पास नहीं है ।

(ग) लाहौर-अमृतसर रेल मार्ग पर भारत-पाकिस्तानी यात्रियों को निम्न सुविधाएं दी गई हैं :—

(१) लाहौर और हावड़ा तथा लाहौर और दिल्ली के बीच सीधी यात्रा के लिये यात्री डिब्बों का उपबन्ध किया गया है ।

(२) भारत और पाकिस्तान के कतिपय स्थानों की यात्रा के लिये यात्री लाहौर और अमृतसर में सीधे टिकट खरीद सकते हैं ।

(३) भारत-पाकिस्तान यात्रियों की सुविधा के लिये अमृतसर में प्लेटफार्म पर एक अलग बुकिंग आफिस खोला गया है ताकि मुख्य बुकिंग आफिस पर आये बिना ही यात्री सीधा टिकट खरीद सकें ।

(४) भारतीय मुद्रा को पाकिस्तानी मुद्रा में और पाकिस्तानी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में फेर बदल करने के लिये अमृतसर रेलवे स्टेशन पर मुद्रा विनियम कार्यालय खोला गया है ।

स्थानीय रेल गाड़ियां

१०२६. **श्री क० भे० मालवीय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरानी दिल्ली और विनय नगर के बीच चलने वाली स्थानीय गाड़ी शनिवार और रविवार को नहीं चलती जबकि इन्हीं दिनों में इसकी सब से अधिक आवश्यकता होती है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विनय नगर और नई दिल्ली के बीच चलने वाली सब रेलगाड़ियों को पुरानी दिल्ली तक कर देने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). पुरानी दिल्ली स्टेशन और विनय नगर के बीच शनिवार और रविवार को स्थानीय गाड़ी नहीं चलती। चूंकि अब जनता की मांग है, इसलिये १-१-१९५८ से शनिवार और रविवार को भी इसे चलाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) दिल्ली जंक्शन पर प्लेटफार्म की कठिनाइयों और नयी दिल्ली और दिल्ली के बीच खाली लाइन न मिलने के कारण, नयी दिल्ली और विनय नगर के बीच जो शटल गाड़ियां चलती हैं, उन सब को दिल्ली तक चलाना इस समय संभव नहीं है।

नर्मदा नदी पर पुल

१०२७. श्री क० भे० मालवीय : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में नेमावर और हंडिया के बीच नर्मदा नदी पर पुल बनाने की कोई योजना द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कितनी धन राशि की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) यह कार्य कब प्रारम्भ होगा और कब तक पूरा हो जायेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). प्रस्तावित पुल निर्माण का कार्य मुख्यतः राज सरकार का है क्योंकि यह एक राज-सड़क पर पड़ता है।

मनीपुर में कृषि श्रमिक

†**१०२८. श्री ले० अचौ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर राज्य क्षेत्र में कृषि श्रमिकों की कुल कितनी संख्या है ; और

(ख) क्या भूमिहीन कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में निश्चिय सांख्यकी निर्धारित करने के लिये समुचित सर्वेक्षण किया गया है।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) मनीपुर राज्य में कृषि श्रमिक परिवारों की १९५०-५१ में कुल संख्या ६४४ थी। इन परिवारों की सदस्य संख्या औसत २.५ थी।

(ख) १९५०-५१ की कृषि श्रमिक जांच के अनुसार मनीपुर के कृषि श्रमिक परिवारों के २० प्रतिशत के पास कुछ जमीनें थीं और ८० प्रतिशत परिवारों के पास कोई जमीन नहीं थी।

रेलों में भ्रष्टाचार

†**१०२९. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या रेलवे मंत्री चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक भारतीय रेलों में घूस लेने के उन सब मामलों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिनमे रेलवे कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : ३० सितम्बर, १९५७ तक १०२८।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागार्जुनसागर परियोजना

†१०३०. कुमारी पो० वेदकुमारी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागार्जुनसागर परियोजना की लेफ्ट बैंक केनाल गोदावरी नदी तक बढ़ा दी जायेगी ; और

(ख) पश्चिमी गोदावरी जिले के शुष्क क्षेत्रों को कृषि अन्तर्गत लाने के लिये क्या सरकार जल प्रवाह क्षमता १२,००० कासेक्स से बढ़ाकर १८,००० कासेक्स करने का विचार रखती है?

†सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री स० का० पाटील): (क) जी नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

डाकखाने के भवन का निर्माण

†१०३१. डा० सामन्त सिंहार : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ के पश्चात् उड़ीसा सरकार द्वारा निर्मित किये गये डाकखानों के भवनों की संख्या और उक्त वर्ष से अभी तक पुरी जिले में डाकखाने के कितने भवन बनाये गये हैं ;

(ख) पुरी जिले के बालु गांव में डाकखाने के भवन निर्माण के लिये निधि कब स्वीकृत की गई थी और इस की क्रियान्विति में विलम्ब का क्या कारण है ; और

(ग) बालुगांव में डाकखाने का भवन कब तक बन जायेगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) उड़ीसा में डाकखानों के सात भवनों का निर्माण किया गया है और उन में से पांच पुरी जिले में हैं ।

(ख) अभी तक प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ है ।

(ग) जमीन खरीद लेने के और भवन योजना स्वीकृत होने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र ही इस का निर्माण किया जायेगा ।

षोरणूर जंक्शन पर ऊपरी पुल

†१०३२. श्री कुन्हन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में षोरणूर जंकशन पर रेलवे का ऊपरी पुल (ओवर ब्रिज) बनाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई याचिका प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) केरल राज्य सरकार से यह बतान के लिये कहा गया है कि क्या वे एक ऊपरी पुल (ओवर ब्रिज) बनाने की सिफारिश करते हैं और यदि हां, तो वे उस के निर्माण के लिये क्या प्राथमिकता निर्धारित करना चाहते हैं । राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होने पर तथा पुल के निर्माण की लागत का आंशिक भार वहन करने की स्वीकृति उपलब्ध होने पर रेलवे प्रशासन द्वारा और आगे कार्यवाही की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर घड़ियाँ

†१०३३. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में कानपुर और अरौल के बीच अनेक रेलवे स्टेशनों की घड़ियां खराब हैं ;

(ख) इन घड़ियों की मरम्मत करने अथवा उन्हें बदलने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ग) कई महीनों से घड़ियों को ठीक अथवा मरम्मत न करने के लिये क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) केवल चौबेपुर स्टेशन की घड़ी अक्टूबर, १९५७ के अन्तिम सप्ताह से खराब है ।

(ख) इस घड़ी की मरम्मत की जा रही है । इस बीच छोटी घड़ी का अस्थायी प्रबन्ध कर दिया गया है ।

(ग) इस में कुछ सप्ताह का विलम्ब हो गया । चौबेपुर स्टेशन की खराब घड़ी को शीघ्र ठीक करने अथवा अस्थायी रूप में इसे बदलने की दिशा में ठेकेदार ने कोई कार्यवाही नहीं की अतः उस के विरुद्ध कदम उठाये जा रहे हैं ।

शटल गाड़ियां

*१०३४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालंधर से अमृतसर और फ़ीरोज़पुर से जालंधर तक शटल गाड़ियां चलाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). इन सैक्शनों पर अतिरिक्त शटल गाड़ियां चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है । इन सैक्शनों पर कुछ वर्तमान भाप से चलने वाली गाड़ियों के स्थान पर अथवा उन के अतिरिक्त डीज़ल रेल कारें चलाने की प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है ।

रेलवे प्लेटफार्म

†१०३५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर रेलवे के भटिंडा-हिन्दूमालकोटे लाइन पर स्टेशनों के प्लेटफार्म ऊंचे बनाने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो प्लेटफार्मों को कब ऊंचा किया जायेगा ; और

(ग) उन का प्राथमिकता क्रम क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). जी हां । पंजाब में बुल्लौना, पक्की और किल्लांवाली स्टेशनों के प्लेटफार्मों को ऊंचा करने का विचार है । ये यात्री सुविधा कार्य है इन्हें रेलवे प्रयोक्ता सुविधा समिति का अनुमोदन प्राप्त होने पर और निधि तथा सामग्री की उपलब्धि को देखते हुए वह जो प्राथमिकता क्रम निर्धारित करेगी उसी के अनुसार ये कार्य पूरे किये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे जलपानगृह[१९]

†१०३६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर जलपानगृहों के किराये किन आधारों पर निश्चित किये जाते हैं ;

(ख) क्या उत्तर रेलवे पर सभी रेस्टरां के किराये एक से ही हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) से (ग). उत्तर रेलवे में ठेकेदार जलपानगृह नहीं चलाते हैं अतः रेलवे के जलपानगृहों से किराया वसूल करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सड़क व रेल का पुल

†१०३७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फीरोज़पुर-जालंधर लाइन पर सतलुज नदी पर सड़क व रेल का पुल बनाने की कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) पुल पर कितनी लागत का अनुमान है ;

(घ) काम के कब तक शुरू होने की सम्भावना है ; और

(ङ) यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

फीरोजपुर में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

†१०३८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फीरोजपुर में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज लगाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बिना टिकट यात्रा

†१०३९. **श्री गणपति राम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जौनपुर-औनरीहा लाइन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर अधिकतर लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि यात्रियों को टिकट बुकिंग क्लर्क नहीं देते और गाड़ी पहुंचने से ठीक पहले कहीं पर टिकट दिये जाते हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[१९] Restaurants.

(ग) क्या यह सच है कि इस लाइन पर गार्ड, चल-टिकट-परीक्षक और टिकट क्लकटर यात्रियों से टिकट के दाम ले लेते हैं और रसीद तक नहीं देते ;

(घ) क्या सरकार इस मामले की जांच करके अपराधियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करना चाहती है ; और

(ङ) बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय करना चाहती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). १९५६-५७ में ऐसे केवल दो मामले पकड़े गये और उस के लिये उत्तर-दायी कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जा रही है ।

(ङ) समय समय पर अकस्मात निरीक्षण करने का विचार है ।

बिक्रमगंज-बलिया लाइन

†**१०४०. श्री राधामोहन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बिक्रमगंज और उत्तर प्रदेश के बलिया और दोहारीघाट के बीच बक्सर होते हुए एक नई लाइन बनाने का विचार है ;

(ख) प्रस्तावित लाइन से उत्तर प्रदेश और बिहार के दो पिछड़े हुए क्षेत्रों के लोगों को जो लाभ पहुंचेगा क्या उसे देखते हुए इस लाइन के महत्व का अध्ययन किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में इस का परीक्षण तथा सर्वेक्षण करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). नहीं श्रीमान् । अभी इस लाइन का सर्वेक्षण करने का कोई विचार नहीं है ।

राष्ट्रीय राजपथों पर पुल

†१०४१ { **श्री घोषाल** :
श्री त्रि० कु० चौधरी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय राजपथों पर सड़क के कितने पुल बनाने का विचार है ; और

(ख) स्थानों के नाम क्या हैं और प्रत्येक के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). एक विवरण, जिस में मांगी गई जानकारी दी गई है, सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३८**].

†मूल अंग्रेजी में

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

मोटरगाड़ी अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम १९३९ की धारा (१३३) की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्न अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति सभा–पटल पर रखता हूं :—

(१) दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३१ मई, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ० १२(३७)/५७–एम० टी० एण्ड सी० ई० ।

(२) दिनांक ३१ मई, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ० १२ (३७)/५७–एम–टी० एण्ड सी० ई० के शुद्धि–पत्र वाली दिनांक ३ अगस्त, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ० १२ (३७)/५७ एम० टी० एण्ड सी० ई० ।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या एल० टी० ४०७/५७]

प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्मलिखित पत्रों की एक–एक प्रति सभा–पटल पर रखता हूं:—

(१) अलौह धातु उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५७)।

(२) दिनांक २ दिसम्बर, १९५७ का सरकारी संकल्प संख्या २२(४) –टी० आर०/५७।

(३) दिनांक २ दिसम्बर, १९५७ की सरकारी अधिसूचना संख्या २२(४)–टी० आर०/५७।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या एल० टी० ४०८/५७]

(४) नग्न ताम्र सुवाहकों और ए० सी० एस० आर० (अल्युमिनियम कन्डक्टर स्टील रिन–फोर्संड्) उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, (१९५७)

(५) दिनांक २ दिसम्बर, १९५७ का सरकारी संकल्प संख्या ३(५)–टी० आर०/५७।

(६) दिनांक २ दिसम्बर, १९५७ की सरकारी अधिसूचना संख्या ३(५)–टी० आर०/५७।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या एल० टी० ४०९/५७]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १६ नवम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३६४८ की एक प्रति सभा–पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी —देखिये संख्या एल० टी० ४१०/५७]

---

†मूल अंग्रेजी में

आयकर के बकाये के बारे में विवरण

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** मैं श्री ब० रा० भगत की ओर से ६ सितम्बर १६५७ को अतारांकित प्रश्न संख्या १४१२ के उत्तर में दिये गये आश्वासन के अनुसरण में आयकर देने वाले उन व्यक्तियों के, जिन से आयकर लेना शेष है, शेष होने के कारणों तथा शेष राशि की वसूल करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाले विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३६**]

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं चालू सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित **किये गये** तथा २६ **नवम्बर**, १६५७ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) **विधेयक**, १६५७ **को** सभा-पटल पर रखता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बुलडाना) मैं श्री सत्यनारायण सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से, जो २ दिसम्बर, १६५७ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से, जो २ दिसम्बर, १६५७ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर): कार्यसूची से पता लगता है कि भारतीत रेलवे (संशोधन) विधेयक को कल लिया जायेगा पर चूंकि रेलवे भाड़ा जांच समिति का प्रतिवेदन हमें अभी कल ही मिला है अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर विचार दो एक दिन के लिए स्थागित कर दिया जाये।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है पर मैं चाहता हूँ कि यह विधेयक इसी सत्र में दोनों सभाओं द्वारा पारित हो जाये।

†**अध्यक्ष महोदय**: वैसे तो माननीय मंत्री को कोई आपत्ति नहीं है पर इस विधेयक को इसी सत्र में दोनों सभाओं द्वारा पारित करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा श्री अ० प्र० जैन द्वारा प्रस्तुत किये गये खाद्य स्थिति संबंधी प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी। २६ मिनट बीत चुके हैं ४ घण्टे ३ ' ४ मिनट शेष है। श्री अ० प्र० जैन अपना भाषण जारी करें।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** श्रीमान् कल मैं बता रहा था कि खाद्यान्नों के सट्टे को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की है। सरकार ने उड़ीसा को चावल खण्ड और पंजाब को भी चावल खण्ड बना दिया है। इसका उद्देश्य यह है कि हम चावल के इधर उधर भेजने पर रोक लगा कर अधिक से अधिक चावल इकट्ठा करना चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश को गेहूं खंड बना दिया गया है और कलकत्ते तथा बम्बई से भी गेहूँ बाहर भेजने पर रोक लगा दी गयी है। इन कार्यवाहियों का परिणाम यह हुआ कि खाद्यान्न इधर–उधर जाना बन्द हो गया है और मूल्य स्थिर हो गये हैं। मेहता समिति ने भी हमारी खण्ड बनाने की योजना का समर्थन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि इन खण्डों में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता थी पर फिलहाल वर्तमान खण्डों को ही चलाया जाये।

पिछले कुछ महीनों में हम देश के भीतर अधिक से अधिक खाद्यान्न इकट्ठा करने का प्रयत्न करते रहे हैं। आन्ध्र का डेल्टा जिला, उड़ीसा राज्य, पंजाब राज्य और मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ डिवीजन में चावल आवश्यकता से अधिक होता है। सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि हमने १५०,००० टन चावल व अनाज इकट्ठा कर लिया है।

सभा को पता है कि नियंत्रण हटाने के बाद समाहार विभाग विल्कुल समाप्त कर दिया गया है। हमें फिर से समाहार विभाग शुरू करना पड़ा और गल्ला इकट्ठा करने का काम हम फसल के समय पर शुरू नहीं कर सके बल्कि फसल के बाद शुरू कर सके अतः गल्ला कम मात्रा में इकट्ठा किया जा सका।

भविष्य में हम अधिक चावल उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों से अधिक से अधिक चावल इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। हमने गल्ला इकट्ठा करने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली है और हम इस व्यवस्था को और भी मजबूत बनायेंगे।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

फिर भी हमें यथार्थवादी दृष्टिकोण से बातों पर विचार करना चाहिए। इस समय उड़ीसा और छत्तीसगढ़ क्षेत्र से भी हमें अधिक अनाज मिलने की आशा नहीं है। सूखा पड़ने के कारण वहां से अधिक अनाज मिलने की आशा नहीं है और जो अनाज मिलेगा वह वहीं के स्थानों के लिए काम में आ जायेगा।

मेहता समिति ने सिफारिश की है कि युद्धकाल में तथा युद्ध के बाद हमारे देश में जिस रूप में खाद्य नियंत्रण था वैसा खाद्य नियंत्रण अब दोबारा शुरू करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि कुछ वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण लगा देना चाहिए पर पहले का सा नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उसमें अनेक कठिनाइयां आयेगी और देश की जनता भी इसे पसंद नहीं करती।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० प्र० जैन]

हमने एक आदेश भी निकाल दिया है कि लोग व्यापार के लिए लाइसेंस लें और उसका ब्योरा सरकार के पास भेजें तथा उन ब्योरों की जांच की जाये। आटे की मिलों के लाइसेंस के लिए भी केन्द्रीय सरकार ने आदेश निकाल दिया है। हमने १ अक्तूबर, १९५७ को यह आदेश निकाला था और उसके परिणाम स्वरूप, आसाम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा बम्बई सरकारों ने नियंत्रण आदेश निकाल दिये हैं। बिहार, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में भी नियंत्रण तथा लाइसेंस आदेश तैयार कर लिये गये हैं और उन्हें शीघ्र ही जारी किया जायेगा। शेष राज्यों के संबंध में हम कार्यवाही कर रहे हैं। सरकार की नीति है कि व्यापार पर नियंत्रण रखा जाये। हमें पता लगाता है कि कहाँ–कहाँ पर अनाज का भण्डार है और उसे किस मूल्य पर तथा किस तरह बेचा जा रहा है। यदि हम देखेंगे कि इस व्यापार में सट्टेबाजी शुरू करके दाम बढ़ाने की कोशिश की जा रही है तो हम उसे तुरन्त रोक देंगे

जनता को अनाज देने के लिए उचित मूल्य की दुकानें भी खोली जा चुकी हैं और उन पर काफी नियंत्रण रखा जा रहा है। इस समय उचित मूल्य की दुकानों की संख्या ३६,००० है। जिन क्षेत्रों में सरकार ने अनाज के संभरण की जिम्मेदारी खुद ले ली है उनमें लोगों को पहचान पत्र (आइडे–न्टिटी कार्ड) भी दे दिये गये हैं। यह पहचान पत्र राशन कार्डों से भिन्न हैं। राशन कार्ड प्रणाली में यह बात है कि आप इस कार्ड पर एक निर्धारित मात्रा में अनाज खरीद सकते हैं और खुले बाजार में कोई भी अनाज उपलब्ध नहीं होगा। पहचान पत्र प्रणाली में बात यह होगी कि उचित मूल्य दुकान से तो एक निश्चित मात्रा में अनाज मिलेगा पर बाहर खुले बाजार से आप जितना चाहें उतना अनाज खरीद सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इस पहचान पत्र प्रणाली से खाद्य वितरण की व्यवस्था में काफी सुधार हो गया है। जो लोग उचित मूल्य की दुकानों की प्रणाली की आलोचना करते थे उन्होंने भी अब इसकी प्रशंसा की है। मैं जानता हूं कि अभी इन दुकानों की व्यवस्था में कुछ त्रुटि है और अभी वह रहेगी भी। उचित मूल्य की दुकानें चलाने का काम राज्य सरकारों का है। इस मामले में राज्य सरकारें हमसे राय भी लेती हैं। हम उन्हें राय भी देते रहे हैं। काफी सुधार हो गया है और आशा है कि आगे बहुत सुधार होगा।

अभी उस दिन एक माननीय सदस्य ने श्री अशोक मेहता द्वारा दिये गये एक वक्तव्य के संबंध में, कि विदेशों को छिपाकर चावल भेजा जाता है, मुझसे एक प्रश्न पूछा था। इस संबंध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान प्रतिवेदन के पृष्ठ ४१ की ओर आकृष्ट करूंगा।

चोरी द्वारा अनाज बाहर ले जाने की गतिविधियों को दाबाने के लिए इन दिनों हमने कड़ी कार्यवाही की है। पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों में बिना अनुज्ञा के अनाज कहीं लाने ले जाने पर रोक लगा दी गई है। सीमा पर पुलिस तथा उत्पादन शुलक विभाग की चौकियां स्थापित कर दी गयी हैं जिन्हें आदेश दिया गया है कि वे चोरी छिपे अनाज बाहर ले जाने वाली घटनाओं पर पूरी निगरानी रखें। उत्तरी बिहार में जो अनाज आता है सब जिलाधीश के नाम से आता है। देश के कुछ भागों में व्यापारियों द्वारा लाइसेंस लेने की प्रथा चला दी गई है और कुछ भागों में चलाई जाने वाली है। इस प्रकार यह व्यापारी अब किसी भी प्रकार बाहर अनाज नहीं भेज पायेंगे।

जहां तक गोआ का सवाल है मैसूर सरकार ने स्वयं एक सीमा निर्धारित कर दी है जिस में बिना अनुज्ञा के अनाज लाया या ले जाया नहीं जा सकता। बम्बई सरकार भी ऐसी ही कार्यवाही करने जा रही है। ऐसी खबर थी कि छोटे छोटे पत्तनों से लंका को अनाज छिपा कर भेजा जाता है। इस संबंध में मद्रास राज्य ने छानबीन कराई और मद्रास

सरकार का कहना है कि यह खबर गलत है । फिर भी पत्तनों के अधिकारियों को इस संबंध में सावधानी बरतने का आदेश दे दिया गया है । मैं यह नहीं कहता कि चोरी छिपे माल बाहर नहीं भेजा जाता । कई सौ मील लम्बे चौड़े सीमा क्षेत्र पर इतनी व्यवस्था करना कठिन है कि चोरी छिपे कोई भी अनाज बाहर न जाने पावे । पर मेरा विचार है और खाद्यान्न जांच समिति का भी यही विचार है कि हमारे देश से कोई बड़ी मात्रा में अनाज छिपा कर नहीं भेजा जाता ।

खाद्य प्रशासन को ठीक करने का जो प्रयत्न किया गया है उससे कुछ लाभ अवश्य हुआ है । यदि १९५२-५३ को आधार मान कर देखा जाय तो जनवरी के महीने में जो मूल्य ९१ था वह अगस्त में ११२ हो गया अर्थात् यदि हम मान लें कि उस वर्ष मूल्य १०० था तो अगले दो महीनों में १०७ हो गया । अर्थात् खाद्यान्नों के मूल्य में समग्रतः ५ की कमी हो गयी ११२ से घटकर १०७ रह गया । पर इधर सूखा पड़ने से कई जगहों पर मूल्य बहुत बढ़ गये हैं । चावल की फसल बहुत खराब हुई है अतः चावलों के दाम में बहुत वृद्धि हुई है ।

सरकार २० लाख टन अनाज इकट्ठा करना चाहती थी और हमने १० लाख टन से कुछ अधिक इकट्ठा भी कर लिया था । खाद्यान्न जांच समिति ने खाद्यान्न रक्षित रखने पर बहुत जोर दिया था । हम अपना संग्रह बढ़ाना चाहते थे पर सूखा पड़ने से अब हम अपना संग्रह बढ़ा नहीं पायेंगे पर हम कोशिश करेंगे कि हमारा संग्रह कम न होने पावे ।

खाद्यान्न जांच समिति ने यह भी सिफारिश की है कि खाद्यान्न के सहायक रक्षित की नीति को अपनाया जाये अर्थात् फसल के समय सरकार खाद्यान्न खरीदे और जब खाद्यान्नों के दाम बढ़ जायें तो उस रक्षित भण्डार को बेचे ताकि साल भर मूल्य लगभग एक से ही रहें । समिति ने इस सहायक रक्षित की नीति को चलाने के लिए एक योजना भी बनाई है । उन्होंने कहा है कि एक स्तर पर मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड बनाये जाये और एक स्तर पर खाद्यान्न स्थिरीकरण संगठन बनाये जायें । उन्होंने एक परामर्शदाता संस्था तथा एक गुप्तवार्ता विभाग खोलने की भी सिफारिश की है । सरकार इन सभी बातों पर बिचार कर रही है और हम किसी निर्णय पर अभी तक नहीं पहुंच सके हैं ।

खाद्य प्रशासन को सावधानी से चलाना खाद्य नीति के लिए उपयोगी है पर इससे खाद्यान्नों की कमी तो पूरी नहीं होगी । हम इस बात के लिए भी उपाय कर रहे हैं कि खाद्यान्नों का खर्च लोग कम करें, खाद्यान्न बरबाद न करें और अन्न के स्थान पर अन्य चीजें खा कर काम चलायें । फिर भी इन सभी बातो से हमें थोड़ी सीमा तक ही लाभ होगा ।

खाद्य जांच समिति ने इस बात पर भी विचार किया है कि देश की जनसंख्या बढ़ रही है ; लोगों के रहन सहन का स्तर बढ़ रहा है और इसके परिणाम स्वरूप १९६०-६१ में ७९० लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता देश को होगी ।

इस समिति ने खाद्यान्नों के उत्पादन के मसले पर भी विचार किया है और उसका कहना है कि अगले कुछ वर्षों में भारत में खाद्यान्न का पर्याप्त उत्पादन नहीं होगा समिति का विचार है कि लगभग २० या २५ लाख टन खाद्यान्न की कमी पड़ेगी

[श्री अ० प्र० जैन]

समिति का विचार है कि इस कमी को पूरा करने के लिये खाद्यान्न के आयात का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। पर समिति के प्रतिवेदन में पृष्ठ १०४ पर यह भी कहा गया है कि उत्पादन बढ़ने की भी आशा है।

हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलता हमारी कृषि पर निर्भर है। हमारे राष्ट्रीय लाभांश का ५० प्रतिशत कृषि से मिलता है और जब तक हम अपने देश की आवश्यकता पूरी करने तथा निर्यात करने के लिए काफी उत्पादन नहीं करते हमारी योजना की सफलता खतरे में पड़ जायेगी। अतः योजना की सफलता कृषि के उत्पादन की वृद्धि पर निर्भर है। यद्यपि कृषि उत्पादन बढ़ा है पर उतना नहीं जितना कि हमारे लिए आवश्यक था।

खाद्यान्न जांच समिति ने इस समस्या पर अच्छी तरह विचार किया है और पृष्ठ १०४ पर उसने उत्पादन लक्ष्यों तथा व्यय के लक्ष्यों का अध्ययन किया है। मैं केवल उत्पादित लक्ष्यों की बात लूंगा क्योंकि वही महत्वपूर्ण बात है।

समिति ने खाद्य उत्पादन को ५ भागों में बांटा है---सिंचाई के बड़े साधन, सिंचाई के छोटे साधन, भूमि कृष्यकरण तथा भूमि निकास, उर्वरक तथा खाद और अन्य अच्छे किस्म के बीज। प्रथम योजना में सिंचाई के बड़े साधनों के लक्ष्य में ४० प्रतिशत की पूर्ति हुई है। सिंचाई के छोटे साधनों में ६१ प्रतिशत सफलता मिली है, भूमि कृष्यकरण में ७७ प्रतिशत, उर्वरक तथा खादों में ५० प्रतिशत और अच्छे किस्म के बीजों में ५५ प्रतिशत की सफलता मिली है। इस ब्यौरे की एक विशेष बात यह भी है कि यद्यपि सिंचाई के बड़े साधनों पर निर्धारित व्यय का ६२ प्रतिशत व्यय किया गया पर इन साधनों में केवल ४७ प्रतिशत की उन्नति हो पाई। सिंचाई के छोटे साधनों के संबंध में बात बिल्कुल उलटी रही क्योंकि निर्धारित व्यय का लक्ष्य ६३ प्रतिशत था और इससे हमें ६१ प्रतिशत सफलता मिली। अर्थात् व्यय कम हुआ पर इससे सिंचाई का बहुत काम हुआ।

इससे हमें भविष्य की योजना के लिए शिक्षा लेनी चाहिये।

प्रथम पंच वर्षीय योजना के कार्यों के आधार पर समिति ने द्वितीय योजना के अधीन इन चार शीर्षकों अर्थात्, सिंचाई के छोटे साधनों, उर्वरक तथा खाद, बढ़िया बीज और भूमि कृष्यकरण तथा भूमि का विकास, के अन्तर्गत उत्पादन की संभावना का अनुमान लगाया है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि १००·५ लाख टन के निर्धारित लक्ष्य का ७५ प्रतिशत उत्पादन होगा। मेरा विश्वास है कि हमारे कृषि उत्पादन को बढ़ाने की गुंजाइश है। कुछ राज्यों ने हम से कहा है कि छोटे सिंचाई कार्यों के लिए और धन राशि दी जाए और मेरा अपना अनुभव यह है कि सिंचाई के छोटे साधनों का फल न्यूनतम समय में ही मिल जाता है। वह सब से सस्ता ढंग है जिस से किसानों को पानी दिया जा सकता है और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उन से वे कठिनाइयां भी पैदा नहीं होतीं जो सामान्यतः सिंचाई के बड़े साधनों में होती हैं। कुआं लगाने वाले व्यक्ति को बड़ी बड़ी नालियां नहीं खोदनी पड़तीं और वह कुआं अंशतः उस के अपने प्रयत्नों का ही फल है।

अतः वह उसे सफल बनाने में गर्व अनुभव करता है । इसी लिए उस में देरी नहीं होती । एक बड़े सिंचाई साधन से एक लाख दो लाख या तीन लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । अधिकाधिक भूमि की सिंचाई के लिए बहुत सी छोटी नहरें बनानी होंगी । बारानी खेती में तो भूमि ऊंची नीची भी हो तो कोई अन्तर नहीं पड़ता । परन्तु यहां भूमि को समतल करना होगा और बहुत से कार्यों की आवश्यकता है। नई प्रकार की फसलें विकसित करनी होंगी । किसानों को सिंचाई के काम बताने होंगे । कभी कभी किसान सिंचाई शुल्क अत्यधिक होने के कारण उस का भुगतान नहीं कर सकते । इस प्रकार सभी बड़े सिंचाई कार्यों तथा माध्यमिक सिंचाई कार्यों में ये सब कठिनाइयां हैं । इसी कारण मैं ने प्रश्नोत्तर के समय एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हमारी भावी नीति बड़े सिंचाई साधनों और माध्यमिक सिंचाई साधनों से प्राप्त होने वाला सारा धन छोटे सिचाई कार्यों में लगा देना होगा ।

पदाधिकारियों के जिस दल ने अनावृष्टि के क्षेत्रों का दौरा किया है उस ने कहा है कि सब प्रकार के छोटे सिंचाई साधन अर्थात् कच्चे कुएं, बरसाती नालों को बांधना तथा अन्य विकसित साधन तुरन्त अपनाने चाहियें ताकि कठिनाइयों पर काबू पाया जा सके । इन्हीं बातों पर हम अधिक बल देना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि छोटे सिंचाई कार्यों के संबंध में हमें लक्ष्य से भी १०० प्रतिशत अधिक काम करना चाहिये ।

भारतीय किसान उर्वरकों का प्रयोग करने लगा है । उर्वरकों के वितरण में कुछ कठिनाई अवश्य है और मैं स्वीकार करता हूं कि कभी-कभी उर्वरक देर से पहुंचते हैं। हम इस की व्यवस्था में सुधार का प्रयत्न करेंगे । दुर्भाग्य की बात है कि इस वर्ष उर्वरक का हमारा संभरण मांग से २५ प्रतिशत कम था और अगले वर्ष विदेशों से मंगाये जाने वाले उर्वरकों को ध्यान में रखते हुये संभरण की स्थिति और भी दुखद होगी क्योंकि कुल मांग का ६० प्रतिशत संभरण हो सकेगा अर्थात् ४० प्रतिशत की कमी रहेगी । मैं अपने साथी वित्त मंत्री और योजना आयोग से यह अनुरोध करता रहा हूं कि यह एक ऐसी चीज़ है जिस से उत्पादन बढ़ सकता है । वस्तुतः समिति ने आंकड़े निकाले हैं और उसका कहना है कि यदि उर्वरक मंगाने पर १०० करोड़ रुपया व्यय किया जाये तो लग-भग २७० करोड़ रुपये का अधिक अनाज पैदा हो सकता है। परन्तु विदेशी मुद्रा की भी कठिनाई है। मेरे साथियों को मुझ से पूर्ण सहानुभूति है और मैं ने उन से अनुरोध किया है कि इस के आयात से खाद्यान्न के आयात की अधिक आवश्यकता नहीं रहेगी ।

बढ़िया किस्म के बीज संभरण करने के कार्य में भी सुधार की बहुत गुंजाइश है और हम इस के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । प्रतिवेदन के पृष्ठ १०५ की कण्डिका ५ में दी गई पहली ४ मदों के लिये राज्य सरकारें खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के परामर्श से काम कर रही हैं और मैं आशा करता हूं कि खाद्यान्न जांच समिति के आधार पर जितना अच्छा परिणाम होने की आशा है हम उसकी अपेक्षा अधिक सफल होंगे ।

सुधरे हुये कृषि ट्रेक्टरों की मद के लिये मेरे साथी सामुदायिक मंत्री ही मुख्यतः उत्तरदायी हैं । हम न सामुदायिक विकास मंत्रालय और खाद्यान्न कृषि मंत्रालयों के कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिये एक समिति स्थापित की है । सामुदायिक विकास मंत्रालय अब यह ध्यान रखता है कि सामुदायिक विकास के क्षेत्रों में पहले खाद्यान्न के उत्पादन पर बल दिया जाय और मुझे विश्वास है कि वह विभाग खाद्यान्न के उत्पादन पर बल दे रहा है ।

[श्री अ० प्र० जैन]

दुर्भाग्य की बात है कि समिति की यह राय है कि इस शीर्षक के अधीन विहित लक्ष्यों में से केवल ५० प्रतिशत लक्ष्य पूरे होंगे। परन्तु मुझे आशा है कि सामुदायिक विकास में कृषि सम्बन्धी योजनाओं पर अधिक बल देने से अधिक अच्छे परिणाम निकलेंगे। वस्तुतः समिति ने प्रतिवेदन के पृष्ठ ११५ पर कहा है :—

> "......हमें इसमें सन्देह नहीं कि विस्तार सेवा खण्डों का कार्य बढ़ने और उत्पादन में नवोत्साह आने पर अधिक प्रशिक्षित और संगठित कर्मचारियों की सहायता से वस्तुतः उत्पादन में काफी वृद्धि होगी।"

बड़ी सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में मैं कुछ बातें बता चुका हूं। सभा को यह जान कर हर्ष होगा कि कुछ क्षेत्रों में जहां सिंचाई से विकास अधिक हो सकता था वहां सिंचाई का उपयोग आरम्भ किया जा रहा है। कल मैं ने बताया था कि सम्बलपुर क्षेत्र में १,५०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है। यह उस दल का कथन है जिसने वहां का दौरा किया है और मैं उस प्रमाण के आधार पर ही यह कह रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा है कि फरवरी से जून तक के महीनों में और १०० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

बिहार में नल-कूप के पानी के उपयोग से भी सिंचाई बढ़ रही है। खरीफ़ १९५६ में बिहार में लगभग २५,००० एकड़ भूमि की सिंचाई नल कूपों द्वारा की गई थी और उस की तुलना में इस वर्ष ७०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हुई है। मैं समझता हूं कि नलकूपों द्वारा सिंचाई का क्षेत्र और भी बढ़ाया जा सकता है। और मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकारें सभी सिंचाई के साधनों का अधिकतम उपयोग करेंगी। वस्तुतः हम सब के लिये यह लज्जाजनक बात है कि हमारा इतना मूल्यवान धन सिंचाई कार्यों पर व्यय हो और हम नल-कूप जैसे साधनों का प्रयोग न करें। मैं समझता हूं कि लोग अब इस आवश्यकता के प्रति अधिक सचेत हो रहे हैं और हमें सिंचाई साधनों के उपयोग में देर नहीं करनी चाहिये। मैं यह दावा नहीं करता कि मेरे मंत्रालय में कोई अच्छाई है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कठिन परिस्थिति में मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूं। मैं यह नहीं कहता कि मेरा भरसक प्रयत्न सर्वोत्तम भी है। जहां तक कृषि सम्बन्धी कार्यों का सम्बन्ध है वह राज्य सरकारों का क्षेत्राधिकार है।

मैं जानता हूं कि लोग स्थिति को अधिक अनुभव कर रहे हैं परन्तु इससे भी अधिक अनुभूति की आवश्यकता है। सम्भवतः कभी कभी विपत्तियां और तबाही एक वरदान स्वरूप होती है और हम उस से अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। हमें इस अनावृष्टि से सबक सीखना चाहिये और खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये अधिकतम परिश्रम करना चाहिये क्योंकि केवल खाद्योत्पादन से समस्या हल हो सकती है न कि खाद्यान्न के आयात से। आज तो प्रश्न यह है कि "उत्पादन अथवा उत्सादन" और हमें अधिक उत्पादन करना चाहिये।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि देश की खाद्य स्थिति पर विचार किया जाये।"

इस प्रस्ताव पर २४ संशोधन प्राप्त हुये हैं। अनुपस्थित सदस्य श्री संगण्णा, श्री बनर्जी और श्री सरजू पांडे के संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे। शेष संशोधन संख्या १, ६, ७ से १६ और १८ से २४ प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

बोलने वाले सदस्यों की संख्या बहुत है अतः प्रत्येक सदस्य १५ मिनट से अधिक नहीं लेगा ।

†**श्री कालिका सिंह** (आजमगढ़) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री वि० द० त्रिपाठी** (उन्नाव) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं :

†**श्री बी० दास० गुप्त** (पुरूलिया) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं ।

•†**श्री ले० अचौ० सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १०, ११, १२, १३ १४ और १५ *प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम) : मेरा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १८ है । मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये—

"देश की खाद्य स्थिति पर विचार करने के पश्चात् इस सभा की यह राय है कि देश में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार उचित उपाय करे ।"

†**श्री रघुबीर सहाय** (बदायूं) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १९ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नलदुर्गकर** (उस्मानाबाद) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २० प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री जगदीश अवस्थी** (विल्हौर) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २१ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** :(इटावा): मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २२ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नि० वी० माईती** (घाटल) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २३ प्रस्तुत करता हूं :

†**श्री श० च० गोडसोरा** (सिंहभूमि—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**सभापति महोदय** : ये सब स्थानापन्न प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : प्रत्येक सत्र में हम खाद्य स्थिति पर चर्चा करते हैं । बंगाल के १९४३ के दुर्भिक्ष से अब तक कई समितियों ने इस की जांच की है । अतः अशोक मेहता समिति से किसी ऐसे सुझाव की आशा नहीं जो पहली समितियों ने न किये हों अथवा सभा में जिन की चर्चा न हुई हो ।

मेरा राज्य खाद्याभाव का क्षेत्र है अतः मुझे इस सम्बन्ध में कुछ विशेष बात कहनी है । प्रतिवेदन के अनुसार १९४९–५० से १९५६–५७ तक खाद्यान्न उत्पादन में केवल १८ प्रतिशत वृद्धि

†मूल अंग्रेजी में

*क्योंकि पंडित ठाकुरदास भार्गव पीठासीन थे, अतः ये स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत हुये मान लिये गये ।

[श्री अ० चं० गुह]

हुई है। अब अधिकतर लोग बढ़िया अनाज खाने लगे हैं। गेहूं तो और देशों से भी मिल सकता है परन्तु चावल के सम्बन्ध में स्थिति बहुत कठिन है।

सरकार ने चावल का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, बिहार में रूस का उत्पादन घट गया है। केवल बंगाल और आंध्र प्रदेश में इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है।

गत सप्ताह उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूखे की स्थिति पर चर्चा हुई थी। पता नहीं सरकार ने इन क्षेत्रों की ओर क्यों ध्यान नहीं दिया।

मैं अपने प्रदेश अर्थात् २४ परगना नदिया और मुर्शिदाबाद की बात करता हूं। वहां एक वर्ष अनावृष्टि और एक वर्ष बाढ़ की स्थिति रहती है जब तक वहां छोटे सिंचाई कार्य आरम्भ न किये जायें और नदियों में जमा हुई रेत न निकाली जाए तथा नालियां न बनाई जाएं वहां की स्थिति सुधर नहीं सकती। पश्चिमी बंगाल के उत्तर में नेपाल और तिब्बत से आने वाली नदियों में बाढ़ आती है। दो वर्ष पूर्व इस स्थिति पर चर्चा भी हुई थी परन्तु पता नहीं सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है।

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत भी इन जिलों में कुछ नहीं किया गया। यदि कहीं नल कूप लगाये भी गये हैं तो वहां बिजली नहीं पहुंचाई गई।

जमींदारी सुधार अपूर्ण होने के कारण भी स्थिति अधिक खराब हुई है। इस बात का उल्लेख प्रतिवेदन में भी किया गया है। इस काम में शीघ्रता की आवश्यकता है।

भूमि की मुरब्बाबंदी के कारण लोगों को पता नहीं कि उन के हिस्से में कौनसी भूमि आएगी। इस कारण भी वे भूमि के विकास की ओर ध्यान नहीं दे रहे।

खाद्यान्न उत्पादन में कमी से मूल्य कम हो जाते हैं और उस के फल स्वरूप बाहर में रोजगार की कमी हो जाती है। अतः कृषक को उपयुक्त मूल्य मिलना ही चाहिये ताकि वह काम चला सके।

इस सम्बन्ध में आर्थिक और मुद्रा सम्बन्धी बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिये। यह समझना गलत होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो ५०० करोड़ रुपये तक नोट बना कर घाटे की व्यवस्था पूरी की जाएगी उस का प्रभाव लोगों के निर्वाह व्यय पर नहीं होगा। अतः किसानों को उचित मूल्य मिलने चाहियें और उस से पैदा होने वाली कठिनाई से मध्य वर्ग को बचाने के लिए केवल उस वर्ग को ही वित्तीय सहायता देनी चाहिये। प्रतिवेदन में कहा गया है कि १९६०-६१ में केवल २० या २५ लाख टन अनाज की कमी होगी। यह कोई डर की स्थिति नहीं है।

हमें सरकार पर विश्वास करना चाहिये। वह लोगों को भूखों नहीं मरने देगी। माननीय मंत्री को यह भी बताना नहीं चाहिये था कि हमें इस वर्ष ३०, या ४० लाख टन अनाज की आवश्यकता पड़ेगी। इससे सट्टेबाज लाभ उठा सकते हैं।

हम ने पहले १५० लाख टन फालतू अनाज रखने का निश्चय किया परन्तु १९५५ में घटा कर आधा कर दिया गया। यह ठीक नहीं किया। हमें फिर फालतू भंडार बनाना चाहिये।

पश्चिमी बंगाल जैसा छोटा सा राज्य कलकत्ता की स्थिति को संभाल नहीं सकता और कलकत्ता के बाजार का प्रभाव न केवल बंगाल के जिलों वरन् उड़ीसा और बिहार पर भी पड़ता है। अतः कलकत्ता का भार केन्द्रीय सरकार को संभालना चाहिये। प्रतिवेदन में भी कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े नगरों का उल्लेख किया है कि ये नगर खाद्य स्थिति पर बहुत प्रभाव डालते हैं। अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

†**श्री वि० द० त्रिपाठी** : देश की गंभीर खाद्य स्थिति को सुलझाने के लिए श्री अ० प्र० जैन ने जो वक्तव्य दिये हैं मैं उन का स्वागत करता हूं।

श्री अशोक मेहता समिति ने इस सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन दिया है वह असंतोषजनक है क्योंकि उस में केवल इस समस्या की चर्चा ही की गई है समस्या का कोई हल नहीं बताया गया है। उसके पृष्ठ ५३ पर जिन पत्रों का उल्लेख है वे हमें नहीं मिले हैं अतः हमें दिये जाने चाहियें।

मैं अपने स्थानापन्न प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि हमें स्थिति से घबराहट नहीं होनी चाहिये। सभी दलों के सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता है क्योंकि प्रथम पंच वर्षीय योजना को पूर्णतः कार्यान्वित न करने और निरंतर प्राकृतिक विपत्तियों के कारण ही खाद्यान्न की कमी हो गई है। प्रथम पंच वर्षीय योजना से हमारी आशाएं पूरी नहीं हुई क्योंकि १९५६-५७ में हमारे पास प्रति व्यक्ति के लिए इतना भी अनाज नहीं रहा जितना १९५४-५५ में था। जन संख्या की वृद्धि और प्राकृतिक विपत्तियों पर हमारे नियंत्रण नहीं अतः हमें योजनाओं में उल्लिखित लक्ष्यों के लिए अधिक प्रयत्नशील होना चाहिये। परन्तु प्रथम पंच वर्षीय योजना के लक्ष्यों को कतिपय क्षेत्रों में पूरा नहीं किया गया और खाद्यान्न की कमी का यही कारण है।

उत्तर प्रदेश में नए कुएं बनाने, सहकारी नल कूप, जल निस्सारण योजना इत्यादि सभी कार्यक्रमों में लक्ष्य से कम काम किया गया है।

उत्तर प्रदेश के आधे भाग में चकबंदी की योजना पूरी हो चुकी है और शेष भाग में अभी बाकी है। वहां के कृषक अपनी भूमि के सुधार की ओर ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें निश्चय नहीं कि वह भूमि उन के पास रहेगी अथवा नहीं। वहां के राजस्व मंत्री ने कहा है कि इस योजना के पूरे होने में दस वर्ष लग जाएंगे। इस का अभिप्राय यह हुआ कि इस वर्ष तक वहां उत्पादन में कोई सुधार नहीं होगा।

मेरे कथन का आशय यह है कि जो बात उत्तर प्रदेश में हो रही है वही अवस्था अन्य राज्यों में भी होगी। सरकारी आंकड़े भी नितांत भ्रांतिपूर्ण होते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय पैदावार का प्रतिशत २०.२५ है जब कि मेहता समिति के अनुसार यह प्रतिशत केवल १०.८ है। ऐसे गलत आंकड़ों पर भावी योजनायें आधारित करना गलत है। निसंदेह हमें खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में निराश नहीं होना चाहिये तथापि यदि कोई आपात कालीन स्थिति पैदा हो जाय तो उसके लिये भी तैयार रहना चाहिये।

इसलिये मेरा सुझाव है कि खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आधार पर विचार किया जाय और सभी दलों के देश भक्त लोगों का एक स्थायी आयोग बनाया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वि० द० त्रिपाठी]

जाय जो इस स्थिति पर विचार विनिमय करते रहें। मैंने इस स्थिति के सुधार के लिये अपने प्रस्ताव में दस बातें बताई हैं। वस्तुतः कई अन्य सदस्यों ने भी यही सुझाव दिये हैं। मुझे प्रसन्नता है कि खाद्य मंत्री ने सिंचाई की छोटी योजनाओं पर अधिक ध्यान देने को कहा है। यदि उक्त बातों पर ध्यान दिया जायेगा तो हमारे देश में खाद्य की कमी सरलता से पूरी हो सकती है।

†**श्री नौशीर भरुचा** (पूर्व खानदेश) : मैं ने खाद्य मंत्री का भाषण बहुत ध्यान पूर्वक सुना। मुझे दुख है कि उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि वे देश को खिलाने की व्यवस्था किस प्रकार कर रहे हैं तथा भारत में खाद्यान्न की खपत किस नीति से होती है। भारत में अन्न की खपत एक सप्ताह में १० लाख टन होती है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे खाद्यान्न की कुल रक्षित राशि भारत के लिये १५० घंटे के खपत के लिये पर्याप्त है और यदि भारत में १० प्रतिशत अन्न की कमी है तो भी इसके लिये हमें ७०० करोड़ की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। खाद्य मंत्री इसकी व्यवस्था कहां से करेंगे। हमें बर्मा से कितना खाद्यान्न मिलने की आशा है। ये सब बातें माननीय मंत्री को बतानी चाहियें। क्योंकि बम्बई में सस्ती अनाज की दुकानों से लोगों को आध सेर चावल भी उपलब्ध नहीं हो रहा है और वहां लम्बी कतार लगी रहती है। अतः मेरा सुझाव है कि खाद्य पर पूर्ण नियंत्रण कर दिया जाय। कम से कम मैं यह जानना चाहता हूं कि बम्बई नगर में खाद्यान्न की क्या व्यवस्था की जायेगी।

†**डा० कृष्णस्वामी** (चिंगलपट) : १९५५ से लेकर आज तक खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि होती जा रही है खाद्यान्नों के सूचक अंकों में ६७ से १०२ तक वद्धि हो गई है तो चाय चीनी इत्यादि में ८२ से ११२ तक वृद्धि हो गई है। इससे लोगों के जीवन स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

खाद्यान्न उत्पादन १९५३-५४ में सर्वाधिक अर्थात् ६९०.८ लाख टन था। अगले दो वर्षों में यह उत्पादन घटा है लेकिन पुनः यह लगभग उतना ही बढ़ गया है। साथ ही विदेशों से आयात होने वाले खाद्यान्नों की मात्रा में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है लेकिन इसके बावजूद भी मूल्यों में भी वृद्धि होती जा रही है। तो क्या देश में खाद्यान्न की मांग उत्पादन से भी अधिक तेज है या सट्टे इत्यादि के कारण खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि हुई है। मैंने आशा की थी कि खाद्यान्न जांच समिति इनका स्पष्ट उत्तर देगी लेकिन मुझे उसके प्रतिवेदन से निराशा ही हुई है।

वस्तुतः समस्या यह है कि सरकार को इस बात का पता नहीं है कि देश में खाद्यान्न की कितनी मांग है और इस मांग में जनसंख्या इत्यादि की वृद्धि के कारण कितनी वृद्धि होती जा रही है।

इसलिये मूल्यों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। यह नियंत्रण केवल वितरण पर नियंत्रण के द्वारा ही हो सकता है। इसके लिये पर्याप्त रक्षित खाद्यान्न होना चाहिये। यह खाद्यान्न हम बाहर से तो मंगाने में असमर्थ हैं इसलिये देश में ही हमें अधिकतम खाद्यान्न उपलब्ध करना चाहिये। आवश्यकता इस बात की है कि उपभोक्ता को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सके।

जनता का योजना में सहयोग प्राप्त करने का एक साधन यह भी है कि गांव तथा नगरों के बीच व्यापार का उचित संतुलन रहे। खाद्यान्न प्राप्त करने की जो भी नीति

†मूल अंग्रेजी में।

अपनाई जाय वह द्वितीय पंच वर्षीय योजना को ध्यान में रखकर हो और खरीद की कीमतें अत्यधिक ऊंची न हों। समिति ने गेहूं की कीमत ९-४-० से ११-४-० तक रखने की सिफारिश की है।

जहां तक गेहूं प्राप्त करने का सम्बन्ध है इस कार्य को केवल राज्य सरकारों के हाथों में ही देना उचित नहीं है। न केवल केन्द्रीय सरकार का ही नियंत्रण रहना चाहिये। बल्कि हमें वह नीति अपनानी चाहिये जैसी कि युद्ध काल में इंगलैण्ड में अपनाई गई थी। जिसके अनुसार सारे खाद्यान्नों की मालिक सरकार समझी जाती थी और व्यापारी खाद्यान्नों की खरीद और व्यापार लाइसेंस में दिये गये नियमों के अनुसार करते थे। भारत में भी व्यापारियों के सहयोग से ऐसा तरीका अपनाया जा सकता है। स्वर्गीय रफी अहमद किदवई ने खाद्य का विनियंत्रण एक रोज में ही नहीं किया था अपितु बहुत सोच विचार के पश्चात् किया था।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

नियंत्रण एक दिन में नहीं लागू किया जा सकता उसके लिये पहिले से ही क्षेत्र तैयार करना होगा और सभी बातें विचारनी होंगी। आज हमें किसानों को उचित मूल्य देने पर जोर नहीं देना है अपितु उपभोक्ता को उचित मूल्य में खाद्यान्न देना चाहिये। जिस से मूल्य वृद्धि का चक्र वहीं समाप्त हो जाय। खाद्य मंत्री ने अन्य प्रश्न भी उठाये हैं उदाहरणार्थ सिंचाई की बड़ी परियोजनाओं से सम्बन्धित प्रश्न। मेरे विचार से तत्सम्बन्धी नीतियों का अन्तिम रूप से तब तक निर्णय नहीं किया जा सकता है जब तक सिंचाई मंत्री भी उन से सहमत न हों। अन्य देशों ने भी मूल्य वृद्धि के समय संसाधन उपलब्ध करने के लिये संसाधनों की कीमतें घटाई हैं अतः हमें पानी की दरों में कमी करनी चाहिये और विशेषतः सिंचाई की छोटी परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिये। साथ ही हमें अधिक से अधिक उर्वरक उपलब्ध होने चाहियें। मेहता समिति ने एक विशेष प्रकार के निगम बनाने की भी सलाह दी है लेकिन उसकी सिफारिशें अस्पष्ट तथा त्रुटिपूर्ण हैं अतः उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के पूर्व सभा को एक बार पुनः उन पर अपना मत अभिव्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिये।

†**श्री बांगशी ठाकुर** (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : त्रिपुरा की खाद्य स्थिति असन्तोषजनक है। इस वर्ष त्रिपुरा का उत्पादन पिछले वर्ष से ५० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। एक कारण यह भी है कि त्रिपुरा के शरणार्थियों में से अधिकांश अभी कोई उत्पादक कार्य नहीं करते हैं। वे केवल लकड़ियां बेच कर गुजर कर रहे हैं जिस के फलस्वरूप वहां के जंगल साफ हो गये हैं। त्रिपुरा की दम्बोर जल विद्युत् योजना भी क्रियान्वित नहीं की जा रही है अन्यथा इससे त्रिपुरा को बहुत लाभ होता। इसके स्थान पर मेरा सुझाव है कि वहां की छोटी नदियों और नालों में सिंचाई और विद्युत् की बहुत संभावनायें हैं उन का पूरा उपयोग करना चाहिये। त्रिपुरा का वार्षिक उत्पादन ७५ लाख टन धान है जबकि वार्षिक उपयोग ६५ लाख टन है लेकिन इसमें से ७ लाख टन भारत पाक समझौते के अनुसार जिरातियों को देना पड़ता है लेकिन ये लोग इस के स्थान में २१ लाख टन धान ले जाते हैं,

---

†मूल अंग्रेजी में

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

इसके अलावा निरन्तर कम भूमि में धान की खेती हो रही है क्योंकि जूट की खेती से धान की अपेक्षा दुगुनी आय होती है ।

यद्यपि त्रिपुरा में निर्माण कार्य बहुत हो रहा है तथापि अधिकांश कार्य अनुत्पादक प्रकार के हैं। त्रिपुरा में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है लेकिन कोई नहीं जानता कि इसमें कितना समय लगेगा । जहां तक मेहता खाद्य समिति का प्रश्न है । मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है अभी कुछ दिन पूर्व मैं ने यह प्रश्न पूछा था कि १५००० मन चावल क्यों फेंका गया तो मुझे बताया गया कि वह मनुष्यों के खाने के योग्य नहीं था । वस्तुतः मेरा आशय यह था कि यह १५००० मन चावल कब खाने के अयोग्य हुआ ? आशा है सरकार इस प्रश्न का उत्तर देगी ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : इससे पहिले मैंने सभा में केवल पश्चिमी बंगाल की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में कहा था । लेकिन अब यह संकट कई अन्य क्षेत्रों में फैल गया है । वस्तुतः यह प्रश्न आज का सब से मुख्य प्रश्न है और यही योजना की सफलता का आधार है । हमारी मुख्य समस्या यह है कि खाद्य का उत्पादन किस प्रकार बढ़ाया जाय ।

मुझे खाद्य मंत्री के मुंह से यह सुन कर दुख हुआ कि उन्हें जनता की परेशानियों का पता नहीं है । गांवों में व्यक्तियों को सारे दिन सस्ते अनाज की दुकानों पर बैठे हुए भी अनाज नहीं मिलता है । कृषि श्रमिकों की क्रय शक्ति भी घट गई है क्योंकि उनके पास कार्य नहीं है अतः योजना बनाते समय इन सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है ।

वास्तविक प्रश्न उत्पादन का है । हमें यह बताया गया कि १९५३-५४ में हम ने खाद्य उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया । तत्पश्चात् अगले दो वर्षों में जो उत्पादन हुआ वह लक्ष्य से कम था । उत्पादन की वह वृद्धि भी अधिक क्षेत्र में खेती होने के कारण हुई थी न कि प्रति एकड़ पैदावार में वृद्धि होने के कारण । वस्तुत हमारे देश के अधिकांश व्यक्ति एक बार भोजन करते हैं और आधे भूखे रहते हैं तथापि हमसे कहा जाता है कि हम बहुत खाना खाते हैं । अशोक मेहता समिति ने बताया है कि जब कि प्रति व्यक्ति कैलारी आवश्यकता ३००० कैलारी है हमें कठिनता से २२०० कैलोरी उपलब्ध होता है ।

अखिल भारतीय किसान सभा ने बार बार यह मांग की है कि भूमि सम्बन्धी सुधारों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । मेहता समिति ने इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। वस्तुतः भूमि सुधारों में इतनी त्रुटियां हैं कि उस से अधिकांश कृषकों को बहुत हानि हो रही है और उस के फलस्वरूप कुछ धनी किसानों के पास और अधिक भूमि जमा हो गई है। अशोक मेहता समिति ने एक बात यह भी कही है कि कुछ धनी किसान फसल को एकत्र कर रख सकते हैं और वे उसे फसल के समय भी नहीं निकालते इस से खाद्यान्न की कीमतें नहीं गिरने पाती हैं ।

अब मैं बंजर भूमि के प्रश्न को लेती हूं । उत्तर प्रदेश के संवादों के अनुसार वहां पड़ी भूमि का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है क्योंकि वह जमीन जमींदारों के नाम है जिसे वे स्वयं नहीं जोत सकते हैं। आंध्र में ये भूमियां श्रमिकों की सहकारी समितियों को दी गईं लेकिन अब उनसे कह दिया गया है कि उन्हें कोई सुविधायें नहीं दी जायेंगी, फलस्वरूप सहकारिताओं का विकास नहीं हो रहा है ।

हमारे राज्य में एक सरकारी समिति से ऐसे समस्त किसानों को एकत्र कर खेती करना प्रारम्भ किया जो कृषि-कर नहीं देते थे लेकिन अब उस पर कृषि-कर लगा दिया गया जिसके फलस्वरूप वह टूटने की स्थिति में है । हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि अधिकतम व्यक्तियों को भूमि मिलें और वे उसके मालिक बन सकें तथा उन्हें जमीन से न हटाया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यद्यपि हम ने भांडारों के सम्बन्ध में एक विधि पारित कर दी है तो भी हमारे राज्य में एक भी भांडार गृह अभी तक नहीं खोला गया है। कृषि ऋण भी सामान्य किसानों को नहीं मिलता है। उन्हें ऐसे लोगों की सहायता लेनी होती है जो उन्हें ऋण देने के इच्छुक नहीं होते। फलस्वरूप सामान्य किसानों का जीवन स्तर नहीं बढ़ने पाता है।

अब मैं सिंचाई की छोटी योजनाओं को लेती हूं। ये योजनायें बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन इस के साथ ही पानी निकालने की योजनाओं पर भी ध्यान देना चाहिये। हमारे राज्य में बहुत वर्षा होती है जिससे खेतों में पानी भर जाता है अतः वहां पानी निकालने के पम्पों की व्यवस्था होनी अनिवार्य है। सिंचाई की दरें घटाना भी जरूरी है। जब तक इन दरों में कमी नहीं होगी लोग सिंचाई के पानी से लाभ नहीं उठायेंगे। जहां तक खाद का सम्बन्ध है हमें सस्ती देशी खादों का उपयोग करना चाहिये और यथावश्यक इनका प्रचार करना चाहिये। अशोक मेहता समिति ने खाद्यान्न के व्यापार को सरकार से अपने हाथों में लेने की सिफारिश की है। वस्तुतः हम बहुत पहिले से इसकी मांग कर रहे हैं। इस व्यापार को सरकार के अपने हाथों में लेने से ही मूल्य वृद्धि में रोक लग सकती है।

खाद्य समस्या किसी दल विशेष की समस्या नहीं है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है अतः इसके हल के लिये सभी दलों का सहयोग लेना चाहिये। यदि सरकार इसी तरह सभी विषयों के लिये सार्वजनिक समितियां बनाये तो निस्सन्देह राष्ट्र की समस्याओं का हल हो सकता है।

†**सभापति महोदय** : जब मैंने संशोधन प्रस्तुत करने को कहा था उस समय शायद श्री संगण्णा अनुपस्थित थे। चूंकि उन्होंने अपना संशोधन प्रस्तुत करने के लिये प्रार्थना की है अतः श्री संगण्णा अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

†**श्री संगणणा** (कोरापट—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं अपने संशोधन संख्या ३, ४ और ५ प्रस्तुत करता हूं।

†**सभापति महोदय** : उक्त स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

†**श्री बाजपेयी** (बलरामपुर) : सभापति जी, आज देश में जो भी खाद्य परिस्थिति पैदा हो गई है उसके कारणों पर अगर हम विचार करें तो इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि दूसरी योजना में हमने जो कृषि की उपेक्षा की उसके फलस्वरूप हमारे सामने आज का खाद्य संकट खड़ा हो गया है। दूसरी योजना में औद्योगीकरण पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया। कृषि भारत का सब से बड़ा उद्योग है, और हम यदि आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो उसका आधार खाद्योत्पादन की दृष्टि से हमारी आत्मनिर्भरता ही हो सकती है। मैं अशोक मेहता समिति के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि अन्न की दृष्टि से हम आत्म निर्भरता प्राप्त नहीं कर सकते। यदि प्रयत्न किया जाये, सही ढंग से और सही दिशा में, तो अवश्य ही देश इस सम्बन्ध में अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, लेकिन इस के लिये यह आवश्यक है कि हम सही दृष्टिकोण अपनायें। यह संतोष की बात है कि हमारे खाद्य मंत्री महोदय ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाओं की अपेक्षा हमें अपना ध्यान छोटी योजनाओं पर केन्द्रित करना चाहिये। देर आयद दुरुस्त आयद, सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाये तो भूला हुआ नहीं कहा जाता, लेकिन मुझे डर है कि सचमुच में हम फिर कहीं न भूल जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री वाजपेयी]

अशोक मेहता कमेटी ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में जिस स्थिति पर प्रकाश डाला है उससे पता लगता है कि बाढ़ को रोकने के लिये और सिंचाई के प्रबन्ध के लिये जितनी भी धनराशि दूसरी योजना में दी गई है, ९ करोड़ के लगभग, उसमें से केवल ४० लाख रुपया खर्च किया गया है। सिंचाई की छोटी छोटी योजनायें धन के अभाव में और सरकारी कर्मचारियों की अकर्मण्यता के कारण पूरी नहीं हो पातीं। और इसका परिणाम हमारे सामने है। अधिकतर जो भी खाद्य के सम्बन्ध में विषम परिस्थिति पैदा हो गई है उसके लिये प्राकृतिक कारण भी उत्तरदायी हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में मानवी प्रयत्नों द्वारा जो कुछ किया जाना चाहिये उसको भी करने में हम समर्थ नहीं हुए हैं। विदेशों से अन्न मंगाये बिना अब परिस्थिति का सफलता से सामना नहीं किया जा सकता यह वस्तुस्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन सवाल यह है कि इस सम्बन्ध में उत्पादन बढ़ाने के लिये और जो भी उपाय हम करते हैं, उसे उचित दामों पर आम आदमी तक पहुंचाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अशोक मेहता समिति ने एक विचित्र सा सुझाव दिया है। मैं उसे विचित्र ही कहूंगा। उन्होंने कहा है कि अनाज के व्यापार के विषय में न तो खुली छूट ही होनी चाहिये और न पूर्ण नियंत्रण की नीति अपनायी जानी चाहिये। उन्होंने बताया है कि अन्न के थोक व्यापार का पूरी तरह से समाजी-करण किया जाना चाहिये। मैं नहीं जानता हमारी सरकार इसे नीति के रूप में अपना रही है या नहीं। किन्तु इस तथाकथित समाजीकरण का व्यावहारिक रूप क्या होगा इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है। अगर हम यह स्वीकार करते हैं कि देश में आज की परिस्थिति में पूर्ण नियंत्रण सफल नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है कि व्यापार के समाजीकरण की बात कहना पूर्ण नियंत्रण का द्राविड़ी प्राणायाम है। मेरा अभिप्राय यह है कि आज की स्थिति में यह जो समाजीकरण का सुझाव है यह न तो व्यावहारिक है और न उपयुक्त, और हमारी सरकार इसे अपनाये या न अपनाये, किन्तु इस सुझाव के कारण जो दुष्परिणाम होने वाला है वह अवश्य होगा। लोग अनाज दबाकर बैठ जायेंगे, और जब हम चाहते हैं कि सारा अनाज बाजार में आये और उचित दामों पर आम आदमियों तक पहुंचे, उस उद्देश्य की प्राप्ति में भी कठिनाई पैदा होगी।

अशोक मेहता समिति ने एक और भी विचित्र बात कही है। मेरा अंग्रेज़ी का ज्ञान तो सीमित है। मैं चाहूंगा कि इसके सम्बन्ध में सफाई की जाये। समिति की रिपोर्ट के ५४वें पेज पर जहां अनाज के दामों के सम्बन्ध में समिति ने चर्चा की है, वहां लिखा है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि की 'सीक्यूलर टेंडेंसी' वर्तमान रहेगी। यह 'सीक्यूलर टेंडेंसी' क्या है ? मैं खाद्य मंत्री महोदय से इसके स्पष्टीकरण के बारे में प्रार्थना करूंगा। अन्य प्रश्नों पर तो यह सिक्यूलरवाद आकर खड़ा हो जाता है, अब दामों की घटती बढ़ती के बारे में भी सिक्यूलर टेंडेंसी की चर्चा की गयी है, उसका अभिप्राय क्या है यह स्पष्ट किया जाना चाहिये।

अशोक मेहता समिति ने एक और भी विचित्र बात कही है। जहां उसने देश में खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के उपाय सुझाये हैं वहां देश में जो पशुधन है, और उसकी राय में निरुपयोगी है, बेकार है, उसको कम करने का भी सुझाव दिया है। इस सुझाव के सम्बन्ध में मेरा इतना ही निवे-दन है कि भारत में कोई भी खाद्य नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उस खाद्य नीति के अन्तर्गत पशुधन के संरक्षण और विकास की पूरी व्यवस्था नहीं की जाती। हमारा देश अगर खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर होना चाहता है तो हम पशुधन के संरक्षण और विकास के प्रश्न को अपनी खाद्य नीति से अलग नहीं कर सकते। मेरा निवेदन है कि दूध देने वाले पशु, विशेषकर गाय और बैल, कभी निरुपयोगी नहीं होते। किसी न किसी रूप में उनका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन

सरकार ने द्वितीय योजना में जिन गोसदनों के निर्माण की व्यवस्था की थी वे अभी तक बने नहीं हैं। इस सम्बन्ध में सरकार अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल रही है। दूध की हमें पौष्टिक पदार्थ के रूप में आवश्यकता है और इस दृष्टि से मैं समझता हूं अशोक मेहता समिति ने जो कुछ कहा है उसे गम्भीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक आज जो खाद्यान्न के सम्बन्ध में परिस्थिति पैदा हो गयी है उसके निराकरण का सवाल है मेरा निवेदन है कि हम दूरगामी उपाय भी अपनायें और तात्कालिक उपाय भी अपनायें।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में खाद्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अशोक मेहता समिति ने उन जिलों से अन्न को बाहर भेजने के सम्बन्ध में जो सुझाव दिया है उसके सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। समाचार पत्रों से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्र को लिखा है। यदि यह ठीक है, तो इस बारे में तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये। इन ज़िलों से बाहर, जिनमें कि मैं चौदह ज़िले शामिल करता हूं, केवल दस नहीं, जो अनाज का निर्यात हो रहा है, उस को रोक दिया जाय और इस बात की व्यवस्था की जाय कि वहां जो विषम परिस्थिति पैदा हो गई है, उस की पूर्ण जानकारी के लिये, उसके निराकरण के लिये, हम केवल उत्तर प्रदेश सरकार पर ही निर्भर न रहें, बल्कि केन्द्र को भी इस सम्बन्ध में अपने दायित्व का पालन करना चाहिये। समाचारपत्रों के अनुसार राज्य सरकार से जो भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उससे मुझे लगता है कि परिस्थिति जितनी बिगड़ी है, उससे कम दिखाई जा रही है। इस सम्बन्ध में थोड़ी सी असावधानी भयंकर परिणाम ला देगी। आवश्यकता इस बात की है कि हम परिस्थिति के प्रति सजग हों, और जैसा कि अभी कहा गया, सभी दलों और वर्गों का सहयोग प्राप्त करते हुए इस राष्ट्रीय समस्या के हल के लिये प्रयत्न करें।

इस से अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना है।

एक माननीय सदस्य: क्या आप तैयार हैं।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत): सभापति महोदय, आज हमारे देश की हालत यह है कि सैकंड फाइव यीअर प्लैन की चारों तरफ चर्चा है और कल-कारखाने खोलने की बात की जाती है। जहां कभी कोई मुसीबत नज़र आती है, तो फारेन एक्सचेंज की बात कही जाती है और उसको प्राप्त करने में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, उनका बार बार हवाला दिया जाता है। लेकिन मुसीबत यह है कि आज यह कोई नहीं सोच रहा है कि हिन्दुस्तान की ३६ करोड़ से ज्यादा आबादी को खाना किस प्रकार दिया जाय और किस तरह से उसको रोटी मुहैया की जाय।

हमारे सामने सब से महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हिन्दुस्तान को एग्रीकल्चरल इकानोमी अपनानी चाहिये या इंडस्ट्रियल इकानोमी। आज हम एग्रीकल्चरल इकानोमी को भूले हुये हैं और इंडस्ट्रियल इकानोमी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हिन्दुस्तान की जो ज्यादातर आबादी है, वह देहात में रहती है और देहात में रहने की वजह से ज्यादातर खेती करती है। इस लिये चाहिये तो यह था कि एग्रीकल्चरल इकानोमी को डेवेलप किया जाता। लेकिन इस के बजाय सैकंड फाइव यीअर प्लान में हम इंडस्ट्रियल इकानोमी पर ज्यादा ज़ोर दे रहे हैं और कल-कारखानों की बात कही जा रही है।

[श्री मोहन स्वरूप]

यह ठीक है कि पांच छः साल के बाद हिन्दुस्तान पिग ग्रायरन ग्रौर स्टील के जरिये फारेन एक्सचेंज हासिल कर सकेगा ग्रौर हमारी फारेन एक्सचेंज की कमी पूरी हो जायगी। लेकिन इन कारखानों को खोलने के लिये ग्राज हम विदेशों से जो रुपया उधार ले रहे हैं, उस की ग्रदायगी वाजिब होगी। इस लिये ग्राज जरूरत इस बात की है कि एग्रीकल्चरल इकानोमी को डेवेलप करने के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचा जाय। ग्राज हालत यह है कि हर तरफ़—बिहार, यू० पी०, वैस्ट बंगाल, बम्बई, उड़ीसा में—फाकाकशी की नौबत ग्रा गई है, भूख की बात चल रही है ग्रौर लोग फाकों से मर रहे हैं।

ग्रशोक मेहता समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि १९६०–६१ में देश को ७,९०,००,००० टन वार्षिक ग्रनाज की ज़रूरत होगी, जब कि उस वक्त देश की पैदावार ७,७०,००,००० टन वार्षिक होगी, जिस का मतलब यह है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के बाद भी बीस लाख टन वार्षिक की देश में कमी रहेगी। फसल खराब होने से यह कमी बढ़ भी सकती है। कमेटी की राय में यह कमी बाहर से गल्ला मंगा कर पूरी करनी पड़ेगी। यह स्पष्ट हो गया है कि बगैर बाहर से गल्ला मंगाये गल्ले की कमी पूरी नहीं हो सकती है ग्रौर इस देश की खाद्य समस्या दिन प्रति दिन मुश्किल होती जा रही है। खास तौर से यू० पी० के पूर्वी ज़िलों की हालत बड़ी खराब ग्रौर भयंकर है। यू० पी० के बनारस, गोरखपुर, फैजाबाद ज़िलों में बराबर कई वर्ष से वर्षा की वजह से बड़ी तबाहकारी हो रही है। १९५५-५६ में बहुत जबर्दस्त सैलाब ग्राया, जिससे लाखों एकड़ ज़मीन में पानी ही पानी हो गया ग्रौर सब फसल तबाह हो गईं। १९५७ में पहले तो बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा ग्रौर उसके बाद बारिश ज्यादा हुई, सैलाब ग्राया ग्रौर फसलें तबाह हो गईं। देवरिया ग्रौर गोरखपुर के इलाके में कई एक नदियां हैं—गंडक, छोटी गंडक, घाघरा, वगैरह। ये हमेशा बरसात में सैलाब पर ग्रा जाती हैं ग्रौर हजारों बीघा फसलों को नुक्सान पहुंचता है। बलिया ग्रौर ग्राजमगढ़ में भी प्रतिवर्ष यही हालत होती है। इसी तरह से जौनपुर में गोमती नदी हमेशा सैलाब से तबाहकारी करती रहती है। पश्चिमी जिलों में भी हाल में ही वही तबाहकारी हुई है, जो कि शायद वर्षों से न हुई हो। मेरठ ज़िले ग्रौर उस के ग्रास पास के ग्रज़ला में हजारों मकान गिर गये ग्रौर हजारों बीघे फसल को नुकसान पहुंचा। पहाड़ी इलाकों की भी यही दशा है। हजारों ग्रादमी भूख से मर रहे हैं ग्रौर उनकी हालत कहने लायक नहीं है।

श्री रघुवीर सहाय (बदायूं) : रुहेलखंड डिवीजन की भी ऐसी ही हालत है।

श्री मोहन स्वरूप : वहां भी वर्षा ग्रौर सूखे की वजह से गरीब लोग तबाह हो रहे हैं, ग्रौर मर रहे हैं।

बाढ़ नियंत्रण कमेटी ने बताया है कि बाढ़ का कोई इन्तजाम नहीं हैं, कोई इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि सफरर्ज को भले ही कुछ दे दिया जाय, ग्रनाज या रुपया पैसा दे दिया जाय, लेकिन इसका कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है। हमारी गवर्नमेंट इस तरफ़ ध्यान नहीं दे रही है कि सैलाब को कैसे रोका जाय, जो कि हर साल इतनी तबाही करते हैं।

हम ने—मैंने, रामजी ने, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रन्य लोगों ने—प्राइम मिनिस्टर से कहा कि ग्रगर हमारी पार्टी की तरफ से गेंदासिंह साहब कहते हैं कि पूर्वी जिलों में मुसीबत है, तो कहा जाता है कि यह तो एक स्टन्ट है, पोलीटिकल प्रापेगेंडा है, इसलिए हमारी गुजारिश है कि ग्राप वहां जा कर ग्रपनी ग्रांखों से देख लीजिए कि सूरत हाल क्या है, हम जो बात कहते हैं, वह दुरुस्त है या गलत है। यह खुशी की बात है कि उन्होंने फरवरी या मार्च में वहां की परिस्थिति को देखने का वायदा किया है।

इसके बाद में यह अर्ज करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की आबादी रोज बरोज बढ़ रही है । १९३१ में यहां की आबादी २७९·१८ मिलियन, १९४१ में ३१६·७९ मिलियन और १९५१ में ३६१·२४ मिलियन थी । मगर इस के मुकाबले में यहां की पैदावार बराबर घटती जा रही है । १९५३ में पैदावार ५३·३६४ हजार टन थी, १९५४ में वह ६३·०२४ हजार टन हो गई, १९५५ में वह ६१·१२७ हजार टन हो गई और १९५६ में ५८·२१४ हजार टन रह गई । इससे जाहिर है कि आबादी तो बराबर बढ़ रही है, लेकिन अनाज की पैदावार घटती जा रही है । अब सवाल यह पैदा होता है कि पैदावार कैसे बढ़ाई जाय ।

पैदावार बढ़ाने के लिए जरूरत इस बात की है कि किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए, किसानों को तरक्की करने का मौका दिया जाए । लेकिन किसानों की तरफ गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती । बड़ी बड़ी कांफरेंसें होती हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं एन० ई० एस० ब्लाक्स खोले जाते हैं, लेकिन किसानों की तरफ तवज्जह नहीं की जाती । किसानों के लिए ऐसा सोच लिया गया है जैसे वह इन्सान हैं ही नहीं । ऐसी शक्ल पैदा हो गई है । आज किसान को चाहिए क्या ? इस वक्त हमारे यू० पी० में चकबन्दी हो रही है । चकबन्दी के रूप में सूरते हाल यह हो रही है कि किसानों को परेशान किया जा रहा है । करप्शन बढ़ रहा है और चकबन्दी का जो मकसद है वह खत्म हो गया है । लोग परेशान हैं । आज जरूरत इस बात की है कि किसानों की तरफ गौर किया जाए । जमीन परती होती जा रही है । नतीजा यह है कि हमारे यू० पी० में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जिनके पास कोई सरमाया नहीं है, वह दूसरों को जमीन उठा देते हैं । लेकिन जब वह जमीन दूसरे लोग जोतने लगते हैं तो उनको बेदखल कर दिया जाता है । आज जमीनों की बेदखलियां हो रही हैं । बाजार की हालात यह है कि जब किसान अपनी पैदावार को बाजार में ले जाता है तो जो व्यापारी हैं वह मुनाफाखोरी करते हैं । किसानो से जो गल्ला लिया जाता है उस पर जबर्दस्त मुनाफाखोरी होती है । किसानों की हालत यह है कि कर्जों की वजह से, लगान अदा न कर सकने की वजह से उनको अपनी पैदावार फौरन ही बेचनी पड़ती है । जब वह बाजार में बेचने ले जाता है तो शक्ल यह होती है कि व्यापारी उस को लूटते हैं ।

इस वक्त मुल्क की जो खास पैदावार है वह गन्ना है । गन्ने की कीमत गवर्नमेंट ने गिरा दी है । पहले उसकी कीमत २ रु० मन थी । अब १ रु० ७ आ० मन गवर्नमेंट ने कर दी है । आज की हालात में अगर गौर से देखा जाए तो गन्ने की कीमत १ रु० १२ आ० से कम कभी नहीं होनी चाहिए । लेकिन १ रु० ७ आ० कर दी गई है । और आउटर गेट पर तो १ रु० ३ आ० मन ही है । गुड़ की कीमत भी बराबर घटती जा रही है । गुड़ से जो फायदा किसानों को होता था वह भी घट रहा है ।

असल चीज यह है कि आज किसानों को उपदेश नहीं चाहिए, किसानों को लम्बे लम्बे लेक्चर्स नहीं चाहिए । उनको सही इमदाद चाहिए । गवर्नमेंट की तरफ से भरोसा मिलना चाहिए, लेकिन वह मिल नहीं रहा है। वह किसी मुसीबत में गवर्नमेंट के पास जाते हैं, सरकार के आफिसर्ज के पास जाते हैं तो उन्हें तंग और जलील किया जाता है । अगर उनको कोई कर्ज लेना हो तो वह भी उन्हें वक्त पर नहीं मिलता है, इमदाद नहीं मिलती है । आज मुल्क के उत्पादक जो हैं अगर वही परेशान हों, मायूस हों, गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद न मिल रही हो, तो मुल्क की पैदावार कैसे बढ़ेगी ? इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि हमारे खाद्य मंत्री किसानों की इस बुरी हालत की तरफ तवज्जह दें और उन को हत्तुल

[श्री मोहन स्वरूप]

इमकान इमदाद दें । अगर उनको यह इमदाद नहीं मिलती तो देश का उत्पादन नहीं बढ़ सकता ।

दूसरी चीज जो आवश्यक है वह यह है कि गांवों में छोटे छोटे उद्योग धंधे खोले जाएं । बोउनी और कटाई के बाद किसानों का पांच छः महीनों का वक्त ऐसा होता है जिसमें वह बेकार से रहते हैं । उस समय उनको छोटे छोटे उद्योग धंधे चाहिए जिस में वह काम कर सकें और उनको कुछ पैसा मिल सके ।

इसके बाद जो विकास खंड हैं उनकी तरफ भी दृष्टि होनी चाहिए । विकास खंडों की हालत यह है कि जो बड़े बड़े लोग वहां के होते हैं, वहां के प्रतिष्ठित लोग होते हैं, वही फायदा उठाते हैं । गरीब जनता को उनसे कोई फायदा नहीं है । अक्सर देखा गया है कि विकास खंडों में दो दो तीन तीन मील पर भी कोई दरख्त नहीं है । विकास खंडों को जो रुपया जाता है या एन० ई० एस० ब्लाक्स को जो रुपया जाता है, उसे दूसरे लोग खर्च कर लेते हैं । ऐसी शक्ल में गांवों का डेवेलपमेंट कैसे हो, किसानों का डेवेलपमेंट कैसे हो और जब तक किसानों का डेवेलपमेंट नहीं होता है तब तक मुल्क की तरक्की कैसे हो ? सिंचाई, खाद और बीज की व्यवस्था सही होनी चाहिऐ । जो छोटे छोटे आबपाशी के जराय हैं उन को डेवेलप किया जाए । आज गवर्नमेंट बड़ी बड़ी योजनाओं पर ही खर्च कर रही है, देश के अन्दर हाइडेल्स पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी योजनाओं पर, जिनसे कुछ ज्यादा फायदा हो सकता था, ध्यान नहीं दिया जा रहा है । उनको गवर्नमेंट चेक अप नहीं कर रही है । इसलिए आज चाहिए कि गवर्नमेंट छोटी सिंचाई योजनाओं पर गौर करे और उनको डेवेलप करे ।

मैं अपने खाद्य मंत्री से गुजारिश करूंगा कि आज मुल्क में जो खाद्य समस्या है उसके दो ही इलाज हैं । किसानों को सही प्रोत्साहन दिया जाए, उनकी तरक्की हो, उनकी हौसला अफजाई की जाए । वह गवर्नमेंट में भरोसा करें, उन्हें गवर्नमेंट से कर्ज मिल सके । दूसरे यह कि हमारी हर सप्लाई मजबूत होनी चाहिए। गल्ले की सप्लाई भी दुरुस्त हो। आज हमें नजर आ रहा है कि हमारी आबादी बढ़ रही है और पैदावार उसके साथसाथ घट रही है । इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास गल्ले के स्टाक्स हों, चाहे आप यहां पर डेवेलपमेंट कर के पैदावार बढ़ाएं चाहे बाहर से इम्पोर्ट करें ।

†**श्री तिरुमल राव** (काकिनाडा) : आज हम बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । हमारी खाद्य समस्या ने देश को काफी परेशान किया है और इसका हल करते करते कई मंत्री बदल गये । इस समय मैं अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन का समर्थन करने के लिये खड़ा नहीं हुआ जो कि हाल ही में सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है क्योंकि समिति के सदस्य सर्वज्ञ होने का कोई दावा नहीं करते । वे भी वैसे ही हैं जैसे हम सब अन्य इस सदन के सदस्य हैं । परन्तु समिति के बहुत से सदस्यों को देश के सार्वजनिक मामलों का काफी ज्ञान है, और वह आज की खाद्य स्थिति को अच्छी प्रकार समझ सकते हैं । समिति ने खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में देश भर के प्रमुख व्यक्तियों, राज्य सरकारों तथा विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के विचार प्राप्त किये और उसके आधार पर कुछ परिणाम निकाले ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चत् हम अपनी राष्ट्रीय विकास योजनाओं को पंच वर्षीय योजनाओं का रूप देकर कार्यान्वित कर रहे हैं।

प्रथम पंच वर्षीय योजना समाप्त हुई तो द्वितीय पंच वर्षीय योजना तैयार की गयी। प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। १९५०-५१ में तो स्थिति आज से भी खराब थी। हमें ४७० लाख टन अनाज बाहर से मंगवाना पड़ा। देश के कई प्रमुख व्यक्तियों का यह मत था कि हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है, बल्कि हम अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करके कुछ बचा भी सकते हैं। ऐसे लोगों का मत यह भी था कि किसी प्रकार का नियंत्रण लागू नहीं किया जाना चाहिए परन्तु प्रशासकों के सामने जब कठिनाइयां आईं तो उनका मुकाबला करने के लिए योजना बनानी पड़ीं।

१९५२ के पश्चात् श्री किदवई खाद्य मंत्री बने। अपने व्यक्तित्व और साहस के बल पर इस समस्या को उन्होंने संभाला और नियंत्रण को धीरे धीरे उठाना आरम्भ कर दिया। दुर्भाग्य से १९५४ में उनका देहान्त हो गया, और वह अपना कार्य पूरा न कर सके। हमारी कठिन समस्या वैसी की वैसी ही बनी रही। आज फिर कीमतें बढ़ रही हैं। इस के विभिन्न कारणों पर प्रतिवेदन में प्रकाश डाला गया है। हमारी द्वितीय पंच वर्षीय योजना इसी बात पर आधारित है कि अनाज और आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने न पावें। लेकिन कीमतें बढ़ीं। इस अवस्था में स्थिति के पुनरीक्षण के कारण ही खाद्यान्न जांच समिति की स्थापना हुई। जो लोग इस समिति के प्रतिवेदन की आलोचना कर रहे हैं उन्हें स्थिति की वास्तविकता और गम्भीरता को समझना चाहिये। हमसे जो कुछ भी हो सका है हमने अपनी योग्यता के अनुसार किया है। जो सामग्री देश भर से उपलब्ध हो सकी है उसके आधार पर हमने अपने परिणाम आपके सामने प्रस्तुत किये हैं।

समिति की एक प्रमुख सिफारिश यह है कि एक केन्द्रीय खाद्य मंत्रणा परिषद् बनाई जाये। इस में, कृषि, व्यापार, उद्योग, श्रमिक उपभोक्ता तथा अन्य सभी प्रकार के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाये और यह समिति बढ़ रही कीमतों के बारे में विचार करे। क्या यह ठोस बात नहीं है? मेरे विचार में एक ठोस प्रस्ताव है। इस समिति का कार्य होगा कि देश के सभी वर्गों का जनमत संगठित कर के खाद्य स्थिति के बारे में सरकार को परामर्श दे। आवश्यकता के अनुसार इसकी वर्ष में दो अथवा दो से अधिक बैठकें हो सकती हैं। यह तो हुई एक बात। अब आइये खाद्यान्न मूल्य स्थिरीकरण संगठन को ओर। इस मामले की पृष्ठभूमि यह है कि कई राज्यों, नगरों अथवा ग्रामों में हजारों टन अनाज बन्द पड़ा है, परन्तु कीमतें ऊपर जा रही हैं। यह अवस्था बड़ी असाधारण तथा अस्वाभाविक है। हमें इस के कारणों और इसके इलाज का पता लगाना होगा। सब बातों पर विचार करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हमें खाद्यान्न मूल्य स्थिरीकरण संस्था स्थापित करनी चाहिये। इस संस्था को खाद्य-महानिर्देशक का कार्य अपने हाथ में लेना चाहिये और साथ ही एक व्यापारी के रूप में अनाज मण्डी में कार्य शुरू करना चाहिये। इसे चाहे किसी विभाग, अथवा मंत्रालय, संविहित निगम या मर्यादित समवाय कुछ भी बना दिया जाय इसकी पूंजी लगभग सौ करोड़ रुपये होनी चाहिये या जो कुछ भी हम तय करें वह हो। अतएव इस मामले का काफी सविस्तार परीक्षण करने की आवश्यकता है और उस के बाद एक संस्था का निर्माण करना ही होगा जो कि देश में अनाज प्राप्त करने का कार्य करे।

कुछ मित्रों ने नियंत्रण और विनियन्त्रण की बात की है। मैं इस सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूं हूं कि अन्य लोकतन्त्रीय देशों में खाद्यान्न के व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। कनाडा में

[श्री तिरूमल राव]

कनाडा-गेहूं-बोर्ड नाम का निगम यह सब काम करता है। उसे इस व्यापार पर सब प्रकार का एकाधिकार प्राप्त है। इसके द्वारा ही अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं बोर्ड अन्य देशों को गेहूं का आयात-निर्यात करता है। इससे सभी हितों को लाभ पहुंचता है। आस्ट्रेलिया में भी गेहूं-बोर्ड है। यही बोर्ड निर्यात के लिये कोटा निर्धारित करता है। आस्ट्रेलिया में आन्तरिक उत्पादन और वितरण पर पूरा नियंत्रण है। बर्मा का चावल व्यापार राज्य-कृषि-मंडी बोर्ड के नियंत्रण में है। इटली में भी सरकार निर्धारित मूल्य पर अनिवार्य रूप में धान प्राप्त कर लेती है। जापान में भी एकाधिकार के आधार पर चावल खरीद लिया जाता है। कई स्थानों पर उत्पादन जरूरत से अधिक होने के बावजूद भी किसान को अच्छी कीमत दिलाने के विचार से नियंत्रण लागू किया गया है। परन्तु हमारा उद्देश्य एकाधिकार प्राप्त करने का नहीं। अभी से ही यदि एक सौ करोड़ की पूंजी से यह संस्था आरम्भ हो जाये, तो अनुमान है कि अगले पांच वर्षों में यह तीस से चालीस प्रतिशत अनाज के थोक व्यापार पर कब्जा कर लेगी। इस प्रकार सरकार काला बाजार करने वालों, और सट्टेबाजों से देश की रक्षा कर सकेगी। यही लोग मंडी में कीमतों को घटा-बढ़ा कर अपना लाभ उठाते हैं। अतः इस संस्था की बहुत आवश्यकता है।

इस संस्था में कुछ अच्छे अच्छे अनुभवी प्रशासक लिये जायेंगे। और इसका निर्माण सरकार द्वारा राज्य सरकारों और अपने परामर्शदाताओं की सलाह के आधार पर किया जायेगा।

हमें कीमतों के नियंत्रण के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देने के लिये कहा गया है। हमने मूल्य-मंत्रणा-बोर्ड बनाने का सुझाव दिया है, जो कि एक प्राविधिक निकाय होगा। वैसे तो सरकार के हर विभाग में सलाहकार हैं और सलाहकार समितियां हैं परन्तु एक वर्ग के आंकड़े दूसरे वर्ग के आंकड़ों से मेल नहीं खाते। इसलिये मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड का सुझाव दिया गया है। यह उच्चस्तरीय निकाय होगा। जिस का सभापति कोई सचिव के स्तर का व्यक्ति होगा। इसमें बहुत से विशेषज्ञों और प्रशासन सम्बन्धी योग्यता के व्यक्ति लिये जायेंगे। सभी प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा, तथा मंडी में अनाज तथा अन्य पादार्थों की कीमतों के रुख का अध्ययन किया जायेगा। हमारे विचार में इस से बड़े लाभदायक परिणाम निकलने की आशा है।

हमसे इस वर्ष मूल्य निर्धारित करने के लिये सुझाव भी मांगा गया था। जो जानकारी हम विभिन्न राज्यों से प्राप्त कर सके, उसके आधार पर गेहूं की कीमत १३ रुपये से १५ रुपये मन तक होनी चाहिये। धान का दाम ९-४-० से ११-०-० तक निर्धारित किया जा सकता है। जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है वह तो सरकारी आवश्यकताओं के लिये खुली मंडी में प्राप्त हो ही सकता है परन्तु चावल के सम्बन्ध में स्थिति कुछ कठिन है। इस सम्बन्ध में जिन क्षेत्रों में गेहूं अधिक होता है, वहां से अनिवार्य रूप से कुछ चावल प्राप्त करना होगा। उत्पादन की समस्या भी कठिन समस्या है, किसी राज्य में अधिक और किसी में कम है। दक्षिणी राज्यों में प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ा है और उत्तरी राज्यों में कम हुआ है। कृषि मंत्रालय के लिये यह सब से बड़ी समस्या है। उसने तो एक प्रमाप निर्धारित कर दिया है कि उर्वरकों की सहायता से इतना और अच्छे बीजों की सहायता से इतना उत्पादन करना है। परन्तु अच्छे बीज भी तो नहीं प्राप्त हो रहे हैं।

उर्वरकों के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि इस मामले के लिये सरकार को विदेशी विनिमय की अधिक बात नहीं करनी चाहिये। आन्ध्र में उर्वरकों के प्रयोग से ३० मन प्रति एकड़ के हिसाब से चावल का उत्पादन हो रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन देना चाहिये। यदि गैर-सरकारी क्षेत्रों की ओर से इस काम में पूंजी लगी तो वह विदेशी लोगों को भी इस काम के लिये आकृष्ट कर लेगा। जब तक हम बीज, खेत उर्वरक और इस सम्बध की अन्य व्यवस्थायें नहीं करेंगे, अधिक उत्पादन का कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकेगा।

हमारे सिंचाई के छोटे छोटे साधन हं, जिन्हें काफी उपेक्षा से देखा जाता है। यहां पर तालाबों, नहरों अथवा कुंओं से काम लिया जाता है। इन को नये राज्यों में सम्मिलित किया गया है और प्रशासन की कठिनाई से उनका काम आगे नहीं बढ़ रहा। इस सम्बन्धी सभी अधिकार चीफ इंजीनीयर को प्राप्त हैं। मैसूर में २६००० वर्ग मील के एक क्षेत्र में २७००० तालाब हैं। परन्तु उन की मरम्मत आदि नहीं की जाती। यदि इन कामों की ओर और अच्छे बीजों, उर्वरकों अथवा अन्य सुविधाओं द्वारा कृषि की ओर ध्यान दिया जाये, तो उत्पादन बढ़ सकता है।

मैं सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाओं को नहीं ले रहा, वे तो ठीक हैं। परन्तु छोटी छोटी योजनाओं की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। कृषि उपत्दान और खाद्य वितरण का कार्य राज्य मुख्य मंत्री अथवा उस के स्तर के किसी व्यक्ति के सुपुर्द किया जाना चाहिये। और हमें समाजीकरण से डरना नहीं चाहिये। जब हम ने इस देश को समाजवादी समाज की ओर ले ही जाना है तो फिर भय क्या है।

इस प्रतिवेदन को हम ने अपनी योग्यता के अनुसार काफी अच्छा बनाने का यत्न किया है और इस से यदि कोई लाभ पहुंच सके तो हमें काफी सन्तोष होगा।

†**श्री ज० रा० मेहता** (जोधपुर): अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन के अन्त में यह कहा गया है कि हमारा लोकतन्त्रात्मक देश के आर्थिक विकास के प्रयोग में खाद्य नीति का विशेष स्थान है। वैसे आज यह कोई नई बात तो नहीं कही जा सकती, परन्तु फिर भी अच्छा है कि हम ने इसे अनुभव तो किया है। इस नीति को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। एक विदेशी विनिमय की दृष्टि से और दूसरी आन्तरिक अर्थ व्यवस्था की दृष्टि से। बाहर से अनाज लेने से हमारे विदेशी विनिमय पर काफी बोझ पड़ता है। और जहां तक हमारी पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, उस की सब से बड़ी कठिनाई भी यह है कि हम खाद्य समस्या को ठीक प्रकार से हल नहीं कर पाये।

इस के साथ ही हमें और भी कई को भ्रान्तियों की दूर करना है। हमें लोगों को बताना है कि कीमतों के बढ़ने से किसान को लाभ नहीं पहुंचता। क्योंकि अनाज का दर बढ़ने की प्रतिक्रिया अन्य उपभोग की वस्तुओं पर भी पड़ता है, और जब किसान को अपनी जरूरत के लिये वह सब मंहगी चीजें खरीदनी होती हैं तो वह कमी पूरी हो जाती है। और उस के पास कुछ भी नहीं बचता। मूल्य बढ़ने से उत्पादन की वृद्धि भी नहीं होती। साथ ही इस बात की भी व्यवस्था की जानी चाहिये कि फसल का समय बीतने के बाद कीमतों की जो वृद्धि होने लगती है। उस को रोका जाय। इस के लिये मेरा निवेदन है कि हमें यह जानना चाहिये कि खरीद का वास्तविक समय कौन सा है। अशोक मेहता समिति की ओर से इस उद्देश्य के लिये जिस संस्था की सिफारिश की है, उस से काफी लाभ पहुंच सकता है।

इस के अतिरिक्त मैं एक दो सामान्य बातें और कहना चाहता हूं। मेरा यह निश्चित मत है कि खाद्य समस्या केवल समुचित प्रबन्ध और संगठन की समस्या है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम ने कृषि पर बहुत जोर दिया अब इस के सम्बन्ध में सुविधाओं की व्यवस्था करने में हम ने लाखों रुपये खर्च किये। हम ने अच्छी खाद और अच्छे बीजों की व्यवस्था करने का प्रयत्न भी किया। सब कुछ किया परन्तु हम आज १९५७ में वहीं है जहां से कि हम ने आरम्भ किया था। मेरा निवेदन है कि वास्तविक दोष हमारे प्रबन्ध और संगठन में ही है। हमारे कई सरकारी विभाग इस कार्य को कर रहे हैं, परन्तु उन का परस्पर समुचित समन्वय नहीं है मेरा निवेदन है कि यदि हम अनाज का अच्छा उत्पादन चाहते हैं, तो इस काम में लगे सभी निकायों को एकात्मक नियन्त्रण के अधीन करना आवश्यक होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ज० रा० मेहता]

मैं अशोक मेहता समिति के इस निराशावाद से सहमत नहीं हूं कि हम अपनी कमी पूरी नहीं कर सकते । इस सम्बन्ध में मैं सदन के नेता से सहमत हूं कि हमारे लिये ३० से ४० प्रतिशत तक अतिरिक्त उत्पादन करना असम्भव नहीं । मेरा कहना है कि खाद्य समस्या हल की जा सकती है, परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि हम थोड़ा सामान्य बुद्धि से काम लें और इन झूटे आंकड़ों और अकर्मण्य सिद्धान्तों के प्रभाव से बचे रहें ।

श्री अ० सिंह सहगल (जंजगीर): सभापति जी, जो प्रस्ताव मंत्री महोदय ने खाद्य परिस्थिति के बारे में प्रस्तुत किया है, मैं उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं ।

सबसे पहले हम को यह देखना चाहिए कि जो जिले पहले सरप्लस एरियाज कहे जाते थे, वहां पर खाद्य परिस्थिति खराब होने का मुख्य कारण क्या है। अगर गवर्नमेंट जिले के सारे स्टाक को खरीद ले और गवर्नमेंट लैवल पर ही दूसरों को दे, तो मैं समझता हूं कि हमको काफी मात्रा में खाद्य मिल सकता है। इस सम्बन्ध में एक कठिनाई यह है कि मध्य प्रदेश सरकार तो सारे का सारा स्टाक खरीद नहीं सकती है, लेकिन भारत सरकार अगर चाहे, तो उसको खरीद सकती है और उसके बाद जो भी प्रान्त, जो भी जिला, क्लेक्टर वगैरह उसको मांगें, उनको वह वेचा जा सकता है। जब तक यह मार्ग अपनाया नहीं जायगा, तब तक खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती है।

हमारे यहां खास तौर से खाद्य समस्या बहुत खराब हो गई है। जो स्थान खाद्य उत्पादन के लिए बहुत मशहूर था और जिसने कभी भी फैमिन कन्डीशन्ज नहीं देखी थीं, आज वहां पर गल्ले का भाव बहुत अधिक बढ़ गया है। हो सकता है कि वहां पर गल्ला हो ही न। वहां के जो व्यापारी हैं, वे ज्यादा रकम दे कर गल्ला खरीदने की कोशिश में रहे हैं।

फूड ग्रेन्ज एन्क्वायरी कमेटी (खाद्यान्न जांच समिति) की रिपोर्ट के दफा ८६ पर यह बताया गया है कि खाद्यान्नों के मूल्य स्थिर करने के लिए सामाजिक नियंत्रण बहुत आवश्यक है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि फूड ग्रेन्ज़ की प्राइसिज (मूल्य) ठीक स्तर पर रहें, तो यह जरूरी है कि सारे के सारे स्टाक्स को खरीद ले और उसके बाद खुद ही उसको दूसरों को देने की व्यवस्था करे। पहले हमारे यहां जो स्टाक्स थे, जिनके जरिये हम दूसरे देशों को अनाज भेजा करते थे, उन स्टाक्स को मालगाड़ी से, जिसमें करीब-करीब पच्चीस, तीस, पैंतीस डिब्बे होते हैं, आज बाहर भेजा जा रहा है, जिसका नतीजा यह है कि बिलासपुर के जिले में बड़ी विकट खाद्य समस्या पैदा हो गई है। मैं आप को पांच स्टेशनों का नाम बताना चाहता हूं । आप दर्याफ्त करें कि जो कुछ मैं कह रहा हूं, वह ठीक है या नहीं । वे स्टेशन ये हैं—बाराद्वार, नैला, चाम्पा, अकलतरा और बिलासपुर। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सारी जगहों से जो करीब-करीब तीस लाख टन अनाज बाहर जा रहा है, उस को रोकने के लिए आपने क्या कार्यवाही की है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस फूडग्रेन को बाहर जाने से रोका जाय, ताकि वहां की स्थिति ज्यादा भयंकर न हो सके। हमारे यहां भिन्न-भिन्न स्टेशनों से जो माल गया है, उसकी फिगर्ज मिल सकती है। मेरा सुझाव यह है कि यदि आप उचित समझें, तो मध्य प्रदेश की सरकार और वहां के कलेक्टर की राय ले लीजिए कि क्या उनकी यह धारणा है या नहीं कि वहां का सारे का सारा गल्ला खरीद लेना चाहिए।

इस सम्बन्ध में छोटी-छोटी योजनाओं को भी कार्यान्वित किया जाना चाहिए। मैं वहां के डिप्टी क्लेक्टर की सराहना करूंगा कि उन्होंने बिना परमिशन के अपना काम शुरू किया और

मध्य प्रदेश की सरकार ने भी उनकी इस कार्य के लिए सराहना की, हालांकि उन्होंने इसको करने का अधिकार नहीं प्राप्त किया था, क्योंकि वह लोगों को बचाना चाहते थे, उनको काम देना चाहते थे। जो लोग उस परिस्थिति से फायदा उठाना चाहते थे, उन से लोगों को उन्होंने बचाया और उनकी पूरी मदद की। नतीजा यह है कि वहां के लोगों के पास फूडग्रेन्ज को पहुंचाया जा सका।

हमारी जो इर्रिगेशन की स्कीम्ज हैं, उनको भी काम में लाना चाहिए। इर्रिगेशन रेट्स के बारे में फूडग्रेन्ड एन्क्वायरी कमेटी ने कहा है कि ये रेट्स (मूल्य) इतने ज्यादा हैं, कि बेचारा काश्तकार उनको नहीं दे सकता है। मध्य प्रदेश में---और खास तौर पर छत्तीसगढ़ एरिया में---, जहां कि फूड स्केरसिटी बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे नालों और तालाबों से फायदा उठाना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि आप मध्य प्रदेश सरकार को इस बारे में प्रोत्साहन दें और पैसा भी देने की कोशिश करें। वहां पर मालगुजारों के वक्त के तालाब हैं, जिनकी मुरम्मत नहीं हो सक। रिपोर्ट में भी इस विषय में जिक्र किया गया है। अगर आप उन को अपने हाथ में लेंगे, तो हमारी परिस्थिति बहुत कुछ सुधार सकती है। अगर आपने इन दस वर्षों के बीच में इन छोटी-छोटी स्कीम्ज पर काम किया होता, तो यह परिस्थिति हमारे सामने न आती। मंत्री महोदय मुझे माफ करेंगे। मैं इस राय से सहमत नहीं हूं कि इस देश में इस तरह से खाद्य नीति अच्छी तरह से कामयाबी हासिल नहीं कर सकती है। यदि हम छोटी-छोटी स्कीमों को हाथ में लेकर काम करें, नालों और तालाबों को बांधना शुरू करें, छोटे-छोटे इलैक्ट्रिकल इंजन्ज के पम्प की मदद लें और ट्यूब वैल्ज शुरू करें, तो हमारी यह खाद्य समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है। मैंने अपने जिले में देखा है कि ढाई, साढ़े तीन हार्स पावर के इंजनों के पम्प से दस, पच्चीस, पचास एकड़ व पछत्तर एकड़ जमीन की इर्रिगेशन हुई है। उसकी रिपोर्ट आप मध्य प्रदेश सरकार से मांग सकते हैं। तब आपको मालूम होगा कि इन पम्प के जरिये से हम कितना ज्यादा काम कर सकते हैं।

बढ़ती हुई कीमतों को रोकने का एक तरीका यह है कि को-आपरेटिव बैंक्स को प्रोत्साहन दिया जाय और उनके जरिये कैसे सारा ग्रेन खरीद लिया जाय। यह आपको देखना पड़ेगा कि उनके पास रुपया है या नहीं। आप को उन्हें इतनी सहूलियत देनी पड़ेगी कि वे यह काम कर सकें।

हमारे यहां नया धान (गल्ला) आ गया है। व्यापारी लोग उस पर रुपया एडवांस कर रहे हैं। इससे परिस्थिति खराब हो रही है। वह गल्ला बाहर जा रहा है। आप को उसको रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की खाद्य परिस्थिति बहुत खराब है। अभी तक तो वहां पर जोग भूख से मरे नहीं हैं, लेकिन शायद मार्च, अप्रैल, व मई जून में ऐसा वक्त आ जाय लेकिन मैं समझता हूं कि आपके रहते हुए यह परिस्थिति नहीं आयगी, क्योंकि आप इस सम्बन्ध में कोशिश कर रहे हैं तथा ज्यादा सतर्क हैं।

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि जो सुझाव हम लोगों ने दिए हैं, उन पर अमल करने की कृपा करें।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर): चेयरमैन साहब, खाद्य उत्पादन की समस्या ऐसी है कि इसके ऊपर हमारी समूची इकानोमी (अर्थव्यवस्था) निर्भर करती है। हमारे वित्त मंत्री साहब ने सब देशों में घूम कर, बड़ी मेहनत कर के, जो विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का प्रयत्न किया है, उस रकम का एक बड़ा भाग शायद हमारे खाद्य मंत्री साहब खा जायें।

[श्री झुनझुनवाला]

आज हमारी बहुत सी रकम फूड इम्पोर्ट करने में जा रही है। देखना यह है कि हम लोग किस तरह से खाद्य उत्पादन के लिए चेष्टा करें और अपने देश में ही अपना खाद्य उत्पन्न करें जिससे हम को बाहर से अन्न न मंगाना पड़े और साथ ही किसी आदमी को भूखा भी न मरना पड़े। जितना आवश्यक अन्न है वह उनको मिलता रहे। मेरी क्षुद्र बुद्धि में जो आता है मैं उसे आपको बतलाना चाहता हूं।

हम लोग छोटी-छोटी चीजों पर बहुत कम ध्यान देते हैं। बड़ी बड़ी योजनाओं पर, बड़े-बड़े डैम्स आदि के ऊपर ही हम लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। गांव वाले भी उन्हीं की ओर अपना ध्यान रखते हैं और समझते हैं कि जो पुरानी बातें थीं कि छोटी छोटी नहरें, छोटे-छोटे कुएं, छोटे-छोटे तालाब आदि खोद कर उत्पादन करें, उनका समय खत्म हो गया। आज वे बातें उनकी मनोवृत्ति से चली गई हैं। मैंने इस बार दस बारह दिन तक लगातार अपने चुनाव क्षेत्र में जा कर देखा। देख कर बड़ा दुःख हुआ कि वे लोग इस पर निर्भर करते हैं कि हमारे खाद्य मंत्री कहीं से अन्न ला कर हम को दें। हमारे प्रधान मंत्री ने कल निवेदन किया था कि लोगों को सरकार की ओर नहीं देखना चाहिए, खुद मेहनत करनी चाहिए और ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि गांवों में लोग खुद अन्न को उत्पन्न करें जिससे सब लोगों को अन्न मिले। उनका कहना बहुत ठीक है, बहुत सत्य है और जब तक हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तब तक हमारे देश की उन्नति कभी नहीं होगी। हम चाहे तीन के बदले दस स्टील प्लैंट लगा दें, हमारे देश की उन्नति होने वाली नहीं है। जब तक हम अपने खाद्य के मसले को हल न करें, उसको पूर्ण रूप से सफलीभूत न बनाएं, हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे पूरे आंकड़े मालूम नहीं हैं, परन्तु थोड़ा बहुत इधर उधर देखने से, लोगों की राय लेने से, मुझे यह मालूम हुआ है कि कम से कम ७० फी सदी उपज हमारे देश में छोटे-छोटे किसानों की चेष्टा से होती है। छोटी-छोटी होल्डिंग रखने वाले किसान करीब ७० फी सदी हैं।

श्री ब्रजराज सिंह। ८६ फी सदी।

श्री झुनझुनवाला : हमारे मित्र कहते हैं कि ८६ परसेन्ट। तब तो और भी बुरी स्थिति है। यदि उनकी संख्या ८६ परसेन्ट है, तो मैं खाद्य मंत्री साहब से पूछूगा कि जो यह ८६ परसेन्ट लोग छोटी उपज करने वाले हैं, उनके पास क्या चीज है जिससे वह अधिक उपज कर सकें। उन के पास धन नहीं है। उनके पास जो पशु धन था उस का नाश हो गया है। उनके पास अच्छा बीज जो था, जिससे वह उत्पन्न करते थे, आज वह भी उनके पास नहीं है। आज हमारे खाद्य मंत्री ने एक नया आविष्कार किया है कि वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सिंचाई के लिए जो छोटी-छोटी चीजें हैं उनके बिना काम नहीं चलेगा। बहुत दिनों के बाद उन्होंने यह आविष्कार किया। हमको स्वाधीनता प्राप्त किए हुए दस वर्ष हो गए। मैं पूछूंगा कि इस दस वर्ष के समय में इन छोटी छोटी चीजों का क्या हाल हो गया है, यह कभी हमारे खाद्य मंत्री सोचा है। आज दस वर्ष के बाद उन्होंने यह आविष्कार किया है कि जब तक छोटी-छोटी सिंचाई की चीजों का प्रबन्ध नहीं होगा तब तक देश का उपार्जन पूरा नहीं होगा अगर बड़ी-बड़ी सिंचाई की योजनाओं में ही हम लगे रहेंगे तो खाद्य उत्पादन होना मुश्किल है। यदि उनका यह खयाल है तो जैसा मैंने अभी कहा, मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में जा कर देखा कि वहां पर जो छोटे छोटे रिजर्वायर थे, छोटे-छोटे कुएं थे, सब खत्म हो गए हैं। कहीं पर भी उन का नाम निशान नहीं है, और वहां पर परिस्थिति यह हो गई है कि जैसे सूखा पड़ गया हो। मैंने कई किसानों को बुला कर के पूछा कि क्यों भाई, यदि आप के यहां समय पर वर्षा नहीं हुई, हथिया नहीं बरसा तो पहले तो वर्षा हुई थी, क्या उस से तुम

उपार्जन नहीं कर सकते थे ? उन्होंने कहा कि हमारे खेतों के पास नहरें हैं, अगर महनहरों का पानी आ जाए तो हम उपार्जन कर सकते हैं। मैंने कहा कि पहले तो आप छोटे-छोटे डांड बांध से खेती कर लिया करते थे, तो वे लोग मुझे अपने यहां ले कर गए कि मैं देखूं कि उन डांडों और बांधों की क्या हालत है। मैं नहीं कहता कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जिस प्रकार आपने यह आविष्कार किया कि छोटे तालाबों, छोटे कुएओं, डांडों, बांधों, और छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं का प्रबन्ध किए बिना उन्नति नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं आप से कहना चाहता हूं, पशु धन के सम्बन्ध में। हमारे भाई पंडित ठाकुर दास भार्गव कभी यहां पर नहीं बोलते जब तक कि वह पशु धन के ऊपर कुछ न कहें। आप वहां जा कर देखिए कि किसानों के पास बैल सिक प्रकार के हैं। वे बैल अच्छी तरह से खेतों को जोता भी नहीं सकते, उनको खाने के लिए चारा नहीं मिलता। हमारी सरकार इसके लिए क्या कर ही है। हमारे संविधान में भी दिया हुआ है कि हम उसके लिए खास प्रबन्ध करेंगा। बहुत से लोग इस बात को मजाक में उड़ा देते हैं, कहते हैं कि यह काऊ डंग पालिसी है। जो भी हो, यह काऊं डंग एकानमी हो या कुछ और हो, परन्तु आज उन ७० फीसदी लोगों को, जिसे कि हमारे भाई ८६ फी सदी कहते हैं, जैसी स्थिति है, जो कि उपज करने के लिए पुरानी रीति पर ही निर्भर करते हैं, जब तक आप उनके हित में इस नीति को सफलीभूत नहीं करेंगे, आपको खाद्य समस्या हल होने वाली नहीं है और जैसा प्रायः सभी लोग कहते हैं आपने भी यह अनुभव किया, जब तक खाद्य समस्या अच्छी तरह से सफलीभूत नहीं होगी, हमारे देश की एकानमी ठीक नहीं होगी।

हमारी पहली फाइव इअर प्लैन में कहा गया था कि खाद्य समस्या की ओर विशेष ध्यान देना होगा, और उस पर अधिक ध्यान दिया गया, उसी प्रकार इस बार दूसरी फाइव इअर प्लैन में इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। परन्तु उनको इस नीति को रिवाइज करना पड़ा और उनको यह कहना पड़ा कि जब तक हम अपनी खाद्य समस्या को अच्छी तरह से सफलीभूत नहीं कर सकेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। वह खाद्य समस्या उसी हालत में पूर्ण रूप से हल होगी जब कि हमारे ८६ फी सदी किसानों को आप इस प्रकार की छोटी छोटी चीजों को मुहैया न कर दें। उनके पास आज पैसे नहीं हैं। कि वे अपनी उपज उअधिक कर लें, उनके पास पशु धन नहीं है, उनके पास कोई और साधन नहीं है। वह बेकार से हो गए हैं।

[श्री पट्टाभिरामन पीठासीन हुए]

मैं आपको बतलाना चाहता हूं हमारी नीति भी यही है कि यदि उनको पूर्ण रूप से इस प्रकार की सहायता दी जाए तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो आप करना चाहते हैं, उससे अच्छी तरह से वह लोग कर सकते हैं।

मैंने कुछ कैन एरिया में देखा है कि जहां मिलो में किसानों को अच्छा बीज दिया, जल का प्रबन्ध किया और मैन्योर का प्रबन्ध कर दिया वहां उनकी उपज मिलों की फार्मों की उपज से कहीं अधिक हुई। यह मेरा निजी अनुभव है। जब ऐसी चीज है तो मैं अपनी सरकार से यह पूछना चाँहता हूं कि क्या वे ऐसा उपाय करेंगे कि जिससे हमारे किसानों का पशुधन ठीक हो, उनको अच्छा बीज मिले और जो पैसा आदि उनको खेती करने के लिए चाहिए वह समय पर पहुंचाया जाये। जब तक चीज नहीं होगी, जैसा मैंने कहा, यह चीज चलने वाली नहीं है और और आपकी खाद्य समस्या हल होने वाही नहीं है।

अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। अब कम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिए कहा गया है कि अब उससे इस तरह से काम लिया जायेगा कि वह उपज बढ़ाने के लिए ज्यादा काम करे।

[श्री झुनझुनवाला]

अब वह अपना समय खेल तमाशों में, जगह जगह मामूली से अस्पताल आदि खोलने में या सड़क आदि बनाने में नहीं लगायेंगे बल्कि उपज बढ़ाने में लगायेंगे। यदि वे ऐसा करें तो बहुत अच्छी बात होगी। यदि वे ऐसा करने में सफलीभूत हों तो बहुत अच्छा है लेकिन हमको डर है कि यदि वे गवर्नमेंट का जो प्रोसीज्योर है उसी को फालो करेंगे तो वे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। यदि उनके सामने वे टैकनिकैलिटीज रहें गी और वे केवल किसानों को हुक्म देंगे कि तुम यह करो और वह करो तो दिक्कतें सामने आयेंगी और वे अपने काम में सफल नहीं होंगे। आज किसानों की यह हालत हो गयी है कि वे उस समय तक कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि उनके पास सब चीजें न पहुंचायी जायें। आप उनको लोन देते हैं, उनको बीज देते हैं और उनको फरटीलाइजर देने का भी प्रबन्ध आपने किया है। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि सरकार बहुत पैसा इस काम की तरफ खर्च करती है परन्तु सरकार को उसके साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि यह सब मदद हमारे किसानों तक पहुंचती है या नहीं। हमारे खाद्य मंत्री महोदय ने बिहार के लिए गेहूं के बीज भेजे, समय पर भी भेजे। परन्तु अफसर लोग अनभिज्ञ थे और उन्होंने उनका ईकवल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। यानी जहां कम जरूरत थी वहां भी उतना ही भेजा और जहां ज्यादा जरूरत थी वहां भी उतना ही भेजा। नतीजा यह हुआ कि जहां पर ज्यादा बीज इस्तैमाल हो सकता था और उपज बढ़ सकती थी वहां पर पूरा बीज नहीं पहुंचा और जहां ज्यादा आवश्यकता नहीं थी वहां जाकर बीज पड़ा रहा और काम में नहीं आया। इससे हमारी सरकार को पता लग जाना चाहिए कि जो खेती के लिए उसकी तरफ से काम हो रहा है ......

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी बाहर से अनाज मंगाकर लोगों को खिलाने की नीति छोड़ दे। यह नीति अच्छी नहीं है। हम लोगों को कुछ आस्टेरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हमको एक चीज खाने को नहीं मिलती है तो हम दूसरी चीज खायें। हमारे भाई भरूचा साहब ने कहा कि अगर हमको १० परसेंट और अनाज न मिला तो तीन करोड़ आदमी मर जायेंगे। मैं उनको कहूंगा कि वह कुछ और चीज खाकर रहें और यदि दस परसेंट की ही कमी है तो हम सब लोग मिलकर प्रण कर लें कि हम सब लोग दस परसेंट कम खायेंगे लेकिन हम किसी भी हालत में इम्पोर्ट नहीं करेंगे। यदि हम इस प्रकार स्वार्थ त्याग करेंगे और हमारे मिनिस्टर साहब और भरूचा साहब आदि सब लोग यह उदाहरण पेश करेंगे तो हमें बाहर से मंगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी और लोगों का उत्साह बढ़ेगा कि हम देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं। मैं अपने खाद्यमंत्री महोदय को कहूंगा कि वे ऐसा प्रयत्न करें और किसानों को इस प्रकार से मदद दें ताकि खाद्य ज्यादा पैदा हो सके।

एक महाशय ने कहा कि हमको दो चीजों का इमपोर्ट खुला रखना चाहिए एक तो अनाज का और दूसरा दवाओं का। यदि खाद्य पदार्थ का इम्पोर्ट बन्द कर दिया जाये तो मैं समझता हूं कि बम्बई जैसे शहर में जो बीमारियां होती हैं वे नहीं होंगी और फिर दवाओं को भी इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, हमारे खाद्य मंत्री माननीय अजित प्रसाद जैन ने ७ जुलाई को लखनऊ में कहा था : "भारत और अमेरिका के बीच उधार गेहूं मिलने के बारे में बातचीत प्रायः तय हो चुकी है. . . .इस सहायता के कारण देश में अब संकट नहीं रहेगा ऐसी आशा की जाती है"। स्टेट्समैन, ८ जुलाई, ५७। इसके चार महीने से कम बाद उन्होंने एक बयान इस देश के बाहर दिया जहां वह गये हुये थे। उन्होंने यह बयान रोम में दिया जहां वह खाद्य और कृषि संगठन की बैठक में भाग लेने गये थे। यह बयान उन्होंने रोम में ५ नवम्बर को दिया था।

वह इस प्रकार है : "हिन्दुस्तान के उत्तरपूर्व के लगभग १,६७,००० वर्गमील के क्षेत्र में लगभग ७ करोड़ ९० लाख लोग, जो आम तौर से खेती पर निर्भर हैं, प्रायः अकाल की हालत में हैं। हमारी दिक्कतें पूरे १९५८ में रहेंगी। १९५८ के मध्य तक हमारे पास अन्न बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर १९५८ के दूसरे हिस्से में सूखे से पीड़ित लोगों के लिये अन्न नहीं मिला तो हम लोग सचमुच गम्भीर परेशानी में फंस जायेंगे।" यह ६ नवम्बर के हिन्दू में रिपोर्ट हुआ था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी इस सरकार के जो लोग हैं वे अक्सर दो जबानों से बोलते हैं। जब जिस तरह की उन्हें आवश्यकता होती है उस तरह का बयान दे देते हैं। मैं अपने खाद्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि जब वे जुलाई में बयान दे रहे थे तो उनको वह बात नहीं मालूम थी जो कि उनको चार महीने बाद नवम्बर में मालूम हुई।

†**श्री अ० प्र० जैन** : श्रीमान् जी, आपकी आज्ञा से में एक बात स्पष्ट कर दूं ?

†**सभापति महोदय** : यदि इससे चर्चा को लाभ पहुंचे तो कोई हर्ज नहीं।

श्री अ० प्र० जैन : आपने जो पहली स्पीच की रिपोर्ट को पढ़ा है वह ठीक नहीं है। अगर आप मेरे लखनऊ के बयान की रिपोर्ट जो कि पी० टी० आई० ने दी है वह पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि जो मैं ने कहा था वह इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसके अलावा इन चार महीनों में हालात भी बहुत बदले।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं स्टेट्समैन की रिपोर्ट पढ़ रहा था। हो सकता है कि जो खाद्य मंत्री महोदय कह रहे हैं वही ठीक हो। लेकिन जो भी हो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अक्सर हमारे मंत्री लोग दो जबानों से बोलते हैं। यह तो चार ही महीने की बात है। हम पिछले सात साल से देख रहे हैं कि हिन्दुस्तान की खाद्य समस्या के बारे में तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। कभी कहा जाता है कि वर्षा अच्छी हुई, मौसम अच्छा रहा इसलिये पैदावार अच्छी हुई है और किसी तरह का संकट नहीं है। कभी इस समस्या के बारे में संकट की बात कही जाती है। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की बातें जो हम करते हैं उनके क्या नतीजे होते हैं। हम अपनी नीति में कोई मौलिक परिवर्तन करने की बात सोच नहीं रहे हैं। अक्सर कमेटियां बनती हैं, कमीशन बनते हैं, लोगों को मुकर्रर किया जाता है, टीमें जाती हैं, वे तहकीकातें करती हैं, उनकी रिपोर्टें आती हैं और उन रिपोर्टों के आने के बाद कोई मौलिक परिवर्तन की बात नहीं की जाती। आप जानते हैं कि हमारी आबादी लगातार बढ़ रही है और अगर उस के साथ ही साथ हमारा खाद्य उत्पादन भी नहीं बढ़ता है, तो हमें निश्चित रूप से भूखों मरना पड़ेगा। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई मौलिक परिवर्तन कर के कोशिश नहीं की गई है, जिससे उत्पादन बढ़ सके।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग साढ़े आठ करोड़ एकड़ से दस करोड़ एकड़ तक ऐसी ज़मीन है, जिस पर खेती हो सकती है और उस को तोड़ कर खेती की जानी चाहिये। लेकिन जब तोड़ने की बात होती है, तो ट्रैक्टर आरगेनाइजेशन की बात की जाती है, मशीनों से तोड़ने की बात की जाती है, परन्तु किसानों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है कि वे स्वयं उस ज़मीन को तोड़ कर वहां खेती कर सकें। अगर सरकार की तरफ़ से ऐसी योजना होती कि बेकार ज़मीन का किसानों को मालिक बना दिया जाय, जो कि उस को तोड़ कर वहां गल्ला उपजायें, तो करोड़ों ऐकड़ ज़मीन पर गल्ला पैदा होने लगता और पैदावार में बहुत वृद्धि होती। लेकिन उस तरफ़ ध्यान ही नहीं दिया जाता है।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

सोशलिस्ट पार्टी की तरफ़ से पिछले सात साल से यह बात कही जा रही है कि जिस तरह मुल्क की रक्षा के लिये आप फ़ौज रख रहे हैं, उसी तरह पैदावार को बढ़ाने के लिये एक लैंड आर्मी—एक भूमि सेना—बनाइये। दस लाख व्यक्तियों की भूमि सेना से आप इस देश की खाद्य समस्या को हल कर सकते हैं। अगर फी आदमी १००, १२० रुपये प्रतिमास दिये जायें, तो भी सिर्फ १२० करोड़ सालाना रुपये खर्च होते हैं, जब कि आप गल्ले के आयात पर ७०० करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं। विदेशी मुद्रा बहुत कीमती थी, जिससे कई दूसरे ज़रूरी काम किये जा सकते थे। उस को आप ने खाद्य आयात करने पर लगाया, लेकिन यह कोशिश नहीं कि कि एक भूमि सेना बना कर इस समस्या को हल क़िया जाय।

मुल्क में ८६ फी सदी किसान ऐसे हैं, जिन की ज़मीनों से मुनाफा नहीं होता है, जिन के पास अलाभकर जोतें हैं और उन से करीब पचास करोड़ रुपये लगान आता है। अगर उस लगान को माफ़ कर दिया जाय, तो पचास करोड़ रुपये का नुकसान होगा, और वह भी केन्द्र को नहीं, राज्य सरकारों को। अगर आप यहां से उस नुक्सान को पूरा कर दें, तो कितना फायदा हो सकता है। वे ८६ फीसदी किसान यह समझने लगे जियेंगे कि हमें वाकई आजादी मिली है। इससे उन को एक प्रकार का इनसैन्टिव—प्रोत्साहन— मिलेगा और अगर आप अपील करें, तो वह अपनी पैदावार को दस प्रतिशत बढ़ाने पर तैयार हो जायेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप की एक निश्चित कर-नीति है। जिस व्यक्ति की आमदनी किसी खास सीमा से कम होती है, उससे कर वसूल नहीं किया जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई काश्तकार एक बीघा भी ज़मीन जोतता है, तो उससे लगान वसूल किया जाता है। जब दूसरे मामलों में आप एक कर-नीति निर्धारित करते हैं, तो आप भूमि के सम्बन्ध में इस बात के लिये तैयार क्यों नहीं होते कि जिन लोगों को खेती से मुनाफ़ा नहीं होता है, उन से लगान न लिया जाय। जिन लोगों के पास अलाभकर जोतें हैं, अगर आप उन का लगान माफ़ कर दें, तो पचास करोड़ रुपये के नुक्सान से आप खाद्य समस्या को हल कर सकते हैं।

भूमि समस्या के बारे में बार बार यह कहा जाता है कि हम ने जमींदारियां खत्म कर दी हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उन राज्यों में जहां जमींदारियां खत्म हुई लाखों लोगों को बेदखल किया जा रहा है। जब तक किसान को भरोसा न हो कि अगले साल भी मैं इस ज़मीन को जोत सकूंगा, तब तक वह पूरी हिम्मत के साथ मेहनत कर के खाद्य उत्पादन नहीं करेगा। इस सम्बन्ध में नीति में मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि बेदखलियों को तुरन्त रोक दिया जाय।

१९४६ से पहले खास तौर से उत्तर प्रदेश में सिंचाई पर कुछ स्थानों में ढाई आने बीघा लिया जाता था, लेकिन १९५२ में तीन रुपये दो आने कर दिया गया—बीस गुना कर दिया गया और फिर यह उम्मीद की जाती है कि हमारी खाद्य समस्या हल हो जायगी और उत्पादन बढ़ेगा। इन बातों से किसान को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल सकता है।

जब लोग कहते हैं कि सिंचाई के दर जरा कम करो, भूमि सेना बनाओ, बिना मुनाफ़े की खेती को लगान से माफ़ कर दो, तो आप नहीं सुनते, बल्कि आप उन को जेल में भेज देते हैं। १९५७ में उत्तर प्रदेश में पांच हजार आदमियों को इसी कारण जेल भेज दिया गया। तामिलनाड में इस सवाल को लेकर चौदह सौ आदमियों को जेल भेज दिया गया। एक तरफ़ इस देश में ८६ फीसदी काश्तकार ऐसे हैं, जिन की जोतें अलाभकर हैं, जो पूरी मेहनत के साथ काम करने के बाद भी मुनाफा नहीं कमा पाते हैं, दूसरी तरफ़ ऐसे भी आदमी हैं, जिनके पास हजारों बीघे के फार्म हैं। मैं यह कहना चाहता

हूं कि इस सरकार के आदमी देश की समस्याओं को हल करने का मस्तिष्क नहीं रखते । आप हिन्दुस्तान को बरबादी की तरफ़ ले जा रहे हैं। आप सोचते हैं कि बाहर से गल्ला मंगा कर देश बन जायगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि हिंन्दुस्तान एक खेतिहर का देश है । जब तक यहां पर खेती की समस्या को सब से ज्यादा प्रायर्टी (प्राथमिकता) नहीं दी जायगी, तब तक यह मुल्क बन नहीं सकता है ।

मैं यह सूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप की नीति क्या है ? आप पंच-वर्षीय योजना में खेती पर कितना रुपया खर्च कर रहे हैं ? किस तरह से उस को खर्च कर रहे हैं ? इस बारे में कम्यूनिटि प्रोजेक्ट्स का नाम बार बार लिया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि उस के नाम पर आप गावों में जो रुपया दे रहे हैं, क्या वह वाकई उन किसानों को पहुंच रहा है, जो कि उस के हकदार हैं ? मेरा कहना है कि नहीं पहुंच रहा है । बीच में ही लोग उस को खा रहे हैं ।

मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस तरह कमेटियां बनाने से और उन की रिपोर्टों से मुल्क नहीं बन सकता है । आप यह बात नहीं समझते हैं इसी लिये दिक्कतें होती हैं । आप अन्दाजा लगाते हैं कि कि पैदावार बढ़ जायगी, लेकिन वह बढ़ती नहीं है । आप सारी नीति को गलत तरीक़े पर चला रहे हैं । इस देश को खेतिहारों का मुल्क कहा जाता है । कहा जाता है कि यहां पर दूध की नदियां बहती थीं, लेकिन आज हमारी यह अवस्था हो गई है कि हम को खाद्य समस्या पर चर्चा करनी पड़ रही है, करोड़ों रुपये के खाद्य पदार्थ विदेशों से मंगवाने पड़ रहे हैं, लोग भूखें मर रहे हैं । भले ही कोई इन्कार करे कि मौतें नहीं हुई हैं, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि मौतें हुई अवश्य हैं––हो सकता है कि वे बिल्कुल भूख की वजह से न हुई हों, खाने की कमी से हुई हों––और यह एक बड़े अफ़सोस की बात है ।

खाद्य समस्या को हल करने के लिये आप छोटी सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, यह खुशी की बात है । लेकिन मैं इस सम्बन्ध में एक चेतावनी देना चाहता हूं और वह यह है कि अगर आप इस विषय में पूर्णतया सतर्क नहीं रहेंगे, तो काम नहीं चलेगा । जिन लोगों पर आप यह काम डालना चाहते हैं, वे इस को नहीं करेंगे । उन का दृष्टिकोण ही दूसरा है । वे मुल्क का यूरोपीयकरण करना चाहते हैं । वे यूरोप के ढंग पर काम करना चाहते हैं । मुझे यूरोपीय ढंग पर कोई एतराज़ नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि रूस, अमरीका और दूसरे ऐसे देशों से हिन्दुस्तान का मुकाबला नहीं हो सकता है ? । उन में आमदनी का फ़र्क है । वहां प्रति व्यक्ति ज़मीन ज्यादा है, यहां कम है । वहां अधिकतर कामों में मशीनों का आश्रय लिया जाता है और वहां साइन्स का बहुत विकास हुआ है । हम उन का मुकाबला नहीं कर सकते हैं ।

इस खाद्य समस्या को लड़ाई की समस्या की तरह देखना चाहिये । अगर इस सम्बन्ध में हम को कोई कुर्बानी करनी पड़े, तो वह हम को करनी चाहिये । आप पच्चीस करोड़ रुपये की फूड सबसिडी की बात करते हैं । आप पचास करोड़ रुपये का नुक्सान सह कर किसानों के लगान को माफ़ क्यों नहीं करते ? आप दस लाख आदमियों की भूमि सेना संगठित कर के इस समस्या को हल क्यों नहीं करते ?

उस दिन प्रधान मंत्री ने कह दिया कि पांच रुपये में कच्चा कूआं बन सकता है । पता नहीं सरकार के लोगों को इस देश के सम्बन्ध में तजुर्बा भी है या नहीं । कैसी बात कर देते हैं । अगर बीस, पच्चीस तीस रुपये की बात कही जाती, तो शायद ठीक होता । आज चीज़ें इतनी गिरां हैं कि वह इतने में नहीं बन सकता है । मैं चाहता हूं कि वाकई आप कच्चे कुएं ही बनायें, पक्के कुएं भी बनायें । बड़ी बड़ी सिंचाई योजनायें जो हैं वहां छोटी छोटी चीजों के जरिये भी सिंचाई करने की कोशिश

[श्री ब्रजराज सिंह]

की जाय। अगर हम इस पर ध्यान दें तो १० फी सदी कमी पूरी होनी मुश्किल नहीं है। लेकिन मझे शक है कि बार बार खाद्य संकट पर बहस होने पर भी जो कुछ यहां बताया जाता है उस पर कभी सोचने की कोशिश नहीं की जाती कि इस के लिये हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिये। बाहर जो कुछ होता है उस के लिये तो मैं क्या कहूं ? जो लोग इस के लिये कुछ तरीका बतलाते हैं उन को जेलों में ठूंस दिया जाता है। ऐसे लोगों को जोकि हमारे साथी रहे हैं, संगी रहे हैं, गिरफ्तार कर के जेल में रख दिया जाता है। जिस आदमी के गोआ में सन् ४६ में सात दिन तक जेल में रहने पर महात्मा गांधी कह सकते थे कि डा० लोहिया जब जेल में हैं तो उन का बाहर रहना मुनासिब नहीं है, आज उन्हीं के शिष्यों को कहो, तो कहते हैं कि हमें इस से मतलब नहीं है। एक एक महीने तक ऐसे सवालों पर गौर नहीं किया जाता और लोगों को जेलों में बन्द रक्खा जाता है। मैं समझता हूं कि यह समस्या को सुलझाने का कोई तरीका नहीं है। आप यह सोचते हैं कि हमारा तो बहुमत है, हम जो चाहेंगे कर लेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक आप का बहुमत है, जो चाहे कर लीजिये। यह ठीक है कि चार साल के लिये आप को जनता से मैन्डेट मिला हुआ है, लेकिन चार साल के बाद आप को फिर जनता के सामने जाना होगा। अगर आप ने ध्यान न दिया तो खाद्य स्थिति ऐसी हो जायेगी, जिसे आप सम्भाल नहीं सकेंगे। इसलिये मैं आप के हित में कहना चाहता हूं कि आप अपने मार्ग को परिवर्तित कीजिये और खाद्य समस्या को हल करने के मार्ग पर चलिये। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे खाद्य समस्या पूरे तरीके से हल नहीं होगी, विदेशों से अनाज लेना होगा। इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे कर, भूमि सुधार फौरन कर के संसद के सत्रों में रक्खे जायें। लगान माफी करने, बेदखली रोकने के बगैर खाद्य समस्या हल नहीं हो सकेगी। मैं चाहूंगा कि माननीय खाद्य मंत्री इन बातों पर अपने विचार प्रकट करें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब चेअरमैन साहब, मैं अशोक मेहता कमेटी को और उस के मेम्बरान को, जिन में श्री तिरुमल राव भी शामिल हैं, मबारकबाद देता हूं कि उन्हों ने इतनी मेहनत के साथ, इतनी ज्यादा तफ्तीश की, बड़ी तकलीफ उठाई और एक तरह से सारे देश को उन्हों ने अपने काम से गर्वीदा किया। जहां मैं यह कहता हूं कि उन्हों ने बड़ा अच्छा काम किया और उन की रिपोर्ट ऐसी है जिस पर देश को काफी तवज्जह देनी चाहिये, उस के साथ ही मैं यह अर्ज किये बिना नहीं रह सकता कि बावजूद यह ट्रिब्यूट पे करने के कई बातों में मैं उन के कन्क्लूजन्स का सख्त मुखालिफ हूं।

इस देश के अन्दर अनाज की समस्या सन् १९५७ की नहीं है। जब से हमने स्वराज्य हासिल किया है, शायद ही कोई ऐसा सेशन हुआ हो जिस के अन्दर फूड डिबेट इस हाउस के अन्दर न हुआ हो। हम ने वह जमाना देखा जिस के अन्दर यह कहा गया कि फूड का मसला तय हो गया। सन् १९५१ में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कंट्री ने फड के मामले में कार्नर टर्न कर लिया। सन् १९५२ के वास्ते ऐसी स्कीम बनाई जाय कि इस मामले में इस देश को सेल्फ सफिशिएंसी हो जाय। इस इलेक्शन में मैं ने गांव गांव में जा कर यह कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने इस समस्या को हल कर लिया और इस का क्रेडिट उठाया, सही क्रेडिट उठाया। मैं यकीन करता हूं और जोर से कहता हूं कि जहां तक सेल्फ सफिशिएंसी का सवाल है, मुझे कोई शक नहीं है इस देश में फूड का मसला हल हो चुका। इसे हल करने में ग्लैक्सी आफ मिनिस्टर्स और दूसरे भाइयों का हिस्सा था जिस के यहां दोहराने की जरूरत नहीं है। उन में से एक साहब तो हमारे सामने बैठे हुए हैं, डा० पं० शा० देशमुख जिन की मेहनत का और जांफिशानी का फायदा सारे देश ने उठाया। उस के बाद क्या हम किदवई साहब को भूल सकते हैं। जिस वक्त मुंशी साहब यहां से गये, उस के बाद कोई बारिश नहीं हुई थी हिन्दुस्तान के अन्दर, कुछ भी अनाज पैदा नहीं हुआ था, लेकिन अपनी अक्लमंदी और अपनी

दानिशमंदी से इस देश के अन्दर रेगुलेटेड डिकंट्रोल कर के इस देश को कंट्रोल से और उस के लिमिटशन्स से उन्हों ने हम को आजाद कर दिया। उस के बाद उन का मैन्टल हमारे मौजूदा मिनिस्टर साहब पर पड़ा। जब मैं वह सारी तस्वीर अपने सामने रखता हूं, तो मैं आज उन पहले के मिनिस्टर साहबान को, जिन्हों ने इस बारे में कोशिश की, खिराज अदा किये बिना नहीं रह सकता। मुझे श्री मुंशी साहब का जमाना याद है जब उन्हों ने अपनी जगह से बतलाया कि हमारे फूड ऐंड ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर को **मैक्सिमम आफ इम्पोर्टेंसी** हासिल है और साथ में **मैक्सिमम आफ रिस्पान्सिबिलिटी** हासिल है। यह बात सही है। इसलिये मैं अपने आनरेबल मिनिस्टर साहब को इस मसले में मुबारकबाद देता हूं। इस हालत को देखते हुए, इस काम्प्लिकेटेड मसले में मैं जरूरी समझता हूं कि उन को दाद दूं। हम ने जिस वक्त कांस्टिट्यूशन बनाया हम को मालूम था कि फूड का मसला, फ़ाडर का मसला और लैंड रिफार्म्स के बड़े बड़े मसले, स्टेट्स के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उसे बनाते वक्त हम ने ३६९ आर्टिकल बनाया जिस में हम ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट को कांकरेंट जूरिस्डिकशन दिया क्योंकि हम जानते थे कि हमारे सेन्टर के लोग ज्यादा तजुर्बेकार हैं। और इस मामले को ज्यादा अच्छी तरह हल कर सकेंगे और स्टेट्स पूरे तौर से हल न कर सकेंगी। लेकिन इस में एक गलती हुई। बार सारा डाला सेन्ट्रल गवर्नमेंट पर, रिस्पांसिबिलिटी दी सेन्टर को और उस का एग्जिक्यूशन दिया स्टेट्स को। स्टेट वालों को क्या गरज है कि जा कर मजबूती के साथ, सख्ती कर के प्रोक्योरमेंट करें? सेन्ट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे दी कि चूंकि पैदा कम हुआ है तो ज्यादा प्रोक्योर कैसे करें। इस में उन का इंटेरेस्ट क्या था? उन का इंटेरेस्ट यह था कि पैदावार कम दिखायें जिस से उन को प्रोक्योरमेंट न करना पड़े और सेन्टर पर जोर दें कि किसी तरह से वह ग़ल्ला बाहर से मंगाय। चुनांचे दफा ३६९ में हम ने बड़ी गलती की। मैं ने एक दफा हाउस में कहा था कि लैंड, हेल्थ और एजुकेशन तीनों के लिये सेन्टर में एक मिनिस्टरी रहे, जैसे कि पहले थी। एक मिनिस्टर इन तीनों चीजों को एडमिनिस्टर करता था। या तो वह किया जाता या फिर यहां सेन्टर को ताकत न दी जाती। पालिसी ले डाउन करते या न करते, लेकिन उन को रिस्पांसिबिलिटी न दी जाती। अगर स्टेट वालों के पास यह काम रहता चूंकि यह स्टेट सब्जेक्ट था, और फूड मिनिस्टर की यह ड्यूटी होती कि वह सारे देश के हिसाब से काम करता ऐसा होता तो यह सारी समस्यायें न आतीं।

अब मैं यहां पर यह कहने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं कि आज कांस्टीट्यूशन बदल दिया जाये। यहां पर एक ग्रो मोर फूड कमेटी बनी थी। मैं भी उस का मेम्बर था। मैं ने नोट आफ डिसेंट में यह चीज पेश की यह कहना तो गलत होगा, वह नोट आफ डिसेंट था। लेकिन जूरिस्डिक्शन के बारे में मैं ने जो अर्ज किया था उस पर आप मुलाहजा फरमाएं कि मेरा कहना बजा है या नहीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सन् १९५१ में स्टेट्स ने ८० लाख टन गल्ले की मांग कर दी। स्टेट्स ने कहा कि ८० लाख टन गल्ला बाहर से मंगाओ नहीं तो देश के लोग भूखे मर जायेंगे। हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ८० लाख टन तो एक अनहर्ड आफ कलोसल फिगर (बहुत बड़ा आंकड़ा) है इस को मंगाने के लिये पैसा कौन देगा। यह तय हुआ कि हर एक स्टेट अपनी जरूरत के अनाज के लिये पैसा देंगी। लेकिन मैं इसे सुन कर हैरान हो गया कि स्टेट्स ने अपनी डिमांड कम कर के ४७ मिलियन टन कर दी। कहां ८० लाख टन और कहां ४७ लाख टन? उन की जरूरत इतनी कम हो गई। सन् १९५० के करीब एक कमेटी कांग्रेस पार्टी ने बनाई, जिस का कन्वीनर मैं था। मैं ने एक रिपोर्ट लिखी, सन् १९५० या १९५१ में। उस वक्त मैं ने फैक्ट्स ऐंड फिगर्स के साथ साबित किया कि दरअस्ल उस वक्त जो कहना था गवर्नमेंट का कि फूड डिफिशिएंसी थी, वह गलत था। हमारे यहां फिल वाकया २ लाख टन हमारी जरूरत से ज्यादा था। उस जमाने में यह सवाल पूछा जाता था कि मुल्क में फूड डिफिशिएंसी है या नहीं, उस वक्त भी मैं ने अर्ज किया कि इस देश के अन्दर फूड डिफिशियंसी है ही नहीं जिस की वजह से सरकार इतना फूड इम्पोर्ट करती है और हमारे सामने इतनी तकलीफ है। दरअस्ल बात यह है कि फूड डिफिशिएंसी का साबित करना सरकार का फर्ज है जिस का

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मत है कि ऐसी कमी है । आप बतलायें कि कितने गल्ले का खर्च है और कितना गल्ला कम पैदा होता है । अगर इस का पता लगे तब तो हम कह सकते हैं कि फूड डिफिशिएंट है, वरना नहीं । बिहार के अन्दर जब हमारे आनरेबल मिनिस्टर तशरीफ ले गये और उन से कहा गया कि भुखमरी फैली हुई है, लोग शिकायत करते थे कि बहुत सी स्टार्वेशन डेथ्स हो रही हैं, तब वहां मिनिस्टर ने देखा कि गोदाम के गोदाम भरे पड़े थे । आज हिन्दुस्तान के अन्दर काफी अनाज मौजूद है, लेकिन लोगों के अन्दर बाइंग कैपसिटी नहीं है । ऐसा इन्तजाम किया जाना चाहिये कि यह जो लोग होर्डिंग करते हैं या जिन्हों ने स्पेकुलेशन्स से दाम बढ़ाये हैं, उन्हें ऐसा करने से रोका जाये । मैं अर्ज करूंगा कि जो यह कंडिशन पैदा हुई है उस के लिये अशोक मेहता कमेटी ने लिखा है कि दरअस्ल हाई प्राइसेज़ की जो कंडिशन पैदा हुई हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ इनसफिशिएंट फूड ही उस की वजह है । बल्कि और भी वजूहात हैं । उन्हों ने कई वजूहात दिये हैं । उन्हों ने कहा है कि स्केअर की वजह से यह सब कुछ होता है । और यह बिल्कुल दुरुस्त है ।

म अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि सन् १९५२ में गवर्नमेंट ने जो अपना टारजेट रखा था वह पूरा हो चुका है । सन् १९५१ में फूड मिनिस्टर ने बयान दिया कि देश में फूड की कमी नहीं है । तो मैं आज अदब से पूछना चाहता हूं कि क्या सन् १९५१ के बाद हमने ६ साल यों ही खोये हैं । अगर मैं यह कहूं यह इस अर्से में देशमुख ने कोई काम नहीं किया तो क्या यह ठीक होगा मैं जानता हूं कि मेहनत की वजह से बहुत ज्यादा गल्ला पैदा हुआ है । क्या यह कहना दुरुस्त होगा कि जब से मिनिस्टर साहब ने यह काम संभाला है तब से कुछ काम नहीं किया । अगर कोई ऐसा कहे तो वह गलत होगा । फिलवाके असल बात यह है कि हमने इस मद में करोड़ों रुपया खर्च किया है । अगर कोई कहे कि हमने ये ६ साल जाया किये तो मैं कहूंगा कि हमने यह वक्त जाया नहीं किया और जो ऐसा कहते हैं वे गलत कहते हैं । क्या सबूत है कि देश में डिफीशेंसी है । पहले जो आपने सबूत दिया था वह नावाजिब था । आप कहते थे कि चूंकि प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ है इसलिए देश में कमी है । आप कहते थे कि हमको जितना प्रोक्योरमेंट हुआ है उससे राशन ज्यादा देना है इसलिए कमी है । लेकिन यह रीजनिंग गलत साबित हो चुका है और कंट्रोल खतम हो चुके । उस सबक के खिलाफ हमने आवाज उठायी थी और श्री किदवाई की मदद करने वालों में मैं भी एक अदना शख्स था और मुझे खुशी है कि किदवई साहब ने इस मामले को हल कर दिया । अब क्या खराबी हो गयी । अब आपका भाखरा डैम पूरा होता चला जा रहा है, डी० वी० सी० तैयार हो रहा है और हीराकुड तैयार हो रहा है । आपने लाखों कुंवें बनाये हैं । हमने तहकीकात की है और पता लगाया है कि जो आप कुंवें बनवाना चाहते थे उनमें से सिर्फ २ पर सेंट नहीं बने हैं । कम्युनिटी डेवेलपमेंट में करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है । क्या इतने काम का कोई नतीजा ही नहीं होगा । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो सवाल आज है यह महज माल एडमिनिस्ट्रेशन का और माल एडजस्टमेंट का है । गल्ला वहां नहीं पहुंचता जहां हमको चाहिए । मेहता कमेटी ने कहा है कि चार पाकेट्स हैं जिनमें दिक्कतें हैं । उनका इन्तिजाम कीजिय। मुझे खुशी है कि मेहता कमेटी ने उन चार पाकेट्स के बारे में अलग चेप्टर दिया है । लेकिन मेहता मेरी समझ में यह नहीं आता कि किस तरह से मेहता कमेटी ने यह करार दे दिया कि हमारा प्रोडक्शन कम है और हमारी जरूरत ज्यादा है। उनके ऐंजम्पशन्स ठीक नहीं हैं । उन्होंने इस चीज को दो तरीके से

देखा है । उन्होंने लिखा है कि हमने जो डिमांड की है उसको ज्यादा से ज्यादा माना है और प्रोडक्शन को कम से कम माना है । लेकिन मैं कहता हूं कि यह कहां का लाजिक है कि एक तरफ एक एजम्पशन लें और डिमांड का तह रास्त एजम्पशन लें और प्रोडक्शन लोएस्ट लेंवे । मैं नहीं समझता गवर्नमेंट इसको कसे ठीक समझ सकती है ।

मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट यह बरदाश्त नहीं कर सकती कि फूड की कमी की वजह से एक भी डैथ हो । जिस तरह से मैं इस बात को कह रहा हूं उसको मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट नहीं मानेगी क्योंकि गवर्नमेंट को फिक्र है कि स्केअर न हो जाये और इस कमी की वजह से एक भी डैथ न होने पाये । मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरह से पहले उन्होंने इस समस्या को हल किया, चाहे उसमें हम बरबाद हो गये, मगर फूड की कमी की वजह से एक आदमी भी नहीं मरने दिया । बाहर से गल्ला मंगाने में जो हमारा १७०० मिलियन का स्टर्लिंग का खजाना था उसमें से बहुत खर्च हो गया । सन् १९५१ में हमने साढ़े ५२ करोड़ का गल्ला बाहर से मंगाया । चालीस करोड़ तो हमने सिर्फ जहाज भाड़ा ही दिया । क्या कोई मुल्क इस तरह से अपने आदमियों को जिन्दा रखने की कोशिश कर सकता है । अब आपका स्टर्लिंग बैलेंस कहां है । अब आप बाहर से अनाज मंगाने के लिए रुपया कहां से लायेंगे । आज आपने एक सवाल के जवाब में कहा है कि इस साल में आप ८० करोड़ का गल्ला खरीदेंगे । मैं समझता हूं कि यह १०० करोड़ तक हो जायेगा । श्री कालिका सिंह साहब ने कहा था कि रिहन्द डैम के लिए चार करोड़ की जरूरत है वह नहीं मिल रहा है पर आपको १०० करोड़ का गल्ला खरीदना होगा । यह सौ करोड़ कहां से आयेगा । अगर यह सौ करोड़ रुपया छोटी सिंचाई की योजनाओं पर खर्च किया जाये तो आपकी यह समस्या खत्म हो जायेगी । लेकिन आप इस तरह की बात नहीं मानते ।

कहा जाता कि हमारी समस्या यह है कि हमारे यहां आबादी बढ़ती जाती है। मैं पूछता हूं कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें आबादी नहीं बढ़ती । हमारी प्लानिंग कमीशन ने कहा कि हमारे यहां हर साल १.२५ पर सेंट आबादी बढ़ती है । सेंसस के रजिस्ट्रार फरमाने लगे कि १.५ और अशोक मेहता कमेटी कहती है कि २ पर सेंट । मैं नहीं जानता कि यह ज्यादा बच्चे पैदा करने की मशीन मेहता कमेटी के पास कहां से आ गयी । इस तरह से डिमांड को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बतलाना बिल्कुल गलत है ।

इसके अलावा आप मुलाहिजा फरमायें । एडल्ट पापुलेशन कितनी होती है । इसमें कई मुख्तलिफ रायें हैं । हमने पहले हिसाब लगाया था उसके मुताबिक सारी दुनिया में एडल्ट पापुलेशन ८० परसेंट समझी थी । लेकिन जब हमने कंट्रोल का जिक्र किया तो उसे गवर्नमेंट ने ८६ पर सेन्ट कर दिया । इसी तरह से कुछ का कुछ हिसाब बिठाया गया है । आप देखें कि इस रिपोर्ट के सुफा ४० पर लिखा है कि अगर कोई शख्स एक आउंस की आधी खुराक बढ़ा दे तो आधी आबादी क लिए दो मिलियन टन की जरूरत और होगी इस वास्ते पूरी पापुलेशन क लिए चार मिलियन टन की जरूरत होगी । पहले सरकार ने मेहनत करने वाली आबादी के लिए १६ आउंस और अरबन पापुलेशन क लिए १२ आउंस हर रोज का हिसाब रखा था । आज न मालूम क्या हिसाब फलाया गया ह । अशोक मेहता कमेटी ने न मालूम किस तरह हिसाब फलाया है । आप एवलबिलिटी देखिय । सन् १९५३ में १७.६ थी, सन् १९५४ में १८.१ थी और आज यानी सन् १९५६-५७ में १८ है ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हम ने १२ आउंस और १६ आउंस के हिसाब के फिगर बनाये थे, पता नहीं कि आज किस तरह से हिसाब लगाया गया है इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि डिमांड के जो फिगर बतलाये जाते हैं वे बिल्कुल गलत हैं । इसके अलावा यह बात मेहता कमेटी खुद आउट आव कोर्ट है कि कुछ फिगर्स के बारे में उसका कहना था कि हमारे फिगर ठीक नहीं हैं । इन पर से अन्दाजा लगाना हैजारडस होगा । एपेंडिक्स ४ में ३१ परसेंट प्रोडक्शन तो ऐसा है कि उसके वास्ते ठीक अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता और ६९ परसेंट में १८ परसेंट कुछ ऐसा है जिसके ऊपर वह नुक्ताचीनी करते हैं । मैं कहता हूं कि यह फिगर गलत हैं । सन् १९५१ में भी फिगर दिये गये थे । और बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब ने तसलीम किया कि फिगर गलत थे । इस तरह में अर्ज करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में जो फिगर दिये गये हैं वे दुरुस्त नहीं हैं और खुद अशोक मेहता कमेटी उनको दुरुस्त नहीं समझती । राजस्थान व यू० पी० के फिगरज पर सफे ७०, ७१ पर नुकताचीनी की गयी है ।

फिर प्रोडक्शन को मुलाहिजा कीजिये ।

प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि प्रोडक्शन २० या २०.७५ परसेंट ज्यादा होगा । अशोक मेहता कमेटी कहती है कि १३.३ होगा । कम्युनिटी प्रोजेक्ट वालों का खयाल है कि दस परसेंट होगा । एक अखबार में एक सिविल सरवेंट कहते हैं कि ६ या ७ परसेंट ज्यादा हुआ है । यह हाल है फिगर्स का । इसके अलावा मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे प्लानिंग कमीशन ने और आनरेबल मिनिस्टर साहब ने मसूरी कानफरेंस में यह बताया था कि हम १५.५ परसेंट बढ़ायेंगे । हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो बहुत ज्यादा कहते हैं । लेकिन मुझे ऐसा लगता है पुरानी कहावत पर कमेटी ने अमल करके कहा कि सौ के रह गये ६० । आनरेबल मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि हम १५.५ परसेंट से भी ज्यादा ले जायेंगे । लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि १० परसेंट होगा । किस कायदे से यह दस परसेंट होगा जब कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब और हाउस इतना ज्यादा पैदावार का यकीन दिलाते हैं । मेरी गुजारिश यह है कि अगर आपने फिगर्ज को मैनिपुलेट करना है, तो आप जितना चाहे कर सकते हैं । मेरे पास कुछ फिगर्स हैं, जिन को सुन कर शायद हाउस के दबे हुए दिल को कुछ सहारा मिल सके । ये फिगर्स पंजाब के मुताल्लिक हैं और आज के हिन्दुस्तान टाइम्स सफे १२ पर प्रकाशित ।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस के मुताबिक पंजाब ने एक साल में दस लाख टन अनाज ज्यादा पैदा किया है, जो कि २३.५ परसेंट का इजाफा है । अभी चार साल बाकी हैं ।

इस सूरत में किस तरह से आप कहते हैं कि आप के पास गल्ला काफी नहीं है और आप को इम्पोर्ट की जरूरत होगी । मैं गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूं कि उस ने कोशिश कर के हमारे जिले हिसार से कहत को हमेशा के लिये खत्म कर दिया है । पिछले इलैक्शन के पहले मैं ने वहां इतना अनाज पैदा होता देखा उतना फिर मैं ने अपनी सारी उम्र में नहीं देखा था । मैं जब यहां वापिस आया, तो मैं ने आनरेबिल मिनिस्टर साहब से कहा कि आप कहां से गोदाम लायेंगे, जहां इतने अनाज को रखेंगे । लेकिन उस के फौरन बाद ही मैं ने सुना कि भुखमरी फैली हुई है, गल्ला नहीं है, बाहर से मंगाना पड़ेगा वगैरह ।

16-28hrs. [अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि गल्ले की की खबर से एक दम मुल्क में एक किस्म का स्केयर पदा हो जाता है, देश म कोहराम मच जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इस सिलसिल्ले में कोई मशीनरी ईवाल्व की जाय, जो इस सारी प्राबलम पर अच्छी तरह से गौर कर के कोई रास्ता निकाले।

आखिर में मैं सिर्फ दो बातें कहना चहता हूं। पहली बात मुझे कैटल के बारे में अर्ज करनी है। उस के मुताल्लिक मुझे कुछ ज्यादा कहने की गुंजायश नहीं है। मैं बहुत दफा कह चुका हूं। आरनल्ड ने कहा है, कि जिस देश में पशु जितने कमजोर होंगे वहां उत्पादन उतना ही कम होगा और वह राष्ट्र उतना ही कमजोर होगा। अगर आप चाहते हैं कि यह देश आगे बढ़े हम तरक्की करें और यहां पर अनाज बढ़े, तो यहां के कैटल की रक्षा के लिये पूरी कोशिश कीजिये। अभी तक गवर्नमट ने इस बारे में क्रिमिनल नैगलीजेंस की है और उस का नतीजा यह है कि जब कि हिन्दुस्तान में हर एक शख्स को ७ औंस दूध १९३५ में मितला था, आज वह ४७ औंस रह गया है। आज हमारे गांवों में छाछ तक नहीं मिलता है।

दूसरी बात यह है कि एक दफा हमारे किदवाई साहब ने शूगर का जिक्र किया और कहा कि इतना शुगर इम्पोर्ट कर रहे हैं। मैं ने अर्ज किया कि अगर आप दोबारा यह सिलसिला इम्पोर्ट का जारी करेंगे, तो हमें शर्म से मर जाना चाहिये कि एक एग्रीकल्चरल कंट्री म बाहर से शूगर आये। आप जो ५.९६ करोड़ टन्ज का एग्रीमेंट कर चुके हैं, वह गल्ला तो आयगा ही, लेकिन मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि आप पर यह मेन्टल पड़ा है और आप उस गैलेक्सी के पांचवें या छठे मेम्बर हैं, जोकि सन् १९४७ के बाद इस महकमे के साथ वाबस्ता रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि डीबेट का जवाब देते हुए आप साफ अल्फाज में कह देंगे कि आईन्दा इस देश में इम्पोर्ट नहीं होगा, सिवाय उस के, जिस का एग्रीमेंट आप कर चुके हैं। हमारे यहां भाखरा डैम से गल्ले की पैदावार में बहुत ज्यादा इजाफा हो जायेगा। अगर हम ईमानदारी से कोशिश करें, तो कोई समस्या ऐसी नहीं है, जो हल न हो सके मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस वक्त भी हम इस देश में फूड के मामले में सैल्फ सफिशैन्सी अटेन कर चुके हैं। मेरे पास इस वक्त ज्यादा वक्त नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी वक्त आप को फिगर्ज बहम पहुंचाऊं।

इस के अलावा आप ने कई अनाजों को हिसाब में शामिल नहीं किया है। गवार बड़ी मिकदार से होती है। उस को आप ने शामिल नहीं किया है। ग्राम को आप ने सिर्फ पल्स के तौर पर लिया है। मटरू, कुदड़ी, कुट्टू, सील वगैरह कितनी ही चीजें हैं, जिन को आप ने शामिल नहीं किया है। मैं बताना चाहता हूं कि आप के फिगर्ज बिल्कुल गलत हैं, प्रोडक्शन के भी और डिमांड के भी। देश में इस वक्त यह समस्या नहीं है। हां, इन्तजाम ठीक नहीं है, मेल-एडमिनिस्ट्रेशन और मैल-एडजस्टमेंट मौजूद है। अगर यही हाल रहा, तो यह देश जरूर गारत हो जायेगा। जब आप फूड इम्पोर्ट करते हैं, तो आप देश की साइकालोजी बिगाड़ते हैं कि यह देश इस मामले में सैल्फ सफिशेन्ट नहीं हैं। अब वक्त आ गया है कि हम यह समझ जायें कि देश में सैल्फ सफिशैन्सी मौजूद है और इसी बेसिस पर अपने सारे प्रोग्राम बनायें। परमात्मा उन की मदद करता है, जो अपनी मदद आप करते हैं। आप प्रोनाउन्समेंट कर दीजिये कि अब हम एक मन गल्ला भी इम्पोर्ट नहीं करेंगे। तभी देश में शान्ति होगी, वर्ना नहीं।

†**श्री पाणिग्रही** : पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार की खाद्य-नीति प्रायः बदलती रही है। लक्ष्य निर्धारित किये जाते रहे हैं और उन्हें बदला जाता रहा है। १९५१-५२ का वर्ष प्रथम पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष था, और उस समय तक यह अनुभव कर लिया गया था कि यह आत्म निर्भरता का लक्ष्य इस समय में पूरा नहीं हो सकेगा। तब योजना आयोग ने आत्म निर्भरता के लिये रखे

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाणिग्रही]

गये लक्ष्यों का पुनरीक्षण किया और यह निश्चय किया गया कि १९५५–५६ के वर्ष में १९४९–५० की सामान्य पैदावार से ५० लाख टन का अधिक उत्पादन किया जायेगा। ? "अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन का पुनरीक्षण करते हुए योजना आयोग ने यह भी सुझाव दिया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ३० लाख टन वार्षिक अनाज का आयात भी आवश्यक है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होते ही पुनः योजना आयोग ने पुनः निर्धारित लक्ष्यों का पुनरीक्षण किया और पता चला कि प्रथम योजना काल में लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई और द्वितीय योजना काल में इस लक्ष्य की वृद्धि १०० लाख टन से १५५ लाख टन कर दी गयी अर्थात् निर्णय यह हुआ कि देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये १९६०–६१ तक भारत में ८०५ लाख टन अनाज का उत्पादन होना चाहिये। परन्तु खाद्यान्न जांच समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि केवल १०० लाख टन अतिरिक्त लक्ष्य ही पूरा हो सकेगा। हमारे प्रधान मंत्री तो सामूदायिक विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों पर बहुत विश्वास कर रहे थे। वह तो इन्हें सभी रोगों की औषधि समझने लग गये थे। पर परिणाम क्या हुआ उसे हम देख रहे हैं।

बलवन्त राय मेहता समिति के, जो कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों पर विचार करने के लिये स्थापित की गयी थी, प्रतिवेदन में कहा गया है कि इन खण्डों आदि में अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन केवल १०.८ प्रतिशत है जब कि सरकारी तौर पर ३ से २०.२५ प्रतिशत बताया जाता है। कई स्थानों पर लाखों रुपये खर्च करने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। बलवन्त राय समिति का यह भी कहना है कि अच्छे बीजों के बितरण के आंकड़े भी सन्तोषजनक नहीं। इस के साथ ही बीजों के वितरण का कार्य भी बहुत निराशाजनक है। उत्तम बीज पैदा करने वाले केवल ३३१ खेत स्थापित किये गये हैं जब कि लक्ष्य ४,३२८ खेतों को स्थापित करने का था और इन की स्थापना योजना काल के तीन वर्षों में हो जाना चाहिये था। अतः इन से कोई लाभ नहीं हुआ। इधर सरकार का कहना है कि उत्पादन बढ़ रहा है परन्तु उतना नहीं जितनी आशा थी। इस सम्बन्ध में हम अपने आयात पर भी दृष्टि डाल सकते हैं। १९४८ में २८४ लाख टन अनाज का आयात हुआ, १९५१ में ४७३ लाख टन परन्तु १९५८ में विभिन्न प्रान्तों में सूखे के कारण यह आयात और भी बढ़ेगा। उत्पादन तो कुछ बढ़ा है, पर आयात भी बढ़ रहा है और कीमतें भी बढ़ रही हैं।

अब हम विदेशी सहायता और बाहर के अनाज पर आशा लगाये बैठे हैं। परन्तु हमारे प्रधान मंत्री को समझ लेना चाहिये कि केवल बाहर की सहायता ही हमें पार नहीं लगा सकेगी। १९४९ में सभी शक्तियों ने चीन की सहायता की थी परन्तु वह किसी भी काम न आ सकी थी। पदासीन लोगों को गद्दी छोड़नी पड़ी। इसलिये हमारे पदासीन दल को इस ओर ध्यान देना चाहिये और खाद्यान्न के मामले में योजना काल में ही देश को आत्म निर्भर बना देना चाहिये।

†**श्री अ० प्र० जैन** : आज का वाद-विवाद बहुत लाभदायक रहा है। हम अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं। अशोक मेहता समिति की भिन्न-भिन्न सिफारिशों पर विभिन्न सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। और मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि निर्णय करते समय माननीय सदस्यों के इन सुझावों पर पूरा ध्यान दिया जायेगा।

अन्त में श्री पाणिग्रही ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि हम अपने खाद्यान्न के अभाव के लिये अन्य देशों पर आश्रित नहीं रह सकते; और इस अभाव को अधिक उत्पादन से ही दूर किया जा सकता है। आज प्रातः प्रस्ताव प्रस्थापित करते समय मैं ने बताया था कि खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिये हम क्या क्या पग उठा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बिल्कुल सही ही जोर दिया है कि खाद्य सम्बन्धी मामलों में जनता की मनोवृत्ति का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिये, खाद्य के मामलों में खाद्य स्थिति की गम्भीरता को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाना भी उतना ही खतरनाक होगा जितना कि उस के सम्बन्ध में आत्म-निर्भरता की झूठी भावना प्रदर्शित करना। मैं ने कल ही कहा था कि हमें आशा तो सर्वोत्तम की करनी चाहिये, लेकिन तैयार बुरी से बुरी परिस्थति के लिये रहना चाहिये। इस वर्ष सूखा बहुत पड़ा है और हम उस का सामना करने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध कर रहे हैं।

माननीय सदस्यों के कई सुझाव कृषि उत्पपादन के सम्बन्ध में हैं। वे सुझाव तो बड़े मूल्यवान हैं, लेकिन उन में से अधिकांश राज्य सरकारों से ही सम्बन्ध रखते हैं।

श्री वि० द० त्रिपाठी ने बड़े विस्तार से उत्तर प्रदेश की स्थिति बताई है। उन्हों ने सभा का ध्यान उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की सूखे की समस्या की ओर आकर्षित किया है। वहां सूखा पड़ा है और मैंने मेहता समिति को उन क्षेत्रों के बारे में बताया था। मैं फिर कहता हूं कि इन स्थानों में बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले और उड़ीसा बंगाल तथा मध्य प्रदेश के कुछ भाग सम्मिलित हैं। यह एक बड़ी गम्भीर समस्या है और हमें इस का हल ढूंढ़ना ही पड़ेगा। इन क्षेत्रों में कई वर्षों से ऐसी परिस्थिति बनी हुई है और हम उसे जानते भी हैं।

इस क्षेत्र में लगातार कई बाढ़ें आई हैं, बड़ी बुरी तरह सूखे पड़े हैं। इस क्षेत्र में आबादी बड़ी घनी है। और इस में सारी कृषि योग्य भूमि पर हल चल चुका है, लेकिन जन संख्या बढ़ती जा रही है और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्र क्रमशः कम होता जा रहा है। इस क्षेत्र में केवल एक ही फसल होती है। चावल की फसल। यहां कोई अधिक उद्योग भी नहीं है। इसीलिये यदि इस क्षेत्र के लिये कोई विशेष उपाय नहीं किये जाते, तो हमें काफी दिनों तक खाद्य संकट का सामना करना पड़ेगा। देश में और भी पिछड़े हुए और कठिन क्षेत्र हैं लेकिन शायद सब से कठिन यही क्षेत्र है। मैं ने कल ही बताया था कि हम इस समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने पर ही अपनी सारी शक्ति लगायेंगे।

श्री त्रिपाठी और सभा के अन्य सदस्यों ने भी सुझाव रखा है कि खाद्य समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या मानकर चलना चाहिये। मैं इससे पूरी तौर पर सहमत हूं। हमारे यहां विभिन्न विचारधारायें और राजनीतिक मतभेद तो हैं, लेकिन खाद्य स्थिति का सम्बन्ध तो सभी के साथ है। इसलिये, मेरा मंत्रालय सभा में और सभा के बाहर भी इस सम्बन्ध में सभी के साथ सहयोग रखेगा। हम माननीय सदस्यों और अन्य सभी के सभी सुझावों को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे।

वाद-विवाद का दूसरा विषय था थोक व्यापार का सामाजीकरण करना। श्री तिरूमल राव भी इस समिति के एक सदस्य थे, उन्होंने इसका स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है कि समाजीकरण से उनका तात्पर्य क्या है। उन्होंने बताया है कि समाजीकरण से उन का तात्पर्य यह नहीं है कि थोक व्यापार के प्रत्येक छोटे से छोटे भाग का भी स्थायीकरण कर दिया जाये। उसका तात्पर्य यही है कि थोक व्यापार का नियंत्रण किया जाये और राज्य उसके प्रभावी भाग पर अधिकार कर ले। इसके सम्बन्ध में मतभेद प्रकट किये गये हैं, और अन्त में मैं आपको आश्वासस्त करता हूं कि हम उन सभी रायों की ध्यान में रखेंगे।

श्री गुह ने कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों में उत्पादन की प्रगति के अभाव, या अपेक्षाकृत अभाव का बिलकुल सही उल्लेख किया है। उन्हों ने सभा को यह भी सही ही बताया है कि दक्षिणी राज्यों ने उससे अधिक प्रगति की है। मैं नहीं समझता कि इससे उनका आशय यह भी था कि भारत सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों की ओर समुचित ध्यान नहीं रख रही है, या दक्षिणी राज्यों के साथ पक्षपात कर रही है।

[श्री अ० प्र० जैन]

यह बिलकुल सत्य है कि वर्ष १९५२–५३ से १९५६–५७ तक आन्ध्र प्रदेश ने अपने उत्पादन में ५० प्रतिशत वृद्धि कर ली है।

इसके लिये आन्ध्र को पूरा श्रेय मिलना ही चाहिये। मद्रास ने इसी काल में अपना उत्पादन ८० प्रतिशत बढ़ा लिया है। मद्रास को भी उचित श्रेय देना चाहिये। मैं तो चाहता हूं कि वे इससे भी अधिक कर दिखायें।

यह दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में इतनी भी प्रगति नहीं हुई है। उदाहरण के लिये, पश्चिमी बंगाल का उत्पादन लगभग वही रहा है। वर्ष १९५२–५३ में वह ४२.२ लाख टन था, १९५५–५६ में वह ४१.५ लाख टन रह गया और १९५६–५७ में फिर ४३ लाख टन हो गया। उड़ीसा में भी उत्पादन वही रहा है। इस काल में, बिहार के उत्पादन में २० प्रतिशत और मध्य प्रदेश में २५ प्रतिशत प्रगति हुई है। लेकिन, सभा को यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि कृषि एक राज्य का विषय है और उत्पादन की इन सभी योजनाओं को राज्य सरकारें ही तैयार करती हैं और उस के बाद ही उन को केन्द्र के पास भेजा जाता है। और, केन्द्र उत्तर-पूर्वी राज्यों की भी उसी हद तक सहायता करता है जितनी कि दक्षिणी राज्यों की। श्री गुह ने जो कुछ भी कहा है उस से उत्तर-पूर्वी राज्यों को सबक लेना चाहिये और उन्हें कृषीय उत्पादन में वृद्धि करने के लिये जी तोड़ मेहनत करनी चाहिये। इस सभा में मुझे उन की सफलता से सब से अधिक प्रसन्नता होगी।

श्री गुह ने कुछ भेद्य वर्गों को खाद्यान्न की सहायता दिये जाने के प्रश्न की ओर भी सभा का ध्यान आकर्षित किया है। यह बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव है। अशोक मेहता समिति ने भी इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं। हम इस की जांच कर रहे हैं; और उपयुक्त हल निकलने की पूरी आशा भी है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने भूमि सुधार नीति की कार्यान्विति में होने वाले विलम्ब की ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया है। यह सच है कि इस की कार्यान्वित के विलम्ब से उत्पादन की प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उस में अनिश्चितता की अवस्था सदा ही बनी रहती है। भू-स्वामी तो अपनी भूमि में रुपया इसलिये नहीं लगाता कि वह नहीं जानता कि भूमि कब तक उस के पास रहेगी। दूसरी ओर किसान को भी कोई निश्चित बात मालूम नहीं रहती और वह भी उस में रुपया लगाने से हाथ खींच लेता है। यह भी सच है कि देश के भागों में, भूमि सुधार नीति को कार्यान्वित करने के हमारे प्रयत्नों के बावजूद, बहुत से किसानों को बेदखल कर दिया गया है: जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, हम ने नीति निर्धारित कर दी है और राज्य सरकारों से उस की सिफारिश भी कर दी है। हमारी एक सब से महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि भूमि सुधारों की कार्यान्विति के दौरान में, अन्तरिम काल में सभी बेदखलियां रोकी जानी चाहियें, विशेष कर तथाकथित ऐच्छिक रूप में भूमि का अधिकार छोड़ने के मामलों को रोकना चाहिये।

मैं यह नहीं कहता कि यह चीज़ रुक गई है। मैं भूमि सुधारों की कार्यान्विति की प्रगति से संतुष्ट नहीं हूं: मुझे खेद है कि इस में विलम्ब हो रहा है। हम राज्य सरकारों से अनुरोध कर रहे हैं लेकिन, सभा को केन्द्र की सीमाओं को भी साथ में देखना चाहिये। हम केवल अनुरोध ही कर सकते हैं, अन्तिम निर्णय तो राज्य सरकारों के ही हाथ है।

हम एक संविधान के अनुसार चल रहे हैं। उस में कुछ उत्तरदायित्व केन्द्र को सौंपे गये हैं और कुछ राज्य सरकारों को। मुझे भूमि सुधारों की प्रगति से संतोष नहीं है। मुझे विलम्ब पर खेद है। लेकिन, मुझे तो उस के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

आप चाहें तो संविधान में परिवर्तन कर दीजिये, जिस से कि इन की कार्यान्विति तत्काल हो सके ।

डा० कृष्णस्वामी ने आंकड़ों की विश्वसनीयता का प्रश्न उठाया है । माननीय सदस्य हमारे आंकड़ों को अक्सर गलत बताते रहे हैं । अशोक मेहता समिति को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ा था कि हमारे आंकड़े विश्वसनीय हैं या नहीं । समिति ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ ४२ पर कहा है :

> "कुछ व्यक्ति मूल्यों की हाल की वृद्धि को देखते हुए यह सन्देह प्रकट करते हैं कि १९५६-५७ में होने वाली उत्पादन की वृद्धि वास्तव में हुई भी है या नहीं ।"

वास्तव में, इस सभा में भी इस पर काफ़ी वाद-विवाद हुआ था आगे समिति ने कहा है :

> "हमारी ओर से विभिन्न गवेषणा संस्थाओं द्वारा की गई कुछ विशेष क्षेत्रीय जांच-पड़तालों के परिणामों और सब से अधिक तो देश के हमारे अपने दौरे के समय किये गये हमारे निरूपणों और पूछताछों से अब इस बात की पुष्टि होती मालूम पड़ती है १९५५-५६ की अपेक्षा १९५६-५७ के उत्पादन में वृद्धि हुई है । उदाहरण के लिये, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन कृषि-आर्थिक गवेषणा केन्द्रों और अन्य गैर-सरकारी संगठनों द्वारा हमारे लिये किये गये विशेष सर्वेक्षणों से भी स्पष्ट है कि १९५५-५६ की अपेक्षा १९५६-५७ में खाद्यान्नों का उत्पादन कुल मिला कर अधिक रहा है ।"

क्षेत्रों को पृथक रखने के सम्बन्ध में भी कई सुझाव रखे गये हैं ।

इन सभी की परीक्षा की जा रही है । हम जानते हैं कि आज की कठिन परिस्थिति में खाद्य सम्बन्धी प्रशासन का बड़ा महत्व है और हम नहीं चाहते कि सट्टे और सट्टेबाज़ी की इन प्रवृत्तियों को छूट दी जाये । फिर भी यह समस्या जरा टेढ़ी है और हमें कुछ भी करते समय समस्त देश की परिस्थिति को ध्यान में रखना पड़ता है । एक क्षेत्र को पृथक रखने से, दूसरे क्षेत्र में खाद्य का अभाव बढ़ जाता है । उदाहरण के लिये, बम्बई को ही लीजिये । श्री नौशीर भरूचा ने इस के सम्बन्ध में कहा भी था । बम्बई को आन्ध्र से काफ़ी परिमाण में चावल, अच्छी किस्म का चावल मिलता था । उसे पंजाब से भी चावल मिलता था । अब हम ने दक्षिण का एक आत्म-निर्भर ज़ोन बना दिया है, इस लिये कि स्थानीय जनता को पड़ने वाले खाद्यान्न के अभाव की पूर्ति की जाये । उस का परिणाम यह हुआ है कि बम्बई को आन्ध्र से चावल मिलना बन्द हो गया है ।

इसी प्रकार, पंजाब में खाद्य के समाहार के सम्बन्ध में भी कई सुझाव दिये गये हैं । समाहार के लिये, हमें पंजाब को पृथक रखना पड़ा था । वहां से भी बम्बई को चावल नहीं मिल पाता है । इस से बम्बई का अभाव और भी बढ़ गया है । हम ने बम्बई को अधिक सम्भरण करने के लिये कार्य-वाही की तो है, लेकिन सभा जानती है कि अपने देश में ही नहीं समस्त संसार म चावल की सीमित मात्रा ही सुलभ है । इसलिये, भविष्य में जब कभी क्षेत्रों को इस प्रकार पृथक रखने से अभाव की परि-स्थिति पैदा होगी तो हम केवल चावल ही नहीं अन्य खाद्यान्नों से भी उस की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे ।

मुझे आशा है, और मुझे तो विश्वास है कि हम इस में सफल होंगे । हां, यह अवश्य हो सकता है कि हम किसी एक खाद्य विशेष की पूर्ति करने में समर्थ न हो पायें ।

[श्री अ० प्र० जैन]

मैं सुझावों के लिये माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं । मैं बड़ी सावधानी से उन पर विचार करूंगा । मैं केवल एक संशोधन, डा० राम सुभग सिंह का संशोधन संख्या १८ स्वीकार करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई माननीय सदस्य अपना संशोधन मतदान के लिये रखवाना चाहते हैं ?

†**श्री जगदीश अवस्थी** : मेरा संशोधन संख्या २१ मतदान के लिये रखा जाये ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २१ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १८ मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

'कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये, अर्थात् :—

"देश की खाद्य स्थिति पर विचार करने के पश्चात् इस सभा की यह राय है कि देश में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार उचित उपाय करे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक कराधान विधान है । इसलिये सरकार देश को पहले से इस के बारे में नहीं बताना चाहती ।

प्रश्न यह है

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।**

काजू उद्योग

†**श्री कोडियान** (क्विलोन—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं सभा का ध्यान तीन बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं : (१) काजू उद्योग को अपर्याप्त केन्द्रीय सहायता, (२) उचित मूल्य पर बाहर का काजू न मिलने से कारखानों का बन्द होना, और (३) काजू बाहर भेजने के संवर्धन के लिये अपर्याप्त केन्द्रीय सहायता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के असाधारण गजट, भाग २, अनुभाग २, दिनांक ३-१२-५७ में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित किया गया ।

यह सही है कि काजू उद्योग केरल में ही अधिक केन्द्रित है, लेकिन वह सारे देश के लिये महत्व-पूर्ण है। उस से हमें अधिक विदेशी मुद्रा मिल सकती है।

माननीय मंत्री के उत्तर से ही स्पष्ट है कि १९५६ में ही हमें काजू उद्योग से १० करोड़ रुपयों के मूल्य की विदेशी मुद्रा मिली है। केरल में इस उद्योग से एक लाख मजदूरों को काम मिला है, जिन में से ८० प्रतिशत स्त्रियां हैं। इस उद्योग को आरम्भ हुए अभी कुल बीस वर्ष ही हुए हैं, लेकिन फिर भी इस का इतना अधिक विकास हुआ है कि सारे देश का काजू का उत्पादन इस लिये पूरा नहीं पड़ता और हमें अफ्रीका के देशों से काजू मंगाने पड़ते हैं।

इस के विकास में सब से बड़ी बाधा यही है कि पर्याप्त मात्रा में कच्चे काजू नहीं मिलते। इसी-लिये मसाला जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि देश को इस सम्बन्ध में आत्म-निर्भर बनाने के लिये राज्य सरकारों के परामर्श से एक सहयोजित दस वर्षीय योजना तैयार करनी चाहिये। समिति ने इस के कई साधन भी बताये हैं। लेकिन, अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। देश में इतनी अधिक परती भूमि पड़ी होने पर भी, सरकार ने इस के सम्बन्ध में कोई ठोस क़दम नहीं उठाया है।

हां, सरकार ने कुछ योजनायें तो तैयार की हैं और राज्य सरकारों को कुछ राशियां भी आवंटित की हैं कि वे निजी उत्पादकों को काजू की खेती के प्रत्येक अतिरिक्त एकड़ के लिये १५० रुपये पेशगी दे सकें। लेकिन, कितने निजी उत्पादकों ने इसका लाभ उठाया है? अभी तक इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है।

केरल राज्य के साधन तो सीमित हैं ही, लेकिन केन्द्र ने भी केरल को उचित सहायता नहीं दी है। विदेशी मुद्रा के अभाव को देखते हुए, केन्द्र को यह सहायता अवश्य ही देनी चाहिये।

क्या सरकार के पास देश को काजू के सम्बन्ध में आत्म निर्भर बनाने की कोई योजना है?

दूसरी चीज यह है कि सरकार ने अफ्रीका से कच्चा काजू आयात करने वाली फर्मों की लूट को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है? मसाला जांच समिति ने स्वयं ही बताया था कि बम्बई की कुछ फर्मों का इस आयात व्यापार पर एकाधिकार है और सिफारिश की थी कि सरकार के काजू उद्योग के मालिकों को ही सहायता देकर विदेशों से कच्चा काजू आयात करने में समर्थ बनाना चाहिये। लेकिन, बम्बई की उन फर्मों की लूट अब भी जारी है और सरकार ने उसे रोकने के लिए कुछ भी उपाय नहीं किया है।

वे इन लूट के कार्य को इस प्रकार करते हैं कि जो व्यापारी अफ्रीका से कच्चे काजू आयात करते हैं उनके पास इस व्यापार का एकाधिपत्य है और कोई नया व्यापारी इस व्यवसाय में प्रवेश नहीं कर सकता है। जब भारत के बाजार में यह फसल आती है उस समय ये आयात रोक लेते हैं और बेचारे किसानों को बहुत कम मूल्य मिल पाता है सारा काजू सस्ते दामों पर बाहर चला जाता है और देशी उत्पाद के समाप्त हो जाने पर हमें विदेशी आयातों पर निर्भर रहना पड़ता है और तब ये व्यापारी मूल्य बढ़ा देते हैं और इस बहाने पर हमारे कारखाने बन्द हो जाते हैं। इसीलिए आज इन बातों के फलस्वरूप इस उद्योग की स्थिति संतोषजनक नहीं है। कारखाने के मजदूर बेकार हो गये हैं।

ये मजदूर काम भी बड़ी खराब हालत में करते हैं व्यवसाय के कारण उत्पन्न रोगों के उपचार की भी ठीक व्यवस्था नहीं है। इस उद्योग के लिए निर्धारित न्यूनतम मजूरी भी

[श्री कोडियान]

अपर्याप्त है और कभी–कभी मजदूरों को वह भी नहीं मिलती है। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस उद्योग के विकास के लिए शीघ्र कोई कार्यवाही करें। कच्चे काजू का आयात राज्य व्यापार निगम को अपने हाथ में ले लेना चाहिए और अफ्रीका से आयात किए गये काजू का कारखानों में समान बटवारा कर देना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो एक काजू निगम बनाना चाहिए। जिसका आयात, निर्यात, वितरण आदि सभी काम इस निगम के हाथ में रहे।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन): मसाला जांच समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि काजू का आयात बम्बई के कुछ व्यापारियों के हाथ में है। परन्तु कल एकदम माननीय मंत्री ने कहा कि आयात अनुज्ञप्तियां उपभोक्ताओं को दी जायेंगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काजू के कारखाने हैं और वहां मुझे बताया गया कि बम्बई के आयातकर्ताओं की दया पर ही, वे अभी तक निर्भर हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह आयातकर्त्ताओं से आयात किए गए काजू को खरीद ले। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब हमारी कामना है कि हम काजू का निर्यात बढ़ायें तो सरकार इस उद्योग को अपने हाथ में क्यों न लेकर अधिक विदेशी मुद्रा कमाये।

†**श्री आचार** (मंगलौर): जहां तक काजू के उत्पादन का सम्बन्ध है, इसके वृक्षों को लगाने के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए बहुत से आवेदन पत्र आते हैं तो उन पर कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गई। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि पुर्तगाली प्राधिकारियों के रवैये को ध्यान में रख कर सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है।

†**श्री तिरुमल राव** (काकिनाडा): सरकार जानती है कि आन्ध्र सरकार के कृषि मंत्री ने घोषणा की है कि वह अधिक भूमि में काजू के पेड़ लगाने को प्रोत्साहन करने के लिए विशेष कार्यवाही कर रहे हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या आन्ध्र सरकार की सहायता करने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** (पुदुकोटै): मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस उद्योग का अभिनवीकरण करना चाहती है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: मुझे उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है क्योंकि प्रस्तावक ने स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर दे दिए है।

जैसा कि प्रस्तावक ने स्वयं बताया मूल तथ्य यह है कि देश में तो काजू की कमी है ही विदेश में भी उसकी कमी है। इस उद्योग के लिए ६० प्रतिशत कच्चा काजू बाहर से आयात किया जाता है। माननीय सदस्य ने मसाला जांच समिति के प्रतिवेदन में भी कुछ बातों का उल्लेख किया। मैं समझता हूं कि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि इस समिति के प्रतिवेदन के फलस्वरूप सरकार ने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम बनाया है जिसके अन्तर्गत काजू के वृक्ष लगाने के कार्य को प्रोत्साहित किया जायेगा और मेरे विचार से इसका पूरा व्योरा सभा में बताया जा चुका है। मोटे तौर पर सरकार काजू के वृक्ष लगाने वालों को १५० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से रुपया उधार देगी। इसके अतिरिक्त मसाला जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों ने भी इसके लिए काफी धन की व्यवस्था की है।

†मल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : (खम्मम): उस योजना की घोषणा के बाद अब कितने एकड़ में काजू की खेती हो रही है ?

†**श्री कानूनगो** : दो वर्ष पूर्व यह योजना लागू कर दी गई थी। मद्रास ने बताया है कि एक वर्ष में ६,००० एकड़ भूमि में काजू के वृक्ष लगाये गये हैं और केरल सरकार ने २०,००० एकड़ में वृक्ष लगाये हैं। इस प्रकार इस कार्य की गति बढ़ती जायेगी। मैसूर, मद्रास तथा केरल सरकारों ने भी इस काम के लिए अपने संसाधनों में से ५७ लाख रुपये रखे हैं। यह काफी बड़ी राशि है। १,२५,००० एकड़ का हमारा लक्ष्य है इसके लिए हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बड़ी कठिनाई उपयुक्त भूमि की है। आन्ध्र तथा उड़ीसा भी इस कार्यक्रम में रुचि ले रहे हैं। जबभी कभी कोई राज्य इस उद्योग में रुचि लेता है तभी भारत सरकार का खाद्य तथा कृषि मंत्रालय योजनानुसार धन दे देता है। इसलिए पांच अथवा छः वर्ष जब तक वृक्ष बड़े होंगे हमें कमी तो पूरी करनी ही होगी।

मेरे मित्र ने वैज्ञानिकन की जो समस्या रखी है वह भी बड़ी कठिन है। इसका पैकिंग आदि बहुत सस्ता किया जाता है। और इससे जो अन्य वस्तुएं निकाली जा सकती हैं वह नहीं निकाली जाती हैं। क्योंकि इसका तेल आदि चीजें, निकालने में बहुत धन व्यय होता हैं। हमने औद्योगिक तथा वैज्ञानिक गवेषणा परिषद से कहा है कि कोई इस प्रकार की व्यवस्था बताये जिससे इनका तेल निकालने की सस्ती मशीनें तैयार की जा सकें। इस समय की व्यवस्था से तेल आदि बनाने में बहुत धन व्यय करना पड़ता है। इसलिए इसका वैज्ञानिकन तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक काफी धन लगाने वाले विनियोजक स्वयं इस काम को अपने हाथ में लेने के लिए आगे नहीं बढ़ते। एक बात और भी है कि इसकी कृषि अवस्था के बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। इसलिए खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने मंगलौर में गवेषणा केन्द्र स्थापित किया है जिसने एक वर्ष में ही पर्याप्त प्रगति की है। परन्तु जो निष्कर्ष उन्होंने निकाले हैं उनके अनुसार काम करने में समय लगेगा। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि किस किस्म के बीजों से काजू की अच्छी फसल तैयार की जा सकती है क्योंकि हमें अभी इसकी जानकारी नहीं है। मैसूर तथा केरल राज्य में ऐसे केन्द्र स्थापित हो चुके हैं जहां बहुत अच्छा बीज मिल सकता है। परन्तु मूल बात यह है कि इस काम में रुचि लेने वाले भी सामने आने चाहिए। मुझे यह बताया गया कि एक कठिनाई यह है कि इसको बहुत लोग लगाना नहीं चाहते हैं क्योंकि काफी तथा चाय के समान काजू को बागानों की श्रेणियों में नहीं रखा गया है। जिसका अर्थ यह हुआ कि उन पर भी खेती के सभी नियम लागू होते हैं।

व्यापार के सम्बन्ध में मेरे मित्र श्री वें० प० नायर ने कुछ बताया था। तथ्य यह है कि ८५ प्रतिशत आयात अनुज्ञप्तियां उपभोक्ताओं को मिलती हैं। स्थापित आयातकर्त्ताओं को केवल १५ प्रतिशत मिलता है। यह कठिनाई पहले से ही है क्योंकि पूर्वी अफ्रीका में भी इसको बागान के रूप में उगाया नहीं जाता है। इसके वृक्ष अपने आप ही पैदा होते हैं और केवल एकत्रीकरण कराना पड़ता है। जिसमें बहुत धन व्यय होता है।

यह सबसे अधिक ब्रिटिश तथा पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका में होता है और दूसरे सम्बन्ध पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका से अच्छे न होने के कारण हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि कठिनाई का कारण यह है कि इस उद्योग में आवश्यकता से अधिक व्यापारिक संस्थायें है। एक सुझाव दिया गया कि हमें इसे राज्य व्यापार निगम को सौंप देना काहिए। परन्तु

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

राज्य व्यापार निगम पूर्वी अफ्रीका में इसको किस प्रकार इकट्ठा करायेगा । मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो कुछ काजू मिल रहा है उससे अधिक उपलब्ध करने में हम असमर्थ हैं। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि हम अपने देश में काजू की खेती को अधिक बढ़ाये ।

श्री वें० प० नायर : सरकार आयात कर्त्ताओं से भांडार ले कर उसका वितरण क्यों नहीं करती ?

श्री कानूनगो: जैसा श्री नायर ने बताया है, यह करना उतना सरल नहीं है। आयातकर्त्ता इस देश में भांडार नहीं रखते हैं। जब उनसे मांग की जाती है वह तभी आयात करते हैं। इसके अतिरिक्त उनको केवल १५ प्रतिशत ही आयात करने की अनुमति है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात लिए जाने के सम्बन्ध में मैं नहीं जानता कि जब अन्य उपयुक्त व्यापारी इस व्यापार में लगे हुए हैं तब क्यों वह इसको हाथ में ले। इससे उत्पादन पद्धति पर कोई अन्तर नहीं पड़ा है। निर्यात मूल्य तथा कच्चे काजू के मूल्य में एक और छः का अनुपात है। लगभग छः वर्ष से यही अनुपात रहा है।

इसलिए जबतक मूल समस्या हल नहीं हो जायेंगी, तब तक इस उद्योग में नय नये व्यापारी रुचि नहीं लेंगे और जब तक इसके उपोत्पादों का अधिक उपयोग नहीं होगा तब तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। परन्तु इस बीच सरकार अधिक भूमि में काजू उगाने के नये प्रयत्न कर रही है उसके परिणामों से स्थिति सुधार जायेगी।

इस के पश्चात लोक-सभा बुधवार ४ दिसम्बर, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

[दैनिक संक्षेपिका]

(मंगलवार, ३ दिसम्बर १९५७)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—		१६२३–४८
तारांकित प्रश्न		
संख्या		
७१३	दिल्ली परिवहन सेवा की बसें	१६२३–२४
७१४	चीनी का उत्पादन	१६२४–२५
७१५	गाज़ियाबाद में मछलियों की वर्षा	१६२५—२७
७१६	कलकत्ता में खाद्यान्नों की कीमतें	१६२७–२८
७१७	गोखले समिति की रिपोर्ट	१६२८—३०
७१८	उत्तर प्रदेश में बिजली लगाने के लिये ऋण	१६३०–३१
७२०	प्रशिक्षणार्थी दाइयों को वृत्तिकायें	१६३१—३३
७२३	केरल में परिवार आयोजन केन्द्र	१६३३—३५
७२४	कृषि मंत्रियों का सम्मेलन, श्रीनगर	१६३५–३६
७२५	गैर रेलवे स्कूलों के लिये सहायक-अनुदान	१६३६–३७
७२६	खाद्यान्नों का आयात	१६३७—३९
७२७	द्विभाषी टेलिप्रिंटर	१६४०
७२८	ईस्टर्न रेलवे प्रेस	१६४१
७२९	विद्यार्थी रियायती टिकट	१६४२
७३१	विद्यार्थियों द्वारा बिना टिकट यात्रा	१६४२–४३
७३२	पूर्वोत्तर रेलवे में सहायक वाणिज्य निरीक्षक (असिस्टैंट कमर्शल इंस्पैक्टर)	१६४३
७३४	पंजाब में उद्यान कर्मों का विकास	१६४३–४४
७३५	खाद्य अपमिश्रण	१६४४—४६
७३७	जापान में मत्स्यग्रहण उद्योग के कार्य का अध्ययन	१६४६–४७
७४१	हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवा	१६४७
७४०	खाद्य उत्पादन	१६४७–४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—		१६४८—९०
७१९	बाढ़ नियंत्रण योजना	१६४८
७२१	चीनी का निर्यात	१६४८–४९
७२२	सर्वोदय सहयोग समितियां	१६४९
७३०	नये हवाई अड्डों का निर्माण	१६४९
७३३	तार घरों का खोला जाना	१६५०
७३६	गन्ना	१६५०
७३८	रेलवे के पहरेदार की मृत्यु	१६५०–५१
७३९	मीनक्षेत्र विकास के लिये कनाडा की सहायता	१६५१

272 LSD—8.

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखत उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न

संख्या

१०१९	मध्य प्रदेश में टेलीफोन तथा तार की सुविधायें	१६७९–८०
१०२०	तार का भेजा जाना	१६८०–८१
१०२१	मांडू	१६८१–८२
१०२२	ग्राण्ड ट्रंक एक्सप्रेस में भोजन यान	१६८२
१०२३	यात्री सुविधाएं	१६८२
१०२४	पंजाब की वन योजना	१६८३
१०२५	भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा	१६८३
१०२६	स्थानीय रेलगाड़ियां	१६८३–८४
१०२७	नर्मदा नदी पर पुल	१६८४
१०२८	मनीपुर में कृषि श्रमिक	१६८४
१०२९	रेलों में भ्रष्टाचार	१६८४
१०३०	नागार्जुन सागर परियोजना	१६८५
१०३१	डाकखाने के भवन का निर्माण	१६८५
१०३२	षोरणूर जंक्शन पर ऊपरी पुल	१६८५
१०३३	पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर घड़ियां	१६८६
१०३४	शटल गाड़ियां	१६८६
१०३५	रेलवे प्लेटफार्म	१६८६
१०३६	रेलवे जलपानग्रह	१६८७
१०३७	सड़क व रेल का पुल	१६८७
१०३८	फीरोजपुर में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज	१६८७
१०३९	बिना टिकट यात्रा	१६८७–८८
१०४०	बिक्रमगंज-बलिया लाइन	१६८८
१०४१	राष्ट्रीय राजपथों पर पुल	१६८८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १६८९–९०

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा (१३३) की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्न अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ३१ मई, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ १२ (३७)/५७—एम टी एण्ड सी ई।

(दो) दिनांक ३१ मई, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ १२ (३७)/५७—एम टी एण्ड सी ई के शुद्धिपत्र

विषय पृष्ठ

वाली दिनांक ३ अगस्त, १९५७ की अधिसूचना संख्या एफ १२ (३७)/५७--एम टी एण्ड सी ई ।

(२) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :

(एक) अलौह धातु उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५७)।

(दो) दिनांक २ दिसम्बर, १९५७ का सरकारी संकल्प संख्या २२(४)—टी० आर० / ५७।

(तीन) दिनांक २ दिसम्बर, १९५७ की सरकारी अधिसूचना संख्या २२(४)—टी० आर० / ५७।

(चार) नग्न ताम्र सुवाहकों और ए० सी० एस० आर० (अल्यमिनियम कन्डक्टर स्टील रिनफोर्सड) उद्योग का संरक्षण जारी रखने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५७) ।

(पांच) दिनाक २ दिसम्बर, १९५७ का सरकारी संकल्प संख्या ३(५)—टी० आर० / ५७ ।

(छः) दिनांक २ दिसम्बर, १९५७ की सरकारी अधिसूचना संख्या ३ (५)— टी० आर० / ५७ ।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १६ नवम्बर, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३६४८ की एक प्रति ।

(४) ९ सितम्बर, १९५७ को अतारांकित प्रश्न संख्या १४१२ के उत्तर में दिये गये आश्वासन के अनुसरण में आयकर देने वाले उन व्यक्तियों के, जिन से आयकर लेना शेष है, शेष होने के कारणों तथा शेष राशि को वसूल करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाले विवरण की एक प्रति ।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .

सचिव ने वर्तमान सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और २९ नवम्बर, १९५७ को राष्ट्रपति की अनुमति

विषय	पृष्ठ
प्राप्त भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५७ को सभा पटल पर रखा ।	
कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत	१६९०
तेरहवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।	
खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव	१६९१–१७३०
खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव पर और आगे चर्चा जारी रही । खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया । डा० राम सुभग सिंह का स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	
विधेयक पुरःस्थापित किया गया	१७३०
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५७।	
आधे घंटे की चर्चा	१७३०–३४
श्री कोडियान ने काजू उद्योग के बारे में १४ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १६० और १६८ के उत्तरों से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठायी । वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।	

बुधवार, ४ दिसम्बर, १९५७ के लिये कार्यावली

पंजी निर्गम (नियंत्रण) संशोधन विधेयक तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक पर विचार तथा उनका पारित किया जाना तथा जीवन बीमा निगम के अन्तरिम प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।